Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

मंगलवार, २५ फरवरी, १६५८

वेधान सभा की बैठक प्रातः म. पू. ११ बजे वेधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

...ुर रेलवे स्टेशन स्थित बापू की मूर्ति

...*. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, ...पुर) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों ...उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार जयपुर रेल्वे स्टेशन के ...ार और विकास को देखते हुए उसके ...लगी बापू की मूर्ति को बदलने का विचार ... है?

(ख) प्रान्त के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों ...गी हुई कितनी विदेशियों की मूर्तियां अब ...टाई जा चुकी हैं और कितनी बाकी हैं?

(ग) क्या उक्त स्थानों पर स्थानीय ...ुरुषों की मूर्तियां लगवाने की सरकार की योजना है?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी नहीं।

(ख) सार्वजनिक स्थानों पर लगी हुई विदेशियों की तीन मूर्तियां अब तक हटाई जा चुकी हैं।

(ग) अभी कोई योजना नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार को यह अनुभव नहीं होता कि बापू की वह मूर्ति जयपुर की कला को देख कर वहां से हटाने के लायक है?

श्री रामकिशोर व्यास : वह सरकार की लगाई हुई नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : जिसने उसे लगाया है, सरकार उसको हटा सकती है या नहीं?

श्री रामकिशोर व्यास : बापू की मूर्ति को हटाने का भी बड़ा प्रश्न है। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि अच्छी मूर्ति बना कर लगवाई जावे। यह बात-चीत की जा रही है, बिल्कुल हटाना उचित नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : हटाने का मेरा मतलब यह नहीं कि इसको पूर्णतया हटा दिया जाए, मगर उसकी जगह दूसरी बहुत अच्छी मूर्ति लगाई जावे।

श्री मुरलीधर व्यास : मूर्ति को बदलने का प्रश्न है या इन्सान को?

श्री रामकिशोर व्यास : मूर्ति को बदलने का प्रश्न है। पब्लिक से पहले बात-चीत

(श्री रामकिशोर व्यास)

की जाए उसके बाद...

श्री मुरलीधर व्यास : मूर्ति को बदलने का प्रश्न है या स्थान को बदलने का ?

श्री रामकिशोर व्यास : मूर्ति को बदलने का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्किटेक्चर पोइन्ट ऑफ व्यु से अच्छा नहीं है।

श्री मदनसिंह : (दांता) आपने फरमाया कि मूर्ति दूसरी लगाई जावेगी....

श्री रामकिशोर व्यास : बातचीत की थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट्।

धार्मिक स्थानों को दी जानेवाली सहायता

३७१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या मन्त्री, देवस्थान विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

डिस्ट्रिक्ट टोंक में तहसील वाइज़ व ग्राम वाइज़ मन्दिरों और मसजिदों को क्या क्या एड सरकार से दी जाती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) डिस्ट्रिक्ट टोंक में तहसील वाइज़ ग्राम वाइज़ मन्दिरों एवं मसजिदों को जो एड सरकार से दी जाती है उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

डॉ० चंद्रकला : (२) और (३) तो इस प्रश्न में हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बहुत से ऐसे मन्दिर हैं कि जो जागीरदारों के किले टूट गये और उन्होंने उन किलों को छोड़ दिया और वहां पर मन्दिर थे उनकी सेवा-पूजा करने के लिये दे दी। वहां पर सेवा-पूजा का इन्तजाम सरकार की तरफ से होना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : जागीरदा[illegible] के जो मन्दिर थे उनके लिये जागीर रिज़[illegible] एक्ट में रूल्स बने हैं, उनके अनुसार जो [illegible] लेने का कायदा है उसके अनुसार एड[illegible] सकते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जि[illegible] एड नहीं मिलती, जैसे मान लीजिये नी[illegible] में मन्दिर है........

श्री दामोदरलाल व्यास : It is [illegible] possible to answer any relig[illegible] question. If he puts any stra[illegible] questions, I can give certain in[illegible]mation.

(बाधा)

ऐसा समझ लीजिये या फर्ज कर लीजि[illegible]

श्री अध्यक्ष : वे मिसाल दे रहे हैं [illegible] बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या [illegible]

रावराज श्री सरदारसिंह : उसके [illegible] में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो वह [illegible] हैं। ख़ालसे के जो मन्दिर हैं, नीसरदा[illegible]

[रावराजा श्री सरदारसिंह]

किले में जो मन्दिर है उसका कोई इन्तजाम नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : We are not going to take any new responsibility under the Liabilities Act.

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सरकार उसको बाल मन्दिर बना कर रखना चाहती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे समझ में नहीं आया, वे किस मन्दिर की बात कहते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : नीसरदा के किले में जो मन्दिर है उसको ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये अलग से प्रश्न करें, नोटिस की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट्।

माध्यमिक कन्या पाठशाला, कोटपुतली

३७२. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गर्ल्स मिडिल स्कूल, कोटपुतली में अध्यापिकाओं की कमी है ?

(ख) क्या उनमें से भी किसी अध्यापिका को दूसरी जगह बदल दिया गया है ?

(ग) क्या किसी नई अध्यापिका को कोटपुतली कन्या पाठशाला में भेजने के आदेश दिए गए थे ?

(घ) क्या उपरोक्त अध्यापिका वहां पहुंची ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ने किसी दूसरी को भेजने की कोशिश की ?

(ङ) यदि हां, तो किसे और नहीं तो क्या सरकार अब शीघ्र ही वहां अध्यापिका भिजवायेगी ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं, एक अध्यापिका का प्रमोशन हो गया इसलिए वह दूसरे स्कूल में प्रमोशन पर चली गई। दूसरी अध्यापिका ने स्वयं स्तीफा दे दिया।

(ग) जी हां।

(घ) उनके नहीं पहुंचने पर दूसरी २२-१-५८ को भेज दी गई और उसने कार्यभार सम्भाल लिया है।

(ङ) श्रीमती गोविन्दकुंवर को भेजा गया है।

श्री रामकरणसिंह : आपने बताया कि वहां अध्यापिकाओं की कमी नहीं है। क्या यह सही नहीं है कि अध्यापिकाओं की कमी के कारण ३० वर्षीय युवक को अध्यापक बनाया गया है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह बनाया गया तो इसके माने यह कि कमी नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही नहीं है कि जब कमी नहीं है तो एक एक अध्यापक दो-दो कक्षाओं और चार-चार कक्षाओं को पढ़ाता है और वहां पर एक ३० वर्ष का नवयुवक अध्यापक

Page No.4

(श्री रामकरणसिंह)

है। जब अध्यापिकाओं की कमी थी तभी तो उसकी जगह आदमी पढ़ाता है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें कमी का कोई प्रश्न नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : बुड्ढे आदमी को भेजते या औरत भेजते, उनका यह मतलब है।

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३७३

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

कठपुतली कला का पुनरुद्धार

३७४. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने कठपुतली की कला के पुनरुद्धार के लिये कोई योजना स्वीकार की है ?

(ख) अगर हां, तो वह क्या है और राजस्थान भी क्या उसमें शामिल है ?

(ग) क्या वर्तमान कठपुतली कला के केन्द्र राजस्थान में भी हैं ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(घ) इन कठपुतलियों की कला के पुनरुद्धार के लिये कितनी धन-राशि भारत सरकार से स्वीकार की गई है ?

(ङ) क्या राजस्थान भी इस कला के लिये धन-राशि व्यय करता है ? यदि हां, तो कितनी कितनी और कहां कहां ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) शिक्षा विभाग के पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस विभाग के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पेपर्स में निकला था कि कठपुतली के लिये भारत सरकार....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट्।

जागीरदारों द्वारा जोड़ों को तोड़ कर की जानेवाली खेती

३७५. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पाली के गांव कूरणा के जागीरदार के पास ठिकाना खालसा करने के बाद कुल कितनी जमीन उनके घरू व उनके कुटुम्बियों के नाम की रह चुकी है ?

(२) क्या जागीरदार, कूरणा ने अपने जोड़ को मांग कर उसमें काश्त की है ? यदि हां तो क्यों ?

(३) क्या जागीरदार, गिरवर, मांवरी डेण्डा ने भी अपने जोड़ को मांग कर उसमें काश्त की है ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No.5

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलालव्यास) :

(उत्तर अनुपलब्ध)

अनुसुचित व दलितवर्ग छात्र

३७६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील कोटपुतली में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने छात्र पढ़ रहे हैं ?

(ख) सरकारी तथा जिला बोर्ड द्वारा संचालित किस किस संस्था में कितने कितने छात्र हैं और वे किस किस कक्षा में पढ़ रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ग) क्या जिला बोर्ड द्वारा संचालित पाठशालाओं के छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जाती है ?

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की तरफ से इस बारे में संस्थाओं को इन्चार्ज को कोई नोटिस भेजे गये हैं ? यदि हां, तो किस किस को व कब कब भेजे गये ?

[ङ] यदि नहीं, तो उनको क्यों वंचित रखा जाता है ?

उप समाज कल्याण मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) :

(क) इसके आंकड़े समाज कल्याण विभाग में नहीं आते।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हां।

(घ) व्यापक जानकारी के लिये समाचार पत्रों व राजपत्र में तत्सम्बन्धी सूचना प्रकाशित होती है। अलग से नोटिस नहीं भेजे जाते।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामकरणसिंह : माननीय मंत्रीजी ने बताया कि इसके आंकड़े समाज कल्याण विभाग में नहीं हैं तो क्या यह सही है कि जो छात्रवृति दी जाति है वह प्रेस्क्राइब फार्म पर दी जाती है या समाज कल्याण विभाग से ही दी जाती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (समाज कल्याण मंत्री) : हां, यह सही है।

श्री रामकरणसिंह : वह फार्म किस आधार पर भेजा जाता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र मंगाते हैं उनको भेजे जाते हैं।

श्री रामकरणसिंह : क्या इन्डीविजुएली हरएक विद्यार्थी समाज कल्याण विभाग में एप्लीकेशन देता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उसके बगैर कैसे मिल सकता है।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि इन्डीविजुएली हरएक विद्यार्थी को समाज कल्याण विभाग में दरख्वास्त देनी ही पड़ती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह मैं नहीं कह सकता हूं कि हर एक विद्यार्थी को वहां आना पड़ता है।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि हर एक विद्यार्थी को वहां आना पड़ता है चाहे वह राजस्थान के किसी भी कौने में रहता हो ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं बिना जानकारी लिये नहीं कह सकता।

Page No.6

श्री रामकरणसिंह : आपने कहा कि आंकड़े समाज कल्याण विभाग में नहीं है । जब यह बात एजुकेशन मिनिस्टर साहब से पूछी गई तो यह जानकारी वहां से भी मिली कि वहां भी इस प्रकार के आंकड़े नहीं हैं तो फिर शिड्युल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्स के आंकड़े कहां मिल सकते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आंकड़े मिल सकते हैं तो शिक्षा विभाग में मिल सकते हैं ।

श्री रामकरणसिंह : वहां से जानकारी की तो वहां भी ये उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कहते हैं कि फार्म तो हरएक को देते हैं ।

श्री रामकरणसिंह : मेरे पूछने का मतलब यह था कि ये किस आधार पर देते हैं ? विद्यार्थी व्यक्तिगत इसके लिए एप्रोच करता है या कोई आदमी उनको बांटता है; यह जानकारी हो जाय तो अच्छा है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो छात्रवृत्ति के लिए उत्सुक होते हैं वे एप्लाइ करते हैं । वैसे विज्ञापन अखबारों में निकलते हैं और किसी विद्यार्थी के द्वारा फॉर्म मांगे जाने पर उनको दिया जाता है, यही सीधी सी बात है ।

श्री रामकरणसिंह : एप्लीकेशन के भेजने के जरिये मे देते हैं या और किसी जरिये से ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : फार्म मांगने पर, चाहे एप्लीकेशन के जरिये से हो या और किसी जरिये से हो, भेजे जाते हैं ।

श्री रामकरणसिंह : एप्लीकेशन पर ही दिया जाता है या मांगने पर ? कोई एक निश्चित चीज इस विषयक बतायी जाय कि एप्लीकेशन पर ही भेजते हैं या और किसी जरिये से ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि दोनों तरीके से दिये जाते हैं ।

श्री रामकरणसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि हर एक विद्यार्थी को आना पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष : चाहे डाक से मंगवा लिया जाय, चाहे स्वयं जाकर ले आये, यह मतलब है माननीय मंत्री महोदय के कहने का ।

(विराम)

नेक्स्ट ।

प्रारम्भिक पाठशाला, लालसोट

३७७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षामन्त्री बतलावेंगे :

(१) लालसोट प्राइमरी स्कूल, क्या वर्तमान मकान में सुविधा पूर्वक चल सकती है ?

(२) यदि नहीं चल सकती तो क्या सरकार प्राइमरी स्कूल के लिए अन्य स्कूलों के लिए जैसे सरकारी गोदाम दे दिये गये हैं, वैसे क्या नहीं दे सकती ?

(३) क्या वर्तमान प्राइमरी स्कूल की इमारत उपरोक्त दशा में खाली हो जाने पर हाईस्कूल के होस्टल के लिये अनुचित रहेगी ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई): जी नहीं, क्योंकि इस इमारत का आधा भाग श्री माधोलाल बोहरा का है । यदि यह भाग स्कूल को मिल जावे अथवा दो नये कमरे बनवा दिये जावें तो सुविधापूर्वक चल सकती है ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

(२) वर्तमान हालत में गोदाम स्कूल के लिये उपयुक्त नहीं है क्योंकि उनमें प्रकाश व हवा के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। खिड़कियां, पार्टिशन लगाने में कुछ व्यय करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त गोदामों में जो स्कूल चलाये जाते हैं उनकी स्वीकृति जिलाधीश के यहां से दी जाती है, जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है।

(३ जी नहीं।

श्री **प्रभुलाल पुरोहित** : क्या इस माधोलाल चारावल की बिल्डिंग को सरकार लेने का विचार करती है ?

श्री **पूनमचंद विश्नोई** : ऐसी अभी तो हमारे पास सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

भूमि वितरण

३५८. श्री **शिवचरण दास** (मांडल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या गांव सींगपुरा, तहसील रायपुर (जिला भीलवाड़ा) में किन्हीं ऐसे ३०, ३५ व्यक्तियों को आम चुनावों से पहले भूमि अलॉट की गई है जिनके पास पहले से ही भूमि थी ? यदि हां, तो उनके नाम अलॉट की गई भूमि और उनके नाम पहले से ही जो भूमि है, उसका विवरण क्या है ?

२) जब यह भूमि अलॉट की जा रही थी उस समय अन्य कितनी दरख्वास्तें विचाराधीन थीं ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जिन जिन लोगों को भूमि अलॉट की गई है उनमें से १८ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास पहले से ही कुछ भूमि थी। किसको दी गई, कितनी दी गई और पहिले कितनी थी ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) २८ दरख्वास्तें थीं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री **शिवचरणदास** : इस सूची के नम्बर १६ पर दी गई जो जमीन है उसको देखने के बाद क्या तरीका है कि कितनी ज़मीन हो तो उसको और जमीन न दी जाय ?

श्री **सम्पतराम** : मेरे ख्याल से आपके पास सूची है उसमें तो जितनी जमीन आदमियों के पास थी, करीब चार पांच की जमीन है, कुल मिला कर १५ बीघा से अधिक नहीं रहती है।

श्री **शिवचरणदास** : क्या १५ बीघा जमीन पर की जिसके पास है उसको और अधिक जमीन न दी जावे ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, जमीन के अलॉटमेंट के नियम हैं। अलॉटमेन्ट कमेटी अॉलट कर सकती है और उसके मुताबिक अलॉट होनी चाहिए। यदि जिनको १५ बीघा से कम अलॉट हुई है तो उन पर गौर किया जा सकता है। यदि १५ बीघा से अधिक अलॉट हो गई है तो माननीय सदस्य बतायें।

श्री **शिवचरणदास** : नम्बर १६ पर जो नाम हैं, उसमें ४२ बीघा जमीन है।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : इसको मैं देखकर जांच कराऊंगा। यदि ज़मीन होते हुए भी अधिक जमीन मिल गई है तो इसकी जांच कराई जा सकती है।

Page No.8

श्री मदनसिंह (दांता) जांच कराई ही नहीं। जांच के बाद ही तो यह चीज़ है। अब क्या जांच करावेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस पर एक्शन तो अलग से लिया जावेगा।

श्री मदनसिंह : इसमें शंका है आपको कि वाकई ज्यादा अलॉट हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शंका नहीं है। इस पर जो एक्शन लिया जाना है वह तो अलग से लिया जावेगा।

श्री शिवचरणदास : ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास बिलकुल जमीन नहीं है, उनके नाम इसमें नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लिस्ट दी है उसमें है।

श्री शिवचरणदास : उनकी लिस्ट नहीं दी है जिनके पास बिलकुल ज़मीन नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : उनकी भी दी गई है।

श्री शिवचरणदास : जमीन होते हुए भी उनको फिर जमीन देना और न होने पर न दिया जाना इसका क्या कारण है ? उस वक्त उनके पास दरख्वास्तें मौजूद थीं जिनके पास बिलकुल जमीन नहीं थी। जिनके पास जमीन थी उनको और अलॉट कर दी गई और नहीं थी उनको बिलकुल नहीं दी गई।

श्री सम्पतराम : उनके पास और कोई जमीन हो। नजदीक में और कोई जमीन हो और उस समय उसकी इत्तला न होने पर वे वंचित रह गये हों।

श्री अध्यक्ष : आश्वासन दे दिया है।

श्री शिवचरणदास : १५ बीघा से अधिक हो तो क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : That should satisfy the Hon'ble Member.

श्री मदनसिंह : उनको जो खातेदारी राइट्स मिल गये हैं तो क्या वे वापिस छीन लिये जावेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

व्यवस्थापक खादी ग्रामोद्योग भवन

३७६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या वित्त मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) खादी ग्रामोद्योग भवन में आजकल जो व्यवस्थापक हैं उनकी नियुक्ति कब की गई थी ?

(ख) उक्त व्यवस्थापक की योग्यता क्या है और उनकी नियुक्ति किसके द्वारा स्वीकृत की गई ?

(ग) क्या उक्त व्यवस्थापक के विरुद्ध पहले किसी संस्था में काम करने पर कोई चार्ज लगाये गये हैं ?

उप-वित्त मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) वर्तमान व्यवस्थापक की नियुक्ति मास फरवरी, १९५७ में हुई है।

(ख) इनकी योग्यता बी. कॉम. तक है। नियुक्ति की स्वीकृति बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक १९-२-५७ में दी।

(ग) हां।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री बहादुरसिंह : इसका उत्तर दे दिया जाय।

वेतन दरें

३८०. श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) :

Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) Is it correct that the following posts carry the permanent scales mentioned against them :

S. N.	Name of post	No. of posts	Permanent Scale of of the posts
1.	Commissioner of Excise & Taxation.	1	Rs. 800-1200 plus Rs. 200/-Special pay.
2.	Jagir Commissioner.	1	-do-
3.	Director of Transport.	1	Rs. 500-700 plus Rs. 100/-Special Pay.
4.	Labour Commissioner.	1	-do-
5.	Commissioner, Devasthan.	1	-do-
6.	Additional Commissioners.	3	-do-
7.	Director of Consolidation.	1	-do-
		9	

(b) Is it corerct that the present incumbents of these posts were considered by the U. P. S. C. for promotion to the senior I. A. S. Scales of Rs. 800-1800, and found unsuitable ?

(c) Is it correct that the Government have created special senior scales of Rs. 1000-1500 and have given these scales to the present incumbents of these posts as personal to them since they were rejected by the U.P.S.C. as unsuitable for I.A.S. cadre ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (ए) नहीं, अब ये पद इन वेतन श्रृंखलाओं में नहीं हैं।

(बी) नहीं। वे संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा अयोग्य नहीं पाये गये थे, किन्तु स्टेट सिलेक्शन कमेटी द्वारा, जिसका कि चेयरमैन संघीय लोक सेवा आयोग का चेयरमैन या मेम्बर था।

(सी) नहीं रेशनलाइज़ेशन आफ पे स्केल्स में इन पदों का ग्रेड पूर्वतः १०००-५०-१५०० का स्वीकृत किया गया था और इन पदों पर नौ सर्वोच्च आर. ए. एस. अधिकारी नियुक्त किये गये थे। तत्पश्चात् केवल ८००-५०-११५०) की वेतन श्रृंखला नियत करने का तै किया गया, किन्तु कुछ अधिकारियों को जिन्हें उच्च वेतन श्रृंखला स्वीकृत की जा चुकी थी, उनको पूर्ववत् ही रखा गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट्।

राज्य कर्मचारियों का बकाया वेतन

३८१. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No.10

(श्री तनसिंह)

राजस्व विभाग में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें गत छः माह या उससे अधिक अवधि से वेतन नहीं मिल रहा है तथा इसके क्या कारण हैं ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) :

इसके कारण निम्न हैं ।

(१) अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र (एल. पी. सी.) प्राप्त न होने के कारण ।

(२) पुनः नियुक्ति की आज्ञा प्रचलित न होने के कारण ।

(३) स्थानान्तर के कारण ।

(४) मौअत्तिल होने के कारण ।

(५) स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण ।

(६) अवकाश स्वीकृत न होने के कारण ।

(७) वेतन नही लेने के कारण । जो रिफन्ड हो गई थी ।

श्री तनसिंह : क्या छः मास और अधिक दिनों तक वेतन बकाया है तो जो कार्य-वाही होनी थी वह क्यों नहीं की गई ?

श्री सम्पतराम : मैंने बताया कि इतने बड़े राजस्व विभाग में यदि ८ कर्मचारियों का वेतन न मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है । साथ ही उपरोक्त कारणों की वजह से देरी होना स्वाभाविक है ।

श्री तनसिंह : ८ बताये या ६० बताये ?

श्री सम्पतराम : ८ बताये ।

ठा० मदनसिंह : १००-५० आदमियों को मिल जाता है तो ८ गरीबों को न मिले तो कोई बात नहीं होती है वहां ?

श्री सम्पतराम : इसका कारण मैं अर्ज कर चुका हूँ ।

श्री मुरलीधर व्यास : ८ से अधिक संख्या भी है ?

श्री सम्पतराम : मैं इसका जवाब दे चुका हूं ।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर में एक चंदरिया नाम का चौकीदार है, आज नौ महीने से मौअत्तिल किया हुआ है वह इस लिस्ट में है या नहीं ?

श्री सम्पतराम : यह अलग से सवाल है और इसकी जानकारी करनी पड़ेगी ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या और तो नाम नहीं हैं इसमें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मौअत्तिल जो जो होते हैं उनकी केटेगरी होती है ।

श्री तनसिंह : क्या आप इस समय यह बताने की स्थिति में हैं कि जिनको छः महिने से अधिक समय वेतन न मिला हो और सब से अधिक वेतन किसका रुका हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सस्पेन्डेड कर्मचारी जो होते हैं उनके वेतन देने का प्रश्न ही नहीं उठता । उनको सस्पेन्शन के पीरियड के अन्दर कुछ पर्सेन्टेज सेलेरी का मिलता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : सस्पेन्डेड कितने दिनों तक रह सकता है ?

Page No.11

श्री तनसिंह : क्या आप यह बता सकते हैं सब से अधिक समय मोअत्तिल कौन रहा और किसका रुपया सब से ज्यादा रुक रहा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह इन-फोर्मेशन मेरे पास नहीं है ।

तीन वर्षीय डिग्री कोर्स

३८२. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल की अनुपस्थिति में) :

Will the Education Minister be pleased to state.

Has the Government finalised the Scheme of Three Year Degree Course. If not, what will happen to those students who pass their Higher Secondary Examination in 1958 and intend to continue their studies further ?

उप शिक्षा मंत्री) श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

चार वर्षीय डिग्री कोर्स को तीन वर्षीय डिग्री कोर्स में बदलने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है और इसके लिये एक कमेटी का निर्माण भी हो चुका है जो शीघ्र ही रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करेगी । हायर सेकेन्डरी परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को तीन वर्षीय डिग्री कोर्स में प्रवेश पाने से वंचित नहीं रखा जायगा ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सन् ५८ में जो पास कर रहे हैं उनके लिये क्या होगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसी के लिये तो मैंने निवेदन किया उनको वंचित नहीं रखा जायगा ।

नागरिक रसद–अनाज क्रय

३८३. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मंत्री वित्त विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या नागरिक रसद विभाग ने जो धान खरीदा था उसके लगभग ५,७०,००० रुपये के वाउचर अप्राप्य हैं ?

(२) यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने संबन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये हैं ?

उप वित्त मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :

(१) लगभग १५ करोड़ रुपये के धान के वाउचर थे जिनमें से प्रश्न में दर्ज ५,७०,००० रुपये के वाउचर अप्राप्य हैं ।

(२) यह वाउचर १९४९ से १९५२ तक के है । समय ज्यादा व्यतीत हो जाने के कारण वह अप्राप्य हो गये हैं । हिसाब ठीक प्रकार रखा गया था ।

श्री तनसिंह : यह आपको कब मालूम हुआ कि वाउचर अप्राप्य है?

श्री रिखबचंद धारीवाल : यह जिस समय विभागीय जांच की गई उस समय मालूम हुआ कि इतने कीमत के वाउचर अप्राप्य हैं ।

श्री तनसिंह : क्या विभागीय जांच सन् ४९ से ५६ तक, सालों में किस किस समय हुई ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सन् ४९ से ५२ तक हुई है ।

Page No.12

श्री तनसिंह : हम यह जानना चाहते हैं कि आप जब यह कह रहे हैं कि इतने वाउचर अप्राप्य हैं वह इसलिए कि पुराने होने के कारण तो आप यह बता सकते हैं कि यह जांच भी पुरानी ही थी या क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जांच करने पर मालूम हुआ कि इतनी कीमत के वाउचर अप्राप्य हैं, इस बारे में कुछ तहसीलों में महालेखापाल की तरफ से पार्टीज़ गयी थीं उन्होंने वहां जाकर जांच की उसमें हिसाब तो सही पाया गया किन्तु वाउचर्स नहीं मिले ।

श्री तनसिंह : महालेखापाल ने जांच की किससे मिलान करके की ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : हिसाब तो रखा गया था जो कुछ खरीद की गई थी उसका हिसाब किताब तो लिखा हुआ था उसके अनुसार उन्होंने जांच की है इसके बाद हम महालेखापाल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री तनसिंह : जो लोग उत्तरदायी थे इन वाउचर्स के खोने में, उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : वाउचर्स रखे जरुर गये थे किन्तु वे अप्राप्य हो गये हैं अब इसके लिये किसको जिम्मेदार ठहराया जाय इस बारे में जांच हो रही है ।

श्री तनसिंह : क्या जांच हो रही है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : किसके ऊपर यह जिम्मेदारी थी इस बारे में जांच की जा रही है ।

श्री तनसिंह : क्या अभी तक भी इसकी जांच की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : किसी पर इसका उत्तरदायित्व डालने के लिये कि यह किसकी कस्टेडी में रहा करते थे क्योंकि सिविल सप्लाइज़ का महकमा अब तो तोड़ दिया गया है, उसमें १५ करोड़ रुपये की खरीद में कौन कौन अधिकारी थे, अब वे महकमे के अन्दर नहीं हैं, इसलिये अब किसको जिम्मेदार ठहराया जाय, इसके बारे में जांच करना जरूरी हो जाता है ।

श्री तनसिंह : जहां तक वाउचर्स के रखने का सवाल है मेरा विचार यह है कि अकाउन्टन्ट या केशियर पर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : जिम्मेवारी तो किसी पर पिन पोइन्ट करनी पड़ती है न ?

श्री तनसिंह : इसकी जांच के लिये कौन नियुक्त हैं ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : डिपार्टमेंट की तरफ से हो रही है । सिविल सप्लाइज़ का महकमा टूट गया फाइनेन्स डिपार्टमेंट इस बारे में कार्यवाही कर रहा है ।

जयपुर स्थित देवस्थान विभाग के मकानों व दुकानों का किराया

३८४. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल की अनुपस्थिति में): क्या मंत्री देवस्थान विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) देवस्थान विभाग के कितने मकानात व दुकानात जयपुर शहर में हैं और उनका कितना किराया प्रतिवर्ष आता है ?

(२) किराये की कितनी रकम बाकी है तथा इसकी वसूली के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

(३) क्या सरकार इस संपत्ति को बेचने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो क्यों और कब तक ?

मंत्री देवस्थान (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) जयपुर में देवस्थान विभाग के ५५ मकानात एवं १०६ दुकानात हैं जिनका किराया चालीस हजार आठ सौ रुपया प्रतिवर्ष आता है ।

(२ किराये की कुल रकम १६,८६४ रु. ७३ नये पैसे बाकी हैं । इसकी एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जी नहीं ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह कितने वर्षों का बाकी है किराया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया हर एक के लिये अलग-अलग अवधि में है कुल १६८६४ रु० ७३ नये पैसे बाकी हैं और एक साल का किराया चालिस हजार आठ सौ रुपया प्रतिवर्ष आता है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सरकार इनको बेच क्यों नहीं देती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कोई जरूरी नहीं कि सारी प्रोपर्टी को बेच दिया जाय, मन्दिर की प्रोपर्टी है उसका किराया आता है, उसी में जमा होता है ।

पोलिटेकनिक इन्स्टीट्यूशन्स

३८५. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने पोलिटेकनिक इन्स्टीट्यूशन्स तथा जुनियर टेकनिकल स्कूल्स खोले जा रहे हैं ?

(२) क्या भूतपूर्व बीकानेर सरकार द्वारा बीकानेर में कोई ऐसी संस्था खोलने की योजना थी ? अगर हां, तो क्या सरकार अब भी यहां, कोई ऐसी संस्था खोलने का विचार रखती है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २ पोलोटेक्निकल इन्स्टीट्युशन्स तथा ४ जूनियर टेक्निकल स्कूल्स खोलने की योजना है।

(२) जी हां, ऐसा एक प्रस्ताव था । जूनियर टेकनिकल स्कूल्स खोलते समय अन्य ऐसे स्कूलों के साथ इस स्थान के लिये भी विचार किया जावेगा ।

प्रौढ़ शिक्षा

३८६. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मंत्री, समाज कल्याणविभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रौढ़ों के लिये रात्रि-पाठशालायें कहां-कहां हैं व कितनी-कितनी खोली गई हैं ? डिविजन वाइज़ संख्या बतावें ?

(२) उपरोक्त पाठशालाओं पर गत ५ वर्षों से कितना वार्षिक खर्च किया जा रहा है तथा अब तक इन पाठशालाओं से कितने व्यक्ति शिक्षित हुए ?

समाज कल्याण मंत्री : (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) :

(क) रात्रि पाठशालाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। उनकी डिवीजन वाइज़ संख्या निम्न प्रकार है :

अजमेर जयपुर	१७.
कोटा	२१.
बीकानेर	१०.
जोधपुर ३८.	३८.
उदयपुर	९८.
	१८४

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

(ख) आंकड़ों की पूरी सूची अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री तनसिंह : जहां उदयपुर में ९८ और बीकानेर में १०, इतना अन्तर क्यों इसका कारण क्या है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उदयपुर में पहले से ही ज्यादा चल रहे हैं।

श्री तनसिंह : पहले से कब से, क्या बाबा आदम के ज़माने से ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप के और हमारे जमाने से।

श्री मुरलीधर व्यास: वहां अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, क्या यह आधार रखा गया या और कुछ ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वहां उदयपुर में यह काम पहले से ही शुरू हो गया था, वैसे वहां संस्थायें भी ज्यादा हैं और उदयपुर का इलाका पिछड़ा हुआ भी है।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर से अधिक पिछड़ा हुआ है क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उदयपुर में भील एरिया ज्यादा है।

श्री तनसिंह : दूसरे भाग का आपने उत्तर दिया कि आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हो सके हैं, क्या यह सूचना आप आगे देंगे क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां।

विकास खंड खोलने के आधार

३८७. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जिला विकास समिति की सिफारिश से तहसीलों में विकास खंड प्रारम्भ व स्थापित किये जाते हैं ?

(ख) यदि हां, तो जब सीकर ज़िला विकास समिति ने तहसील श्री माधोपुर में विकास खंड खोलने की शिफारिश की थी, तो वह दांता रामगढ़ में क्यों खोला गया ?

(ग) क्या सरकार ने इसके लिये कोई प्राइवेट समिति बनाकर निर्णय लिया था ?

(घ) यदि हां, तो इसके कौन-कौन सदस्य थे और उनकी क्या शिफारिशें थीं ?

(ङ) उपर्युक्त समिति के निर्णय को अमल में न लाने के क्या कारण थे ?

उप विकास मंत्री (श्री सम्पतराम) :

(क) जी हां। जिला विकास समिति की शिफारिशों का भी ध्यान रखा जाता है।

Page No.15

(श्री सम्पतराम)

(ख) सीकर जिला विकास समिति ने तहसील श्री माधोपुर में ही विकास खंड खोलने की सिफारिश नहीं की थी। उस समिति में सलाह, दो भिन्न तहसीलों में खंड खोलने के हक में तकरीबन बराबर बंटी हुई थी और उन्होंने यह सरकार पर छोड़ दिया था कि विकास खंड कहां खोला जाय। दांता रामगढ़ में विकास खंड निम्न लिखित कारणों से खोला गया था :

१ कृषि उत्पादन के साधन सहज में ही उपलब्ध हैं।

२. नीम का थाना और फतहपुर सब डिविज़न में पहले से ही विकास खंड हैं।

सीकर सब डिविज़न में कोई विकास खंड नहीं था।

दांता रामगढ़, सीकर सब डिविजन में ही हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसीलदार भरतपुर, द्वारा चपरासी की पिटाई

३८८. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Revenue Minister be pleased to State:

(1) Did the Tehsildar; Bharatpur or his guest beat some Class IV Servant at the formers residence last year ?

(2) If so, what was the reason for this action ?

(3) Is the Tehsildar allowed to use Class four servants at his house for domestic work If not, why was this Class IV servant present at his residence ?

(4) Did the union for Class IV servants make representation to this effect ?

(5) What action has the Government taken against the Tehsildar, Bharatpur ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) The complaint is under enquiry.

(2) Matter is still under investigation.

(3) No.

(4) Yes.

(5) The matter is still under enquiry.

श्री अध्यक्ष : Next.

अनुसूचित जातियों के लिये आदर्श बस्तियों का निर्माण

३८९. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों को नये ढंग से बसाने के लिये कोलोनी स्थापित करने की कोई योजना निर्धारित की थी ?

Page No.16

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(ख) यदि हां, तो प्रारम्भ में उनको किस किस जिले में स्थापित करने का निश्चय किया गया था ?

(ग) क्या उक्त जिलों में भरतपुर भी सम्मिलित था ?

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त कोलोनी वहां स्थापित की गई ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं और उसे अन्य स्थान पर व कहां स्थापित किया गया ?

(च) ऐसा करने का क्या कारण है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) हां।

(ख) प्रारम्भ में जिलेवार कोलोनी स्थापित करने का निश्चय नहीं किया गया था।

अनुसूचित जाति के लिये बस्तियां १९५६–५७ और ५७–५८ में इस प्रकार बसाई गई हैं :

१९५६–५७ में

१.	कुन्दनपुरा	सर्किल	जयपुर
२.	कांवट	,,	,,
३.	मूला तलाई	,,	उदयपुर
४.	सिवाड़ी	,,	जोधपुर
५.	बरकपुरा	,,	भरतपुर

१९५७–५८ में

१.	कुरावड	सर्किल	उदयपुर
२.	रामनगर	,,	जयपुर
३.	अमृतपुरी	,,	,,
४.	बरदासर	,,	बीकानेर

(ग) जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है जिलेवार बस्तियां प्रारम्भ में स्थापित करने का निश्चय नहीं किया जाता है बल्कि सर्किल वार होता है। इसीलिए भरतपुर जिले का सम्मिलित होने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जिलेवार स्थान बदलने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : भरतपुर जिले में या सर्किल में कहां खोला गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : भरतपुर में।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : किस तहसील में ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : भरतपुर सर्किल है।

एक माननीय सदस्य : इस नाम का कोई गांव ही नहीं है।

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सर्किल भरतपुर का है, जिला सवाई माधोपुर है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : रविदासपुरा का भी नाम था या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : क्या यह अन्याय नहीं है कि इन जातियों को अलग से बसाया जा रहा है जब कि होना यह चाहिये कि साथ ही रखना चाहिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो नीति का प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र : कोटा डिविजन में एक भी आदर्श बस्ती ऐसी नहीं बसाई गई, इसका क्या कारण है ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : अब तक गोमतीपुरा में कितने लोग बस गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : एक का उत्तर तो दे देने दीजिये, फिर आप प्रश्न करियेगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके लिये वहां से सिफारिश नहीं आई होगी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : गोमतीपुरा में कितने हरिजन बसे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके लिये अलग से नोटिस दीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास : अभी आपने फरमाया कि यह नीति का सवाल है, यह नीति किस आधार पर बनी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आदर्श बस्ती बसाई जाती है, खास कर विशेष जातियों के लिये बसाई जाती हैं। पर अगर दूसरे लोग वहां आकर बसना चाहें तो मनाई नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : इसके लिये किसकी सिफारिश की आवश्यकता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सुना नहीं, क्या कहा आपने ?

श्री अध्यक्ष : किनकी सिफारिश से आदर्श बस्ती बसती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके लिये उस क्षेत्र की मांग और वहां बसने वालों की उपलब्धता पर निर्भर करता है क्योंकि सरकार ३००) रु. प्रति मकान देती है। इसके साथ ही काफी ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है। करीब करीब १,३६,४०० वर्ग फीट जगह होनी चाहिये, ५० प्लॉट होने चाहिये। ये इस तरह की कई शर्तें भी हैं, इनका पालन जहां होता है वहां आदर्श बस्ती बस सकती है।

श्री मदनसिंह : क्या यहां कोई भी जाति का बस सकता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बस सकता है।

श्री मदनसिंह : क्या उनको भी वही सब सहूलियतें भी दी जावेंगी ?

श्री हरिभाऊ उपध्याय : सहूलियतें शायद नहीं दी जावें, पर बस सकते हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : कितनी सहायता राज्य की ओर से दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष : अभी बताया था न, ३००) रु० प्रति मकान। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३६०

श्री मनोहर कोठारी।

(अनुपस्थित)

भूमिहीन हरिजनों को भूमि-वितरण

३६१. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा अलॉटमेन्ट ऑफ लैण्ड टू लैण्ड लैस टीनेन्ट्स के लिये कुछ रूल्स बनाये गये हैं और उन्हें प्रसारित किया गया है ?

Page No.18

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

(ख) यदि हां, तो क्या उन रूल्स में शिड्यूल कास्ट्स के लोगों को कृषि हेतु जमीनें देने में प्राथमिकता दिये जाने का उल्लेख किया गया है ?

(ग) क्या लैण्ड लैस हरिजनों को जमीनें दिलाने के लिये सरकार द्वारा कोई कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां ।

(ख) कृपया राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु अलॉटमेन्ट ऑफ लैण्ड फोर एग्रीकल्चरल पर्पज़ेज़ के नियम ६ के उपनियम (४) का अवलोकन कीजिये ।

(ग) ऊपर जिस नियम का उल्लेख किया गया है उसी में यह प्रावधान रक्खा है कि अनिवासित आंवटन के लिये प्राप्य भूमि का २५ प्रतिशत भाग शिड्यूल ट्राइब्स, शिड्यूल कास्ट्स तथा बैकवर्ड क्लासेज़ के श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को आंवटने किये जाने हेतु सुरक्षित रखी जावेगी ।

श्री धर्मपाल : यह २५ प्रतिशत भाग जो सुरक्षित रक्खा जावेगा वह शिड्यूल कास्ट और टाइब्स दोनों के लिये है ?

श्री सम्पतराम : जी हां ।

श्री धर्मपाल : यह समझा जावे कि १२॥ (साढ़े बारह) प्रतिशत उन्हें मिलेगा ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : इन रूल्स में 'शिड्यूल कास्ट्स' और 'शिड्यूल ट्राइब्स' लिखा है । रूल्स में शब्द प्रयोग किया गया है "बैकवर्ड क्लास" । तो क्या इससे शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स दोनों के अलावा का मतलब है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): ये रूल्स बाकायदा गज़ट में निकल चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि तहसीलदार को अभी जनवरी, ५८ में जो रूल्स भेजे हैं, Rules for allotment of land to landless tenants; इसके अन्दर किसी प्रकार का जिक्र जमीन का नहीं किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझा नहीं, आपने क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष : जनवरी ५८ में कोई आज्ञा जारी की गई है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, यह ठीक है । इसमें बैकवर्ड क्लास भी है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : इसमें शिड्यूल कास्ट्स को किस पैरा के अन्तर्गत जमीन दी जावेगी, यह आप बता दीजिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बाकायदा धारा बता दी है । आप उन्हें देख लीजिए ।

श्री मदनसिंह : हरिजनों को जमीन मिल रही है जहां जहां, वहां और काश्तकारों को भी मिलेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, निश्चित तौर से ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सर्कुलर द्वारा भूमि रक्खी गई है शिड्यूल

Page No.19

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

कास्ट्स और शिड्‌ल ट्राइब्स के लिए ? कोई आर्डर नहीं दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सकुलर के सम्बन्ध में पता नहीं कि कौन सा है। पर डेफीनिट रूल्स जो इस बारे में है वे मैंने बताये हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : जनवरी ५८ में ऐसा सकूलर भेजा गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रूल्स जरूर भेजे गये हैं, सकुलर नहीं। तहसीलदारों को हिदायत की गई है कि वे लैंएडलैस टीनेन्ट्स का सैन्शन करके और अनओकुपाइड लैंएड की भी लिस्ट बनाकर तहसील में लगा दो और उन पर लोगों की दरख्वास्तें मांग लो और इसमें २५ पर्सेन्ट शिड्यूल कास्ट्स और शिडयूल ट्राइब्स के लिए रिज़र्व कर दो।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : रूल्स में क्या लिखा है, वह पूरा सुनना चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बता दिया कि वह गज़ट हो चुका है और अगर चाहें तो और सुन लीजिये........

श्री धर्मपाल : अभी तक कितनी जमीन अलॉट कर दी गई ?

श्री अध्यक्ष : पहले एक का तो उत्तर आने दीजिये। (राजस्व मन्त्री से) आप रूल्स पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : Is it possible, Sir ? They are comprehensive rules.

श्री अध्यक्ष : वह पैरेग्राफ बोल दीजिये कि शिड्यूल कास्ट्स वाले भी लेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : I Will read the Section three. "The Tehsildar shall thereafter reserve 25% or uuoccupied land for persons belonging to scheduled casts, scheduled tribes and backward classes."

इससे मतलब आपका हल हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष : जो रिज़र्वेशन के बारे में है शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के जमीन अलॉट करने में, उसको।

श्री धर्मपाल : क्या यह भाखरा और राजस्थान केनाल में भी लागू होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, इनके लिये रूल्स अलग हैं।

पानों पर विक्रय कर

३६२. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the finance Minister please state:—

(i) Does the Government levy sales tax on the sale of pan, other than prepared pan ?

(ii) Has the Government exempted perishable commodities like vegetables from the levy of sales tax ? If so, why this tax is levied on pan ?

(iii) How many other states levy sales tax on it ?

(iv) Is the Government contemplating to exempt pan from the

(श्री श्रीभानसिंह)

sales tax ? If not, why ? What is the revenue realised from this source?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) :

(१) हां।

(२) उच्च न्यायालय, राजस्थान के निर्णयानुसार पान को Vegetable नहीं माना गया। Vegetables को कर-मुक्त रखा गया है। इसका कारण यह नहीं है कि वे Perishable Commodities हैं, प्रत्युत यह है कि वे Essential Goods माने गये हैं; पान उस गणना में नहीं आ सकता।

(३) जहां तक सूचना है आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल व देहली में पान पर सेल्स टैक्स है।

(४) नहीं। गवर्नमेंट पान को जन-जीवन के लिये ऐसी आवश्यक वस्तु नहीं समझती कि उसके लिये कर-मुक्ति की जावे।

रेवेन्यु के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है। पान एसोसियेशन के नाम से प्रतिवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : पान के जो व्यापारी हैं, क्या उन्होंने सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई अड़चनें प्रस्तुत की हैं?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : उन अड़चनों पर आपने कुछ सोचा है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उन पर विचार हो रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या विचार हो रहा है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ठीक ही विचार हो रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : सवाल यह है कि क्या विचार हो रहा है?

श्री अध्यक्ष : सवाल यह है कि वित्त मंत्री पान नहीं खाते हैं?

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : खा लेता हूं।

प्रश्न संख्या ३६३

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह (मसूदा)।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम।

अभावग्रस्त क्षेत्रों में चारे व अनाज की व्यवस्था

३६४. श्री **बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या सरकार इस वर्ष वर्षा नहीं होने की वजह से जिन जिन इलाकों में चारे व अनाज की कमी है वहां राहत पहुंचाने का विचार रखती है?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जिन जिन इलाकों से चारे व अनाज की कमी के समाचार प्राप्त हुए हैं उनमें सरकार फोडर डिपोज़ एवं सस्ते नाज की दुकानें खोलने का विचार रखती है।

(२) हां, अवश्य करेगी।

Page No.21

श्री बेनाराम गहलोत : अभी सरकार विचार ही रखती है या कार्यवाही कर दी गई है ?

श्री सम्पतराम : शीघ्र ही कार्यवाही करने का विचार है।

श्री बेनाराम गहलोत : राहत पहुंचने के लिए सरकार विचार कर रही है या कोई ठोस कार्यवाही भी करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : घास जहां जहां एकत्रित कर ली गई है उनसे लेकर जहां जहां इसकी आवश्यकता होगी वहां फोडर डिपोज़ खोलने के आॅर्डर्स दे दिए गए हैं कि फोडर डिपोज़ खोल दिये जायें और जहां अनाज की जरूरत है वहां पर भी डिपोज़ खोलने की इजाजत दे दी गई है।

श्री धर्मपाल : चारे के लिए उस समय क्या दाम होंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग डिपोज़ के ऊपर अलग अलग चार्जेज़ होंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल।

रसद विभाग द्वारा बीकानेर डिवीजन में व्यापारियों से लेवी वसूली

३६५. **श्री धर्मपाल** (नोहर) : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(१) बीकानेर डिविज़न में सिविल सप्लाई विभाग द्वारा व्यापारियों से चनों की ली गई सिक्योरिटी और लेवी की कुल रकम कितनी है जो अभी तक वापिस नहीं दी गई ?

(२) गंगानगर में किन किन व्यापारियों की सिक्योरिटी रकम बाकी हैं और किन-किन को दे दी गई है ?

उप-वित्त मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं है इसलिए इसको आयन्दा लिया जाये।

श्री धर्मपाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ऐसा है कि गंगानगर, बीकानेर की काफी रकम उलझी पड़ी है....

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर अगले सप्ताह में मिलेगा।

श्री धर्मपाल : इसकी सूचना कब तक आ जायेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया)

सीकर ठिकाने के जागीरी कर्मचारी

३६६. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

भूतपूर्व सीकर ठिकाने के कितने कर्मचारियों के पेन्शन के मामले सरकार के कब से विचाराधीन हैं तथा ये कब तक तय कर दिये जायेंगे ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : ८७ केसेज़ पेन्डिंग हैं जिनको शीघ्र ही तय करने का विचार किया जा रहा है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इनमें से कई आदमी मर भी गये हैं ?

श्री सम्पतराम : हो सकता है, हमारे पास कोई उत्तर नहीं है।

Page No.22

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कब से पेंन्डिंग हैं ?

श्री सम्पतराम : २७ केसेज़ ही हैं जो कि पुराने हैं। इस ठिकाने के २१५ केसेज़ पेश हुए थे लेकिन ५–२–५८ को ६० और एप्लीकेशन्स आई हैं कि हमें भी पेन्शन दी जाये। ये नई एप्लीकेशन्स अलग हैं, जिन पर विचार हो रहा है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जागीर रिज़्यूम हुई थी उसके बाद इन केसेज में इतनी देर कैसे लग गई ?

श्री सम्पतराम : २१५ केसेज़ में से सिर्फ २७ ही पेन्डिंग हैं। डिस्पोज़ल को देखते हुऐ कोई विशेष देरी नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

राज्य द्वारा ग्लू फैक्ट्री हेतु ऋण

३६७. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जयपुर सरकार ने १६,००० रु० डॉक्टर धावन नामक व्यक्ति को ग्लू फैक्ट्री के लिए कर्ज दिया था ?

(२) क्या कर्ज मंजूर करते वक्त यह शर्त की थी कि दूसरी किश्त देने से पहले जांच की जावे कि वास्तविक रूप में मशीनरी खरीदी गई है या नहीं ?

(२) क्या यह सही है कि ऐसी कोई जांच नहीं की गई और डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज़ ने किश्तें चुका दीं ?

(४) यदि हाँ, तो उक्त डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाये ?

(५) उपरोक्त व्यक्ति से अब तक कितना रुपया बतौर मूलधन या ब्याज के वसूल हुआ ?

उप-उद्योग मंत्री (श्री खिलचन्द-धारीवाल) : (१) भूतपूर्व जयपुर सरकार ने १५,००० रु० डाक्टर जे० डी० धावन को ग्लू फैक्टरी के लिए ऋण दिया था; १६,००० रु० नहीं।

(२) यह रकम भूतपूर्व जयपुर सरकार द्वारा सन् १६४६ में दी गई थी। प्रारम्भ में ऋण प्रदान करने की स्वीकृति देते समय उद्योग-विभाग के डाइरेक्टर के नाम पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि फैक्ट्री के लिए जिस प्लान्ट की आवश्यकता हो और खरीदा जाय उसके बिलों का भुगतान डाइरेक्टर सीधा ही करे।

तत्पश्चात् कई दिनों तक ऋण की दूसरी किश्त ऋण संबंधी कार्यवाही पूरी न होने के कारण नहीं दी जा सकी। इसी बीच में पहली किश्त में जो ढाई हजार रुपया दिया जा चुका था वह कारखाने के लिए खर्च हो चुका था और ऐसी परिस्थिति सामने आई कि डा० धावन को यदि ऋण की दूसरी किश्त नहीं दी गई तो उसे अधिक हानि होगी और जो रुपया व्यय किया गया है वह भी व्यर्थ जायेगा, इसलिए दूसरी किश्त ६,००० की तुरन्त ही देने के लिए सरकार को आज्ञा देनी पड़ी, उसमें मशीनरी खरीद आदि करने संबंधी जांच का कोई उल्लेख नहीं था और इसके बाद ग्लू (सरेस) बनाने के अलावा अन्य लघु उद्योग के लिए भी डॉ० धावन को इजाज़त दी गई। इसके लिए तथा ग्लू फैक्ट्री की अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए सरकार की आज्ञानुसार तथा उद्योग विभाग के डाइरेक्टर

Page No.23

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

की सिफारिश से डॉ० धावन को कर्ज का पूरा रुपया दे दिया गया।

(३) डॉ० धावन ने फैक्ट्री के लिए सीमेन्ट के हौज आदि बनवाये और टीन के छप्पर आदि डलवाकर फैक्ट्री चलाने की पूरी तैयारी कर ली थी। इसी से ऐसा विश्वास हो गया था कि फैक्ट्री चालू हो जावेगी डॉ० धावन एक शरणार्थी था और राज्य के जिन-जिन अधिकारियों के पास गया उन सब ने उसके साथ सहानुभूति बर्ती और यह चाहा कि शरणार्थी के नाते इस व्यक्ति को पुनर्स्थापन के लिए जितना आवश्यक हो उतनी आर्थिक सहायता उद्योग चालू करने के लिए दी जाय। ऐसी परिस्थितियों में ऋण देते समय अत्यधिक कानूनी व अन्य आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई।

(४) उद्योग-विभाग के डाइरेक्टर का ऋण देने के विषय में कोई ऐसा दोष नहीं पाया गया कि जिसके कारण सरकार उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करती।

(५) डॉ० धावन से न तो मूलधन और न कोई ब्याज की रकम वसूल हुई है। अब डॉ० धावन का पिछला कई वर्षों से कोई पता नहीं है।

श्री तनसिंह : यह आपने बताया कि डॉ० धावन ने फैक्ट्री के लिए टीन के छप्पर और सीमेन्ट का हौज बना दिये थे तो यह कहां पर बनाये थे, जब कि डॉक्टर धावन लापता है और उनसे रुपया वसूल नहीं किया जा सकता! चीजें फैक्ट्री में लगी हुई हैं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उसके लिए पी० डी० आर० के तहत कार्यवाही कर रहे हैं, जो जो उन्होंने बनाया था उनके चले जाने के बाद में जो फैक्ट्री पर सामान मिलेगा उससे रकम, पी० डी० आर० के तहत कार्यवाही करा दी गई है और कुर्की हो रही है।

श्री तनसिंह : किसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है जब कि डॉक्टर धावन का पता ही नहीं है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अगर वह नहीं है तो इससे कार्यवाही नहीं रुकती है।

श्री तनसिंह : किसको नोटिस दिया जा रहा है, किसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अगर नोटिस नहीं दिया जायेगा तो एक्स-पार्टी हो जायेगी, मगर कार्यवाही तो जारी रहेगी।

श्री तनसिंह : कौन उसका उत्तरदायी है?

श्री रिखबचंद धारीवाल : मैंने कहा न कि वह अटैचमेन्ट में है।

श्री तनसिंह : डॉक्टर धावन को जो रुपया दिया गया था तो उसकी कोई जमानत नहीं ली गई थी?

श्री रिखबचंद धारीवाल : मैंने निवेदन किया है कि यह कर्जा जो था वह जयपुर स्टेट के टाइम का ही स्वीकृत था और उस समय वह शरणार्थी थे और कानूनी बातें जितनी भी दूसरे लोगों के लिए लागू होती हैं वे उनके लिए रिलेक्स कर दी गई हैं, इसलिए कि वे शरणार्थी थे और शरणार्थियों को बसाना था। उन्होंने कुछ रुपया लगाया भी और उसके बाद में वह भाग कर चले गए।

श्री तनसिंह : दूसरी किश्त देते समय यह जांच की गई या नहीं कि पहली किश्त में

(श्री तनसिंह)

दी गई रकम का प्रयोग ठीक प्रकार से हुआ या नहीं ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : इसके बारे में जांच हो गई थी कि कितना रुपया खर्च हो गया है और ऐसा लगा कि आइन्दा इनको रुपया नहीं दिया जायगा तो यह आगे नहीं बढ़ सकेंगे इनको दूसरी किश्त का भी रुपया दे दिया गया।

श्री तनसिंह : जिस अर्थ के लिए, जिस काम के लिए रुपया दिया गया था तो क्या सरकार को मालूम है कि दूसरी किश्त देने से पहले पहली किश्त का रुपया उसी काम में खर्च हो गया है या फिर केवल हौज बनाने के लिए रुपया दिया गया था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : फैक्ट्री के बनाने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं। उसने टीनों के छप्पर भी लगाये थे ? पहली किश्त का २५०० रुपया था वह खर्च कर दिया और अगर दूसरी किश्त नहीं देते तो उसका काम आगे नहीं बढ़ता।

श्री तनसिंह : क्या सरकार यह बता सकती है कि डॉक्टर धावन ने १२०० रुपया उस रकम में से अपनी बतौर वेतन के वसूल किया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह नहीं बता सकूंगा जब तक कि इसके लिए जांच न कर लूं।

श्री मुरलीधर व्यास : मर्जर के पहले ऐसे रुपये का दुरुपयोग करने के लिए उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : स्टेट के जमाने में ऐसी बात तो नहीं थी। शरणार्थी थे। उनको कहा गया कि कुल फैक्ट्री बनाने के लिए १५,००० रुपया ग्रान्ट करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरी किश्त दी गई, यह मर्जर के बाद में दी गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हां, मर्जर के बाद में ही दी गई।

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

तहसील दौसा में तकावी-वितरण

३९८. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सन् १९५७ में तहसील दौसा में कृषि के प्रोत्साहनार्थ और काश्तकारान को राहत व सुविधा दिये जाने हेतु कितनी धनराशि तकावी ऋण की मन्जूर हुई थी और वह किन किन ग्रामों में कितनी कितनी काश्तकारान को दी गई ?

उप-राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी नहीं आई है इसलिये इसको अगले सप्ताह ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री नरपतसिंह।

जिला जालोर के अकाल–ग्रस्त क्षेत्र में लगान वसूली

३९९. **श्री नरपतसिंह** (जालोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या जालोर जिले के अकाल-ग्रस्त क्षेत्र में लगान वसूली की कार्यवाही चालू है ?

Page No.25

(श्री नरपतसिंह)

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे बन्द करवाने की व्यवस्था करेगी ?

उप-राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नतनसिंह : वहां वसूली हो रही है और आप कहते हैं कि चालू नहीं है ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : पहले जिन क्षेत्रों को अभावग्रस्त घोषित किया है उनमें चालू नहीं है ।

श्री नतनसिंह : वहां हो रही है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां पर वसूली की कार्यवाही बन्द की जाती है, सब के लिए नहीं की जा सकती है ।

प्रश्न संख्या ४००

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीभानसिंह ।

ओलों की वर्षा द्वारा हानि

४०१. **श्री श्रीभानसिंह** : Will the Revenue Minister be pleased to state:-

(1) Is the Government aware that wheat crops have been severely damaged by hailstorm in several villages of Rupbas Tehsil in Bharatpur District? If so, in which villages and to what extent damage has been done?

(2) What Relief, Remission or Suspension of land revenue has the Government given or proposes to give to each village and cultivator.

उप मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) Yes, the damage is not reported to be severe. The statement annexed will show extent of loss in 10 villages where hailstorm occured.

(2) The question of granting remission or suspension will be considered in the month of April, 1958, at the time of assessment of demand on receipt of relief khatunies for each village.

राजकीय गर्ल्स हाई स्कूल, बूंदी

४०२. **श्री सज्जनसिंह** (बूंदी) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि बूंदी राजकीय गर्ल्स हाई स्कूल में साइन्स व गणित की अध्यापिकाएँ नवम्बर सन् ५७ तक स्कूल में नहीं पहुंची थीं ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या इस प्रकार की असाधारण देरी के कारण छात्राओं को उपरोक्त विषयों में जो असुविधा और कमजोरी रही है और उसके फलस्वरूप हाई स्कूल का नतीजा खराब रहने तथा अनुत्तीर्ण छात्राओं के समय तथा व्यय के अपव्यय के लिये जो विभागीय अधिकारी जिम्मेवार हों उनके खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

(घ) यदि हां, तो क्या और यदि नहीं,

(श्री सज्जनसिंह)

तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर इस मामले में कोई कार्यवाही करेगी ?

(ङ) क्या सरकार यह भी आश्वासन देगी कि छात्र व छात्राओं के अर्थ व समय के अपव्यय को रोकने के लिये तथा उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए सेशन शुरू होते ही अध्यापिकाओं की नियुक्ति कर देने के आदेश जारी करेगी ?

(च) क्या सरकार के यह भी ध्यान में है कि उक्त हाई स्कूल में मकान की कमी के कारण छात्राओं को दो-तीन शिफ्ट में पढ़ने के लिये आना पड़ता है जिससे सन्तोषजनक न तो पढ़ाई हो सकती है तथा भोजनादि के समय में बड़ी असुविधा रहती है ?

(छ) क्या सरकार इस हाई स्कूल के मकान की कमी सन् १९५८-५९ में पूरा करने का विचार रखती है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) जिन जिन अध्यापिकाओं की नियुक्तियां की गईं उन्होंने कार्य-भार नहीं सम्भाला।

(ग) जब नियुक्ति की आज्ञाएं जारी कर दी गईं लेकिन किसी ने कार्य-भार नहीं सम्भाला तो किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां, सरकार तो प्रयत्न करती रही है।

(च) जी हां।

(छ) अन्य ऐसे मामलों के साथ सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष विचार किया जावेगा।

श्री सज्जनसिंह : प्रश्न (ग) का जो उत्तर दिया गया है इसमें यह बतलाया है कि किसी की जिम्मेवारी नहीं आती है, तो मेरा निवेदन यह है कि जिन अध्यापिका की नियुक्ति की थी तो फिर उनके वहां न जाने पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नई नियुक्तियां की गई थीं। उन्होंने अगर वहां ज्वॉइन नहीं किया तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है।

श्री सज्जनसिंह : ऐसी नियुक्त की गई अध्यापिकाएं शिक्षा विभाग में नौकर नहीं हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नियुक्तियां टेम्पोरेरी की जाती हैं।

श्री सज्जनसिंह : जिनको आपने नियुक्त किया था वे वहां नहीं गईं, तो क्या अब भी वे शिक्षा विभाग में नौकर नहीं हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर आप चाहें तो मंगाई जा सकती है।

आमेर तहसील में तकावी-वितरण

४०३. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

इस वर्ष में आमेर तहसील में किन-किन काश्तकारों की दरख्वास्तें तकावी हेतु पेश हुई

Page No.27

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

हैं तथा किन-किन की मंजूर हुई हैं और किन-किन की खारिज की गई हैं और क्यों ?

उप राजस्वमंत्री (श्री सम्पतराम) : किन किन किसानों ने दरख्वास्तें दीं और किन-किन की मंजूर हुईं और किन २ की खारिज हुईं, इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

लेखापालों (एकाउन्टेन्ट्स) की नियुक्तियां

४०४. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या विभिन्न विभागों में नियुक्त किये जाने के लिए एकाउन्टेन्ट्स को कोई विभागीय या जन सेवा आयोग द्वारा सम्पादित कोई परीक्षा पास करनी होती है ? यदि हां, तो अब तक कितनी बार इस प्रकार की परीक्षाएं हुईं तथा इसमें कितने व्यक्ति उत्तीर्ण हुए हैं ?

(ख) उपरोक्त सफल व्यक्तियों में से कितनों को एकाउन्टेन्ट्स के पद पर नियुक्त कर दिया गया है ?

उप वित्त मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) जी हां।

(ख) २२६ व्यक्ति।

(ग) नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या सरकार के पास सूचना है कि किसी विभाग में योग्यता प्राप्त व्यक्ति होते हुए भी दूसरे विभाग के कर्मचारी लिये गए ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पहले कर्मचारी लिये गये थे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस समय सरकार के पास में ओन डेपुटेशन कितने कर्मचारी दूसरे विभागों से लिये हुए हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यहां पर जितने भी एग्ज़ामिनेशन में सक्सेसफुल हुए हैं केन्डीडेट, उनको एकाउन्टेन्ट की पोस्ट्स पर एब्जोर्ब किया गया है। ६० ऐसे हैं जिन्होंने पास किया है ५७ में और उनका एपोइन्टमेंट कर दिया गया है। कुछ बाहर के आदमियों को जो कि एकाउन्टेन्ट की केडर के थे और जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन पास किया या स्पेशल कंसीडरेशन के बिनाह पर एग्ज़ामिनेशन पास करने की छूट दे दी गई थी उनका एपोइन्टमेंट कर दिया गया है। वैसे राजस्थान में एकाउन्ट्स सर्विस के अन्दर काफी कमी है और ट्रेण्ड हैण्ड्स हैं नहीं, इसलिए कुछ रिटायर्ड असिस्टेन्ट अकाउन्ट्स ऑफिसर को इन्डियन ऑडिट डिपार्टमेंट से रिएम्प्लॉय किया गया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मेरे पूछने का मतलब यह है कि जब कि हमारे पास योग्यता प्राप्त परीक्षा में पास हैण्ड्स हैं उस समय ओन डेपुटेशन पर अधिकारी क्यों लिये जा रहे हैं और उनको एब्ज़ोर्ब क्यों नहीं किया जा रहा है, उनकी संख्या दे दें कि कितने लोग ओन डेपुटेशन लिये गये हैं ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : कुछ असिस्टेन्ट एकाउन्ट्स ऑफिसर्स को लिया गया है।

One Assistant Accounts Officer was taken on deputation when

Page No.28

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

the pay fixation work was taken over from Accountant General's office.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जिन लोगों ने अपने यहां पर परीक्षा पास कर ली है उनको आप योग्य नहीं समझते क्या, इसलिए उनको एप्वाइन्टमेंट नहीं देकर राजस्थान के बाहर से आदमी ला रहे हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया है कि कुछ एक्सपीरियेन्स्ड लोग जो राजस्थान एकाउन्ट्स सर्विस के हैं उनका भी कन्सीडरेशन किया गया है। जिन्होंने पास कर लिया है उन लोगों को भी लिया गया है, ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों को नहीं लिया गया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मेरी अब भी यही सूचना है कि दूसरे लोगों को ऑन डेपुटेशन लिया जाता है और जिनसे परीक्षा ली जाती है उनको छोड़ दिया जा रहा है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उसके लिए मेरा निवेदन करना यह है कि ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन तो पास कर लिया लेकिन फिर भी उनको तीन महीने का टेस्ट पास करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वे प्रेक्टिकल पास नहीं कर लेते हैं तब तक इस योग्य नहीं समझे जाते हैं। ऐसी परीक्षा पास करने के बाद में उनका फिक्सेशन हो जायगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अब तक पहले जिन लोगों को लिया गया है उनको भी तीन महीने का टेस्ट पास करना पड़ा था क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उन्होंने एग्ज़ामिनेशन पास किया है, जितने भी थोड़े से व्यक्ति हैं उन लोगों को भी उस टेस्ट को पास करना पड़ेगा। बहुत से आदमी ऐसे थे कि पहले से यह काम बराबर करते आ रहे थे। उनका एक्सपीरियेन्स काउन्ट किया जाता है क्योंकि प्रेक्टिकल नोलेज होती है, उनको प्रेक्टिकल एक्सपीरियन्स होता है, ऐसी शक्ल में उनको ले लिया गया था।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : एग्ज़ामिनेशन क्या सब ने बराबर पास किया था या टालने के लिए ऐसा किया गया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : टालने के लिए नहीं किया जा रहा है।

सूरसागर (जोधपुर डि०) में पत्थर की खानें

४०५. **श्री सूरजमल** (फलौदी) : क्या मंत्री, उद्योग व खनिज विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सूरसागर (फिदूसर) डिविजन जोधपुर में पत्थर की कुल कितनी खानें हैं ?

(२) उपरोक्त खानों में से कितनी खानें ठेकेदारों को अलॉट की जा चुकी हैं और कितनी अभी तक अलॉट नहीं की गयी हैं ?

(३) उपरोक्त खानों के ठेकेदार कौन २ सी जाति के हैं और प्रत्येक के नाम कितनी खानें अलॉट की गई हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या यह सही है कि खानों को अलॉट करते वक्त अधिकारी लोग पिछड़ी जाति व हरिजनों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) २८१२।

(२) ७४५।

जिन्होंने प्लाट नहीं लिये हैं और बाकी रह जाते हैं २०६७।

(३) सूचना एकत्रित की जा रही है, आने पर सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

(४) नहीं।

श्री सूरजमल : ये खानें जो कोआॅपरेटिव सोसायटी को दी जाती हैं उनको दूसरे साल रिन्यू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रिन्युअल के लिए ऐसा है कि ये खानें परमिट सिस्टम की हैं यानी एन्युअल माइनिंग लीज़ पर हैं। अगले साल वे बराबर रिन्यू कर दी जाती हैं। ये कोई नीलाम तो होती नहीं हैं, जितने रुपये फिक्स्ड हैं उनके अनुसार रिन्यू कर दी जाती हैं।

श्री सूरजमल : ये रिन्यू नहीं की जाती हैं, इस कारण से नुकसान कितना होता है क्योंकि पहले साल के अन्दर उसको काफी लेबर और केपिटल लगानी पड़ती है और उसको उतना फायदा नहीं मिलता है जितना कि दूसरे साल।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अमूमन रिन्यू कर दिये जाते हैं। यदि उनके खिलाफ कोई शिकायत हो या कोई आउटस्टेंडिंग ड्यूज़ हों तो वह रिन्यू नहीं किये जाते हैं।

श्री रामेश्वरदयाल : इन खानों का आॅक्शन क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ये एन्युअल माइनिंग लीज़ पर दी जाती हैं क्योंकि ये छोटी २ खानें होती हैं जो ८-१० रुपये लेकर दी जाती हैं। जहां तक बड़ी खानों का संबंध होता है उनको हर साल के बाद आॅक्शन किया जाता है।

श्री बेताराम : क्या यह सही है कि एक एक ठेकेदार को ५–५, ६–६ खानें दे रखी हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसा कोई नियम नहीं है। जहां तक होता है यह देखा जाता है कि एक आदमी बहुत ज्यादा खानें न रखे, ऐसा नियम है। अगर कम होती हैं तो कम अनुपात से आती हैं।

श्री तनसिंह : जब आपके पास यह नियम नहीं है कि एक आदमी कितनी खानें तक रख सकता है तो कोई भी आदमी अपने पास बहुत सी खान रख लेता है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपका मतलब मैं नहीं समझा।

श्री तनसिंह : जब आपके पास नियम नहीं हैं कि एक आदमी ज्यादा से ज्यादा कितनी खानें रख सकता है तो क्या यह नहीं हो सकता कि एक ही आदमी पैसा देकर बहुत सी खानें अपने कब्जे में कर ले ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसा है कि खानें काफी तादाद में हैं, जैसा कि आपने अभी उत्तर में देखा है कि २०६७ खानों का एलाॅटमेंट नहीं हुआ है। इसलिए यह सवाल नहीं होता है कि एक आदमी चाहे जितनी खानें अपने पास में रखे। हम बहुत आदमियों को दे सकते हैं।

श्री तनसिंह : अलाॅटमेंट नहीं हो रहा है तो और कोई कारण से नहीं हो रहा है ?

Page No.30

श्री रिखबचन्द : इस वास्ते नहीं हो रहा है कि और जगह आदमियों की कमी है, क्योंकि यहां सारे राजस्थान का नम्बर दिया गया है ।

श्री बेनाराम : पिछड़ी हुई जातियों के लोगों को खानें नहीं दी जाती हैं और स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों को खानें एलाट की जाती है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसा नहीं होता है । जो भी काम करते हैं उन लोगों को देख लेते हैं । अगर काम करने वाले हैं तो उनको प्रिफरेन्स दिया जाता है । स्कूलों में पढ़ने वालों को खानें नहीं दी जाती हैं । आप कोई इन्फोर्मेशन देगें तो जांच कर ली जायगी ।

१२.० म. प.

आबकारी व कस्टम का मुआवजा

४०६. श्री **नरपतसिंह** (जालौर) : क्या आबकारी मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उदयपुर वाटी के भोमियों का भूतपूर्व जयपुर रियासत ने कोई आबकारी व कस्टम का मुआवजा तय किया था ?

(ख) यदि हां, तो वह रकम कितनी है ?

(ग) उक्त रकम भोमियों को दी गई है अथवा नहीं ?

(घ) यदि दी गई, तो कब व किन लोगों को दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मदनसिंह दांता : क्या कोई मुआवजा बाकी नहीं है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने कहा कि कोई मुआवजा तय ही नहीं हुआ तो क्या दिया जायगा ?

श्री तनसिंह : यह तय नहीं हुआ तो तय होने में देरी तो हुई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बात चली थी लेकिन उदयपुरवाटी के भोमियों ने इस ओर रूख नहीं किया, इसलिये बातचीत आगे नहीं चली ।

श्री तनसिंह : आज से पहले क्या उनको मुआवजा नहीं दिया गया जयपुर स्टेट के वक्त में भी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नहीं; आपने पूछा उसका जवाब दे दिया । दूसरा सवाल पूछना है तो अलग नोटिस दीजिये ।

श्री तनसिंह : बातचीत चली और बंद हो गई, वह क्या आपके जमाने में चली या जयपुर स्टेट के जमाने में चली ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जयपुर स्टेट के जमाने में ।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा है कि या तो इसके बारे में तय हो गया है या तय होना है, 'बात चलाई नहीं गई' से क्या माने हैं ? बात तो एक मिनट में चलाई जा सकती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बात चलाई गई थी उस समय उदयपुरवाटी के भोमियों ने असहयोग का रुख अख्त्यार किया इसलिये

Page No.31

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

आगे नहीं चली। उनका रुख ठीक हो तो बात आगे चल सकती है।

पटेलों को दिया जाने वाला मलबा

४०७. **श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जिला सवाई माधोपुर में लम्बरदारों (पटेलों) को मलबा कब से नहीं दिया गया है और क्यों तथा भविष्य में कब तक दे दिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : सवाई माधोपुर जिले की वे तहसीलें जो भूतपूर्व जयपुर राज्य की थीं उनमें सं० ५५ से नम्बरदारों को हक पटेलाई नहीं मिला क्योंकि मलबा जिसमें कि हक पटेलाई दिया जाता था वह हाई कोर्ट द्वारा अवैधनिक करार दे दिया गया और उसकी वसूल बन्द करनी पड़ी। जो एरियर्स हक पटेलाई के हैं उनकी अदायगी शुरू हो गई है।

श्री पृथ्वीराज : वसूली कब तक देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अदायगी शुरू कर दी गई है। यह मिलने लगा।

भा० से० स०. अजमेर को हरिजनोत्थान हेतु जीप

४०८. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग ने हरिजनोत्थान हित भारत सेवक समाज, अजमेर को एक जीप दे रखी है ?

(ख) यदि हां, तो वह जीप कितने रुपयों में खरीदी गई थी और कब ?

(ग) खरीदने के पीछे वह कितने मील चली ? क्या उसकी लॉग बुक रखी गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) जीप खरीदने के कितने माह पश्चात् ही उसकी मरम्मत करानी पड़ी और उसमें कितना खर्चा हुआ ?

(ङ) वह जीप नई थी या पुरानी तथा किस कम्पनी से खरीदी गई थी, उसका मोडल किस सन् का था ? अब वह जीप किसके पास है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) हां।

(ख) ५,००० रु० में दिनांक ३१-५-५६ को खरीदी गई थी।

(ग) अब तक करीब ७,००० मील चली है, उसकी बाकायदा लोग बुक रखी जाती है।

(घ) करीब १४ माह पश्चात्। उसमें ८१५ रु० पौने सात आने खर्च हुए।

(ङ) पुरानी ही थी। उसका १९४५ का मोडल है जो अजमेर–मेरवाड़ा ग्राम सेवा मंडल कोऑपरेटिव मल्टी परपज़ सोसाइटी लिमिटेड, अजमेर से खरीदी गई थी। इस समय वह भारत सेवक समाज के पास है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : अब उस जीप का इन्चार्ज कौन है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : भारत सेवक समाज।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : उसके कन्वीनर साहब कौन हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : भारत सेवक समाज के संयोजक।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : उनका नाम बता दीजिये, हरिजनों का मामला है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उनका नाम श्री बालकृष्ण गर्ग है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : बाल-कृष्ण गर्ग हरिजन हैं या सवर्ण?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : गर्ग हरिजन नहीं होते, मेरी जहां तक जानकारी है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : हरि-जनों के काम के लिए उक्त जीप में दौरा किया तो अजमेर के किस-किस भाग में किया?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अलग प्रश्न पूछिये, मैं बता दूंगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : मैं सुन नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या जीप में दौरा किया था?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न करिये, सब उत्तर मिलेगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या जीप की देख-भाल नहीं की गई और वेल्युएशन से ज्यादा पैसा दिया गया था, जब कि जीप ५ हजार की थी?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऐसी बात नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : जीप से हरिजनोद्धार कैसे हो सकता है?

एक माननीय सदस्य : बैठ कर सैर की जा सकती है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : जीप का पैसा किस विभाग में डेबिट किया गया, हरिजन उद्धार में या और किसी में?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : भारत सेवक समाज को दी गई है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : हरि-जन उत्थान के लिए यह गाड़ी डेपूट की गई और उससे कुछ हुआ नहीं, क्या यह ठीक है?

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन नं० ३७३.

नायब तहसीलदार राजगढ़ (जिला चुरू)

श्री भीमसेन (श्री मोहरसिंह की अनु-पस्थिति में) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) श्री खींवकरण, नायब तहसीलदार कितने समय से राजगढ़ (जिला चूरू) में तैनात हैं?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्ति राजगढ़ के ही रहने वाले हैं?

(ग) क्या निरन्तर एक ही स्थान पर और वह भी निवास स्थान पर, इतने समय तक तैनात रखना नियमित है?

(घ) क्या उपरोक्त व्यक्ति के एक भाई राजस्थान सचिवालय में किसी उच्च पद पर काम करते हैं?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) :

(क) २२-५-५५ से ।

(ख) जी हां ।

(ग) नायब तहसीलदार की अपने निवास-स्थान पर एक ही जगह नियुक्ति नियम के विरुद्ध नहीं है ।

(घ) जी हां ।

श्री मुरलीधर व्यास : तैनात हैं, या क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष : Posted.

(अनुपस्थित)

श्री मनोहर कोठारी ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

१२.६ म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पहले मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री तेजमल बापना ने दिनांक २४ फरवरी से २८ फरवरी, १९५८ तक विधान सभा से अनुपस्थित रहने की आज्ञा चाही है ।

क्या सदन की अनुमति है कि उनको आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

१२.७ म०प०

श्रीमान् राज्यपाल से प्राप्त संदेश

मुझे श्रीमान् राजयपाल का संदेश प्राप्त हुआ है जो सदन की सूचनार्थ पढ़ देता हूं :

"प्रिय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक १० फरवरी, १९५८ को विधान सभा में दिये गये मेरे अभिभाषण पर सदन के सदस्यों ने जो आभार प्रदर्शित किया उसको प्राप्त करके मुझे अत्यन्त संतोष हुआ है ।

भवदीय,
गुरुमुख निहालसिंह"

१२. ८ म० प०

सदन की मेज पर रखी गई विज्ञप्ति

राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा-प्रतिबन्ध) आनियम, १९५१ के आनियम ८ में संशोधन

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं नियुक्ति विभाग (ए) विज्ञप्ति संख्या एफ. १४ (३) नियुक्ति (ए) ५८, दिनांक १६ जनवरी, १९५८, जिसके द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा प्रतिबन्ध) आनियम, १९५१, के आनियम ८ में संशोधन किया गया है, उसे सदन की मेज पर रखता हूं ।

१२.९ म० प०

पुरःस्थापित विधेयक

राजस्थान भूमि हस्तान्तरण (प्रतिबन्ध) विधेयक, १९५८

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूँ, "That the

(श्री दामोदरलाल व्यास)

Bill to prohibit certain transfers of lands in the State of Rajasthan, 1958 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

राजा श्री मानसिंह : May I enquire whether the provisions of Rule 92 of sub section (2) have been fully complied with, with regard to the iutroduction of this Bill.

श्री अध्यक्ष : That source by which the motion has been moved by the private member ?

राजा श्री मानसिंह : Is it a recommendation of the Government ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्या माननीय सदस्य बतायेंगे कि क्या ऐतराज है ?

श्री अध्यक्ष : वे ऐतराज सोच रहे हैं ?

राजा श्री मानसिंह : I think I am mistaken. I am looking to the rules...

श्री दामोदरलाल व्यास : He will have another opportunity . He can look to that later on.

श्री अध्यक्ष : He wants to avail all the opportunities.

(विराम)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ·

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे, जो इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहें और जो विपक्ष में हैं वे 'ना' कहें ।

(स्वीकृत)

हां पक्ष जीता । आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

राजस्थान वित्त (कृषि आयकर) विधेयक, १९५८

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान फाइनेन्स (एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स) बिल, १९५८ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान फाइनेन्स (एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स) बिल, १९५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड स्टाम्प ड्युटी लॉज (एक्सटेन्शन) विधेयक, १९५८

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (मंत्री, आबकारी तथा कर विभाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कोर्ट फी एण्ड स्टाम्प ड्युटी लॉज़ (एक्सटेन्शन) विधेयक, १९५८ को पुरः

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान सेल्स टेक्स (संशोधन) विधेयक, १६५८

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स टेक्स (अमेंडमेंट) विधेयक, १६५८ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान मद्य निषेध विधेयक, १६५८

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (मन्त्री, आबकारी तथा कर विभाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मद्य निषेध विधेयक, १६५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

१२.१२ म० प०

श्री अध्यक्ष : अब सामुदायिक योजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार खण्डों के विषय पर वाद-विवाद होगा।

सामुदायिक योजनाएं तथा राष्ट्रीय विकास खण्डों सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज और कल इस सदन में जिस सम्बन्ध में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका असर राजस्थान के भविष्य पर काफी दूर तक होगा, ऐसा कहा जाय तो गलत नहीं होगा। भारत सरकार के द्वारा श्री बलवन्त राय जी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी नियुक्त की गई थी और उस कमेटी ने सारे भारतवर्ष का दौरा करके खास तौर से कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में अपनी कुछ सिफारिशें कीं और जो उसने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सिफारिशें की उनकी कॉपी माननीय सदस्यों में वितरित की गई है । इसमें शक नहीं है कि उन कॉपीज़ का हिन्दी अनुवाद नहीं होने की वजह से बहुत से माननीय सदस्यों को दिक्कत हुई होगी, लेकिन इन सिफारिशों का काफी बड़ा वोल्यूम है, उसमें काफी चीजे तैयार की गई हैं, इसलिए इसका हिन्दी अनुवाद तैयार कराना भी बहुत मुश्किल काम था । अत: उसे तैयार करने में मुश्किलें आईं । बलवन्त राय कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं उन पर, खास तौर से राजस्थान की हालत को देखते हुए, हमें विचार करना है ।

उसकी जो मूल सिफारिश है, वह विकेन्द्रीकरण करने के सम्बन्ध में है । बलवन्त राय कमेटी ने सिफारिश की है कि अब तक ज्यादातर हमारी पंचायतें स्थानीय कुछ कार्यों के अलावा एक प्रकार से जुडिशियल का काम करती हैं, इसके अलावा हम विकास के कार्यों के अन्दर अधिक से अधिक उनको कोआॅर्डिनेट करें, उनका ज्यादा से ज्यादा कोआॅपरेशन लें और उनके साथ में मेल बैठायें । यह सही है, अध्यक्ष महोदय, जब देश में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य चल रहा है, उसको हम केन्द्रीय तरीके से चलाते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक समय आ सकता है कि जब केन्द्रीयकरण का परिणाम हमको मिले, वह जनतंत्र की प्रणाली पर भी असर डालने वाला हो । भारतवर्ष के अन्दर हमारे यहां अलग अलग गांवों की इकाइयां एक लम्बे अर्से से, और संस्कृति के अन्दर कहा जाय तो गलत नहीं होगा, जमी हुई थीं । वे अलग अलग गांवों की इकाइयां, जब देश में उतार चढ़ाव आये, कायम रहीं और उनके द्वारा भारत का कार्यक्रम चलता रहा । अब पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि वे इकाइयां कमजोर हुई हैं और इस बात की आवश्यकता है कि देश के विकास के अन्दर उनको ज्यादा से ज्यादा साथ में लें, उनको किस प्रकार से साथ लिया जा सकता है, किस तरह नहीं, यह विचार करने का प्रश्न होता है । आज पंचायतों का चुनाव राजस्थान के अन्दर करीब करीब सब जगह हुआ है । अलग अलग गांवों में पंचायतें काम करती हैं और विकास कार्यों के अन्दर, खास तौर से, जो अलग अलग गांवों में चलते हैं, अब तक जो प्रयत्न किये गये हैं, पंचायतों व दूसरे गैर सरकारी तरीकों से सहयोग प्राप्त करने के, उसमें पहला है कि ब्लॉक लेवल पर एक एडवाइज़री कमेटी होती है, जिसमें पंच और दूसरे लोग भी शरीक किये जाते हैं । उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एम. एल. एज़, गैर सरकारी सदस्य और कुछ सरकारी सदस्यों को मिला कर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी होती है, जिसके द्वारा कुछ मसलों पर विचार किया जाता है, सलाह ली जाती है कुल पर, और जो उसकी सलाह होती है, उस पर निर्णय किया जाता है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी हमारे यहां पर कुछ जगहों में चुने जा चुके हैं, कुछ जगह पहले से हैं और इस सदन में इस सम्बन्धी एक कानून भी पास किया गया है, जिसके अनुसार हम यह मान कर चलते हैं कि राजस्थान भर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव होने चाहिए । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव वैसे तो अब तक राजस्थान में सब जगह हो जाने चाहिए थे लेकिन चुनाव का क्रम जारी था, उस बीच में ही बलवन्त राय कमेटी के सदस्य यहां पर आये और उसके बाद जो रिपोर्ट आई, उससे हम लोगों को यह अहसास हुआ कि बलवन्त

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

राय कमेटी की सिफारिशों पर बातचीत करने के बाद, सोच-विचार करने के बाद हमें इस दिशा में निर्णय करना है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के वर्तमान स्वरूप की आवश्यकता रहती है या नहीं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है ।

मैं इस सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष कुछ मुद्दे रखना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जिसकी वजह से वे जो विचार जाहिर करें, उन विचारों को जाहिर करने के अन्दर सुगमता हो सके । कमेटी द्वारा कई पहलुओं पर विचार किया गया है, अलग अलग जो स्थिति हैं, उनके बारे में विश्लेषण किया गया है लेकिन इन पर कोई भी माननीय सदस्य अपने विचार जाहिर कर सकें, उस दृष्टि से कुछ बातें मैं सदन के समक्ष रख देना लाभप्रद समझता हूं । सबसे पहले, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें मूल में एक विचार-धारा दी गई है कि जो पंचायतों का संगठन हो वह बहुत बड़ा न हो, बल्कि उसकी आबादी हजार से पन्द्रह सौ तक की हो । हमारे यहां जो पंचायतों का संगठन है, वह पांच हजार की आबादी के आस-पास की आबादी के लिहाज से अलग अलग गांवों को मिला कर किया है । इस कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर यह भावना जाहिर की है कि जहां तक हो सके, एक गांव की युनिट हो तो उपयुक्त होगा । तो इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को अपने विचार जाहिर करने चाहिये कि क्या स्थिति उपयुक्त हो सकती है ?

दूसरी बात जो पंचायतों से सम्बन्धित है, वह यह है कि बलवन्त राय कमेटी ने यह सिफारिश की है कि आज जुडिशियल, एक्ज़ीक्युटिव और डेवलपमेंटल वर्क; इन तीनों के फंक्शन्स एक तरह से एक पंचायत में निहित हैं; उसके बजाय उनकी सिफारिश है कि जुडिशियल फंक्शन को, जो पंचायत युनिट है, उससे अलग किया जाय और कुछ पंचायतें मिला कर अलग से जुडिशियल पंचायत बनावें । हमारे यहां जो पंचायतें होती हैं वे बड़े दायरे की होती हैं । उनका ख्याल है कि पंचायत छोटी बनाई जायें तो उन पर नजदीकी असर पड़ने की ज्यादा सम्भावना है, इसलिए दूर हट कर वे बनाई जांय जिससे वे जो फैसला करें. उसमें निष्पक्षता आ सकती है । ये सब बातें उस रिपोर्ट में कही गई हैं । तो यह प्रश्न भी सोचने का हो जाता है ।

इसके साथ जो बलवन्त राय कमेटी ने कहा है वह यह है कि अगर ब्लॉक लेवल पर विकेन्द्रीकरण करते हैं तो ब्लॉक लेवल पर, जिसको ब्लॉक कमेटी कहते हैं, विकेन्द्रीकरण करना चाहिए । जो पंचायतें हों, उन पचायतों के प्रतिनिधि उस कमेटी के अन्दर आयें, जो बोर्ड कहलायेगा या विकास समिति कहलायेगा । ब्लॉक लेवल पर जो विकास समिति हो, उस जगह का जो बी० डी० ओ० होगा, ब्लॉक डेवलपमेण्ट ऑफिसर, वह उस समिति का सेक्रेटरी हो और इसके साथ ही जो टेक्निकल ऑफिसर हो, वे भी उस समिसि के अन्दर मेम्बर के तौर पर काम करें । जो ब्लॉक लेवल पर समिति बने, उसके चेयरमैन के बारे में बलवन्त राय कमेटी ने यह सिफारिश की है कि शुरू के अन्दर जो वहां के एस० डी० ओज़० हों, वे चेयरमैन रहें और कुछ समय के बाद, जिसे ट्रान्ज़ीशिनल पीरियड कहते हैं, वह पास हो जाय तो उसका चेयरमेन नोन ऑफिशियल व्यक्ति हो जाय । तो चेयरमैन ऑफिशियल

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हो या नोन आॅफिशियल हो, यह प्रश्न खड़ा होता है ।

एक और चीज है कि एक स्टेचुटरी बोर्ड हो ब्लॉक लेवल पर, उसके पास कुछ स्टेचुटरी पॉवर्स हों । उस स्टेचुटरी बोर्ड के बारे में कल्पना की जाती है, कि प्राइमरी एजुकेशन का मामला है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का मामला है, केटल वेल्थ के बारे में जो चीज है, पब्लिक हैल्थ का मामला है, ड्रिंकिंग वाटर का मामला है और विलेज इन्डस्ट्रीज़ का मामला है, ये सब मामले ब्लॉक लेवल कमेटी को सौंपे जाय, वह कमेटी इन सारी चीजों पर विचार करें ।

इसको करने के लिये जो डेवलपमेन्ट्स फंड्स होंगे वह तो समिति को प्राप्त होंगे, ब्लॉक हैं उसके फंड भी समिति के अन्दर आ जाते हैं । स्कूल्स की ओर से हैं, इस मामले में किस तरह कार्यवाही की जाय यह सोचने की बात होती है । फिर जो जिम्मेदारियां स्कूल चलाने, पब्लिक हैल्थ की, ड्रिंकिंग वाटर की और जो कल्पना इस रिपोर्ट में की गई है, बलवन्तराय कमेटी की सिफारिश है, जो लैंड रेवेन्यु आज सरकार को प्राप्त होते हैं, उसमें से ४० प्रतिशत इस ब्लॉक केवल पर जो ओर्गनाइज़ेशन्स बनें, इसको दिया जाय और उनको टैक्सेशन लगाने का अधिकार दिया जाय कि जो ब्लॉक लेवल पर कमेटी बने उसका मतलब यह है कि वैसे रेवेन्युज हों, क्या हों, एक हद तक गवर्नमेन्ट फाइनल करे और उनको अधिकार है कि फाइनेन्सेज़ रेज़ करने के लिये काम कर सकती हैं । इस तरह ब्लॉक लेवल पर कमेटी हो, इसकी कल्पना की है ।

डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बलवन्तराय कमेटी की राय है कि विकास परिषद् इसे कहिये, इसको जिला लेवल पर कायम करें, जो जिले के अन्दर काम करेगी और एडवाइज़री फंक्शन इसका हो जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेगी । इसमें प्रतिनिधि होंगे, ब्लॉक के प्रतिनिधि, इनके अतिरिक्त उक्त डिस्ट्रिक्ट्स के एम. पीज़., एम. एल. एज़. हैं वे भी इसके अन्दर होंगे । इनके अतिरिक्त डेवलपमेन्ट के डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफीसर्स हैं वे, एग्रीकल्चर के, इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, पी डब्लू. डी. के जो अधिकारी हैं वे भी इसके मेम्बर बनें । इसका फंक्शन यह होगा कि जो ब्लॉक लेवल पर डेवलपमेन्ट का बजट बने, जो स्टेचुटरी बोडी होगी ब्लॉक लेवल पर, वह बजट जिला परिषद के पास जायगा, वह उस बजट को स्वीकार करेगी, इसके बाद उस बजट के अनुसार ब्लॉक लेवल की कमेटी काम कर सकती है । इस तरह इस व्यवस्था को जिले के लेवल तक किया है, जो ब्लॉक लेवल पर काम करेगी, वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अफसर होगा उसके तहत काम करेगी ।

इस कमेटी की रिपोर्ट में और भी बहुत सारे पोइन्ट्स हैं, विलेज लेवल वर्कर्स की तादाद बढ़ाई जाय, १० से बीस की जाय, स्टोकमैन को काम किया जाय । ये सब एडमिनिस्टेटिव टाइप की चीजें हैं, जिन पर कोई विचार जाहिर करना चाहें तो कोई एतराज़ की बात नहीं, पर हमारे सामने मुख्य सवाल यह है कि जहां पर पचानतों की व्यवस्था है, इसके बाद तहसील पंचायतों की, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की व्यवस्था है, उसके बजाय यह कहा जा सकता है कि ब्लॉक लेवल की और जिला लेवल की एक स्टेचुटरी बोडी रखें । दो दो लेवल पर स्टेचुटरी बोडी होती है, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो टैक्सेशन का भार ज्यादा हो जाता है, इसलिये ब्लॉक लेवल पर ही होना चाहिये । यह उनका सुझाव है । दो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लेवल्स पर स्टेचुटरी बोडी होती है तो टेक्सेशन ज्यादा बढ़ जाता है और ओवर लेपिंग होना शुरू हो जाता है।

मूल कल्पना इसकी यह है कि भारत के विकास के लिये यह हो कि घर-घर से, गांव-गांव की कल्पना है, गांव-गांव आत्मनिर्भर हो कर उसमें प्रेरणा और उत्साह पैदा हो और हर गांव यह समझने लगे कि हमारे घर के अन्दर, हमारे गांव को, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिये सक्रिय काम कर रहे हैं, यह गांवों के आदमियों को इनिशियेटिव देने के लिये है, जिससे हर गांव के लोग डेवलपमेन्ट के काम में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकें, उनमें एक प्रकार की दिलचस्पी पैदा हो और वे लोग डेवलपमेन्ट के काम में सक्रिय योग दे सकें।

एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, कोऑपरेशन का सवाल हमारे सामने आता है., कल्पना यह है कि एक, दो या तीन गांवों की पंचायतें हैं, उस पंचायत के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ग्राम पंचायत और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वे सब मिल कर काम करें। कोऑपरेशन एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन को बढ़ाने के लिए एक सबसे आवश्यक सवाल है, इसके अलावा केटल इम्प्रूवमेंट के लिए, इन्डस्ट्रीज़ के लिए, इन सारी चीजों के लिए यह एक आवश्यक अहम् सवाल है, जो देश में समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है उसके लिए कोऑपरेटिव ढंग पर सारी चीजों को उठाया जाना आवश्यक हो जाता है। कोऑपरेटिव ढंग पर देश नहीं बढ़ता है तो घूम-फिर कर यही आता है कि कोऑपरेटिव के सिद्धान्त को छोड़ कर ओटोक्रेटिक तरीके पर चलायें। हमारे देश के अन्दर यह एक नया परीक्षण चल रहा है। पहले पुराने समय में इकोनोमी के प्लान किए गए, वे पुराने तरीके पर किए गए, उनमें ओटोक्रेटिक रिजीम रही है जिससे वे लोग बढ़ सकें, डिक्टेक्टरशिप के तरीके पर, हम उसको जनतन्त्रीय तरीके पर बढ़ाना चाहते हैं, हम इस कल्पना को गांव में पहुंचा कर गांवों के व्यक्तियों के जरिये इस योजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

यह काफी गंभीर प्रश्न है, जिस पर हमें फैसला करना है। यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि कहा जा सकता है कि इसमें यह कमियां हैं, गांवों में निरक्षरता है पर हमें इतना मानना होगा कि हमारे गांवों के रहने वाले जो लोग हैं, उनमें सामान्य ज्ञान काफी है, वे लोग अपनी भलाई-बुराई को अच्छी तरह सोचते—समझते हैं, विकास के कामों में वे लोग, आपने पिछले अर्से में देखा कि अच्छी तरह समझ कर वे उसमें सहयोग देते हैं। आगे बढ़ने की उत्कण्ठा उनके दिलों में है। पंचवर्षीय योजना में काफी जगह उन्होंने सहयोग किया है।

मैं मानता हूं कि खामियां जरूर रही हैं, खामियां हैं, अनुभव के साथ वे चीजें ठीक होंगी। ज्यों ज्यों इस मामले में हमारा अनुभव बढ़ता जायगा त्यों त्यों ये खामियां दूर होंगी और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते जायेंगे। रुकने से, आगे नहीं बढ़ने से हम समझते हों कि सारे सुधार हो जायेंगे तो मैं समझता हूं कि यह एक दम असंभव है। हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमें विश्वास पूर्वक आगे बढ़ना होगा, यह मान कर आगे बढ़ना होगा कि जनतन्त्र में राज्य जनता का है, उन पर भरोसा करते हुए, उनको वह छुट्टी देना चाहते हैं जिसकी वजह से वे कार्य

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

करें, उस कार्य के करने में जितने ही आम लोग सफल होंगे उतनी ही तेजी के साथ हम विकास के कार्यों में सफल हो सकते हैं, यह निश्चित बात है।

यह प्रश्न उठ सकता है कि जो विकास हम करना चाहते हैं, उसके लिए जो विकेन्द्रीकरण हम करना चाहते हैं, वह किस लेवल पर करें, ब्लॉक लेवल पर करें या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल से मेरा मतलब यह है कि एक विचार धारा हो सकती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेचुटरी पॉवर, ज्यादा पॉवर्स दें और पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट का सम्बन्ध हो, बीच की स्थिति नहीं हो, क्योंकि यह तो मुश्किल होगा कि पंचायतों को स्टेन्ड करने के लिए हैं जो फंड्स तीन चौथाई (३.४) पंचायतों को दें और पंचायतें आगे काम करें, यह कल्पना इसमें है। जो फन्ड है उसमें भी कल्पना की गई है कि ३।४ तक वे उस पंचायत को दें और वे इनिशियेटिव लेकर आगे काम करें। इसलिए पंचायतों को स्ट्रेंग्थन करने की बात आती है तो पंचायतें और ब्लोक लेवल की पचायतें बनती हैं और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायतों को उसके साथ जोड़ते हैं तो इससे सबका क्या मेल बैठ सकता है और कैसे बैठेगा और क्या होगा, यह एक विचारधारा भी आती है कि यदि पचायतें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करते हैं तो ज्यादा इनिशियेटिव होता है, बनिस्पत इसके कि दूर बैठ कर काम किया जावेगा। उससे ज्यादा नजदीक बैठ कर यदि सारा डेवलपमेंट का कार्य किया जावेगा तो उसमें ज्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है और दूर में नहीं होगी। यह सारी की सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी कि किस तरह से आगे बढ़ना है और हम किस स्टेज पर हैं। इसका मतलब यह कि हम अभी यह सोचते हैं कि एजुकेशन और पब्लिक हैल्थ आदि की व्यवस्था उनके हाथ में सौंप दी जावे। क्या हम दोनों एक साथ सौंपने की बात सोचते हैं या धीरे धीरे हम उनको ट्रान्सफर कर दें? दूसरी बात यह ध्यान में आती है कि क्या परीक्षण के रूप में कुछ ब्लाकों में करें और उसके बाद में सारे राजस्थान में करें या पहले एक डिस्ट्रिक्ट में लागू करें और देखें कि किस तरह से हम इस काम में आगे बढ़ रहे हैं और जो इसके उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति में आगे बढ़ सकें।

मैं एक और बात निवेदन करना चाहता हूं और माननीय सदस्य उस पर विचार करेंगे। इसमें जहां पर प्राइमरी एजुकेशन है या और सर्विसेज़ हैं उसके सम्बन्ध में भी विचारणीय विषय है। जहां बहुत सी स्टेटों में प्राइमरी एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के तहत में चलती हैं, हमारे यहां प्राइमरी एजुकेशन राज्य सरकार का एक अंग है और दूसरी नौकरियों में भी है और जो पूरा स्टाफ ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर्मचारी काम करेंगे उनका रिक्रूटमेन्ट कैसे होगा? उनके साथ डिसप्लिनरी एक्शन के लिए क्या व्यवस्था होगी? क्या जिलों के लेवल पर व्यवस्था होगी या राज्य के लेवल पर व्यवस्था होगी या ब्लोक लेवल पर वे रिक्रूट किये जावेंगे? किस प्रकार से यह व्यवस्था सबके लिये सहायक और लाभप्रद हो सकती है। ये प्रश्न काफी महत्व के हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से अन्तिम निर्णय नहीं करके सदन के सदस्यों की जानकारी के लिए रखा गया है। जहां तक नीति का प्रश्न है वह विकेन्द्रीकरण की होनी चाहिये। मैं यह कहूंगा कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

राज्य सरकार विकेन्द्रीकरण के पक्ष में है । क्या क्या सवाल इसमें जुड़े हैं, क्या तरीका है वे सब हमने आपके सामने रखे हैं जिनके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सकी है। इससे अधिक इस अवसर पर कुछ नहीं कहना है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इस पर विचार करने और निर्णय पर पहुंचने में काफी मदद मिलेगी।

श्री चन्दनमल वेद (सरदारशहर) : अध्यक्ष महोदय, बलवन्तराय टीम ऑन कोम्युनिटी प्रोजेक्ट्स ने जो सुझाव पेश किये है उस सिलसिले में आपने (मुख्य मंत्री महोदय ने) अपने विचार अभी प्रस्तुत किये हैं उस सिलसिले में मैं भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। बलवन्तराय टीम ने विकेन्द्रीकरण का ढांचा आपके सामने रखा है कि ब्लोक लेवल पर एक पंचायत कमेटी हो और उसके नीचे ग्राम पंचायतें हों और जिला लेवल पर जिला परिषद् हो उसका नतीजा राजस्थान की हालत को देखते हुए यह होगा कि हमारे यहां आज जो तहसील पंचायतें चल रही हैं और जिला बोर्ड चल रहे हैं उनको हमें भंग करना होगा और जो विकेन्द्रीकरण का तरीका उन्होंने सुझाया है वह ऐसा मालूम होता है, दूसरी स्टेटों की तो मैं नहीं कह सकता लेकिन कम से कम मैं राजस्थान के लिए तो कहूंगा कि वह पूरा नहीं बैठता। यह दूसरी बात है कि आज जो पंचायतों का ढांचा चल रहा है और उसमें जो खामियें हैं उनको दूर करना पड़े। लेकिन साधारण तौर पर देखा जावे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जो सुझाव बलवन्तराय टीम ने दिया है वह राजस्थान की हालत को देखते हुए फिट बैठता है। विकास के कामों की कमी को देखते हुए यह जरूरी है कि सारे काम जयपुर में या जिलों में पंचायतों के मारफत किये जावें। आज हमने बहुत से अधिकार हमारे यहां पंचायतों को दे रखे हैं। बलवंतराय टीम ने यह बताया है कि पंचायतें ज्यादातर जुडिशियल काम कर रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती हैं, और विकास की तरफ कम ध्यान देती हैं। मैं यह कहूंगा कि इसमें कुछ कसूर पंचायतों का है तो कुछ हमारा भी हो सकता है। हम सब को यह देखना होगा कि जब आज सारा हिन्दुस्तान विकास की तरफ ध्यान दे रहा है तो हमारा फर्ज हो जाता है कि उनको जुडिशियल काम से निकाल कर विकास की ओर ज्यादा ध्यान दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हर देहाती में विकास की भावना पैदा नहीं कर सकते क्योंकि वे इसका प्रचार नहीं कर पाते। यह तभी हो सकता है जब वे अपने दूसरे कामों से छुटकारा पा कर अपने विचारों को पूरा कर सकें। मैं समझता हूं कि उनकी इन बातों को ध्यान में रखते हुए बलवन्तराय टीम ने सुझाव दिया है कि पंचायतों को जो जुडिशियल पॉवर्स हैं उसके लिये वे ग्राम पंचायतों को अधिकार दें कि हर पंचायत के लिये वे दो आदमियों का सुझाव करें कि ये व्यक्ति जुडिशियल काम के लिये नियुक्त हैं और वे यह काम करेंगे या जुडिशियल काम के लिये एक पेनल बहुत से आदमियों की चुन लें जो २० या ३० ग्राम पंचायतों में से हो और उनको कलेक्टर या एस. डी. ओ. कुछ पॉवर्स दे दें कि ये लोग जुडिशियल पॉवर का उपयोग करेंगे। मैं समझता हूं कि न्याय देने की दृष्टि से भी यह एक सबसे अच्छा तरीका होगा क्योंकि एक ग्राम पंच जो उसी ग्राम में, उसी हलके में रहने वाला है जब न्याय करना चाहता है तो उसको यह सोचना होता है कि अच्छा न्याय देना चाहिये जिससे वह

(श्री चन्दनमल वेद)

निष्पक्ष न्यायी हो सके। दूसरी दिक्कत यह आती है कि कोई इन्साफ करने वाला इन्फ्लुएन्शिल आदमी हो तो वह सोचता है कि उसको अगर वोट लेने के लिए जाना पड़ेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। इसलिये न्याय देने वाला थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान देकर अच्छा न्याय दे सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह सुझाव बहुत उपयोगी है।

दूसरी जो हमारी दिक्कत है वह यह है कि हमारे यहां पंचायतें बनी हुई हैं वे किसी सीमा के आधार पर नहीं बनी हुई हैं। कहीं पर ६००-७०० की आबादी और कहीं पर ५,०००-६००० की आबादी पर बनी हुई हैं। इससे बहुत दिक्कत आ रही है। अभी हमारे यहां पंचायतों का चुनाव चल रहा है। मैं समझता हूं कि इस टीम की रिपोर्ट पर हमें गम्भीरता से सोचना चाहिये और सरकार की यह राय हो कि इस पर अमल करें, तो मैं समझता हूं कि उन चुनावों को थोड़े से एक दफा देर करके या पोस्टपोन्ड करके विचार करना चाहिए कि उनकी कोई सीमा मुकर्रर कर दी जावे। अगर हम यह चाहते हैं कि २००० की आबादी पर हो तो २००० की आबादी पर होनी चाहिये और यदि ५,००० पर कायम करनी हो तो पांच हजार पर होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कहीं ८० और कहीं १५० पंचायतें नहीं होंगी और यह जो असमानता है उसको, मैं समझता हूं, हटानी चाहिये।

तीसरी जो दिक्कत हमारे राजस्थान में इन चुनावों को अमल में लाने में हो सकती है वह यह है कि पंचायतों में जो चुनाव होते हैं वे हाथ उठा कर होते हैं। जब हम पंचायतों को अधिक अधिकार दे रहे हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि उन पंचायतों में निष्पक्ष और अच्छे व्यक्ति आवें। लेकिन जब वोट हाथ उठा कर होते हैं तो स्थानीय, जो मनी लैन्डर्स हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं वे उनमें आ जाते हैं और दूसरे आमतौर से जो दबे हुए समाज के व्यक्ति होते हैं, उनकी उनके सामने हिम्मत नहीं होती है कि वे चुनाव लड़ सकें। इसलिए बलवन्तराय टीम ने इस सम्बन्ध में इंगित किया है कि या तो उनमें मनी लैंडर्स होते हैं या जो चौधरी लोग होते हैं जो विशेष कर विकास के कार्यों में इन्ट्रेस्टेड नहीं होते हैं और उनमें आने के लिए किसी दूसरे माने में इन्ट्रेस्टेड होते हैं, वे उनमें आ जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो चुनाव की पद्धति है उसको हमको बदलना ही पड़ेगा।

ये जो मैंने सुझाव दिये हैं उनको मान लेने के बाद जो बलवन्तराय टीम ने सुझाव दिए हैं उनके साथ उनको राजस्थान में लागू कर सकते हैं, इससे जो सत्ता का और विकास का आज केन्द्रीयकरण हो रहा है उसका विकेन्द्रीकरण हो सकता है और आज जो विकास के माने में काम कर रहे हैं, इन सुझावों को लागू करने के पश्चात् विकास में अधिक गति ला सकते हैं, अधिक विकास कर सकते हैं।

अब आपको यह शंका यहां हो सकती है कि यदि पंचायतों को अधिक अधिकार दे देंगे तो उनका दुरुपयोग हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन यह बात मानी जानी चाहिये कि प्रजातन्त्र में प्रजा ही सब कुछ होती है? वास्तविक सत्ता प्रजा के हाथ में रहती है प्रजातन्त्र में, और चूंकि कोई गड़बड़ हो जायगी, प्रजा को अधिक अधिकार दिये जावेंगे तो गड़बड़ हो जायगी, उनका दुरुपयोग हो जायगा इसलिए

(श्री चन्दनमल वेद)

उनको अधिक अधिकार नहीं देने चाहिए, यह बात आज के इस प्रजातन्त्र के युग में नहीं चल सकती । पहले पहल हो सकता है कि अधिकारों का कुछ दुरुपयोग हो लेकिन समय ज्यों-ज्यों व्यतीत होगा इस प्रकार के दुरुपयोग अगर कोई हो भी जाते हैं तो वह दूर हो जावेंगे । लेकिन यह भय है कि चूंकि दुरुपयोग होगा इसलिए अधिक अधिकार नहीं दिये जाने चाहिए तो मैं कहूंगा कि, अध्यक्ष महोदय, कि यह शंका तो विधान सभा के लिए भी हो सकती है कि आज विधानसभा की क्या आवश्यकता है, अधिक अधिकार देने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि यहां जो एम.एल.एज़. चुनकर आवेंगे तो वे भी उन अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे इसलिए इस प्रकार की दलील कोई माने नहीं रखती है । मैं मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यदि शुरू-शुरू में दुरुपयोग होता है तो यही दुरुपयोग आगे जाकर एक गहरी प्रजातन्त्र की नींव डालता है । आज अधिकारों का यदि दुरुपयोग होता है, जो लोग इसके शिकार होते हैं उनकी समझ में आ सकता है कि पंचायतों को जो अधिक अधिकार मिलें उन पंचायतों में अधिक अच्छे और निष्पक्ष व्यक्ति चुन कर आवें और उनको वहां चुन कर भेजा जाना चाहिए । इसलिए शुरू-शुरू का दुरुपयोग आगे जाकर पंचायतों में प्रजातन्त्र की गहरी नींव डाल सकता है, यह मानना चाहिए । यदि पंचायतों को अधिक अधिकार नहीं देते हैं तो उनमें अच्छे आदमी आने वाले नहीं । विधान सभाओं को आज अधिक अधिकार दिये गये हैं, यदि अधिकार अधिक नहीं होते हैं तो आज विधान सभाओं में जो केलीबर है वह केलीबर फिर नहीं रहने वाला है । माननीय सदस्य मुझे माफ करेंगे, मैं यह नहीं कहता कि आज विधान सभा में केलीबर नहीं है, है केलीबर; लेकिन अधिक अधिकार दिये जाते हैं तो उनसे भी अधिक केलीबर के लोग इन विधान सभाओं में आ सकते हैं । आज यह कहें कि चूंकि गांवों के लोग अनपढ़ हैं, शुरू में ही पंचायतों को अधिक अधिकार देते हैं तो उन अधिकारों का दुरुपयोग होगा, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की शंका निर्मूल है । यही शंका तो हमारे ऊपर हुकूमत करने वाले अंग्रेज थे तब वे भी अपने शासन में इस प्रकार की शंका करते थे कि हिन्दुस्तानी शासन करने लायक नहीं हैं । यही आर्ग्युमेन्ट आज हम दें तो यह समय के साथ मौजू नहीं होगा ।

दूसरा सवाल जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वह है जो छोटे मोटे कस्बे हैं उनकी उन्नति का । बलवन्तराय कमेटी ने इस सम्बन्ध में बहुत ही उपयोगी सुझाव दिये हैं । पहला सुझाव दिया है कि जहां पंचायत समितियां बनें वहां छोटे मोटे कस्बे आते हैं तो वहां म्युनिसिपेलिटी अर्बन न मान कर रूरल म्युनिसिपेलिटी स्थापित कर देनी चाहिए और उसका प्रतिनिधित्व पंचायत समितियों को दे देना चाहिए जिससे कि छोटे मोटे कस्बों की उन्नति का सवाल हल हो जायगा । लेकिन माननीय अध्यक्ष, मैं इससे भी कुछ आगे जाना चाहता हूं । आज राजस्थान में फसली छोटे एरिया के जो कस्बे हैं वे दर असल में कस्बे नहीं हैं किन्तु छोटे-छोटे गांव हैं । वहां के लोग छः महीने खेती करने के बाद छः महीने एम्प्लोयमेन्ट को ढूंढने के लिए आस पास के या दूसरे बड़े बड़े कस्बों में या शहरों में चले जाते हैं । दूध बेचने के लिए, घास बेचने के लिए या दूसरा एम्प्लोयमेंट ढूंढने के लिए देहात के रहने वाले लोग शहरों में या बड़े कस्बों में चले जाते हैं । छोटे मोटे कस्बों में ज्यादातर आबादी होती

(श्री चन्दनमल वेद)

है वह किसानों की होती है। इसलिए उन गांवों के किसानों को उन किसानों से अलहदा करना उपयुक्त नहीं होगा। जो फायदा दूसरे किसानों को देना चाहते हैं वही फायदा उन कस्बों में बसने वाले किसानों को न देना ठीक नहीं होगा। जो किसान पूरे एम्प्लोयमेंट प्राप्त करने के लिए थोड़े बड़े कस्बों में या शहरों में आकर बस जाते हैं उन लोगों को उनसे अलग करना और लाभ से उनको वंचित करना यह उनके प्रति न्याय करना नहीं होगा। इस प्रकार के कस्बों को पंचायत समितियों के नीचे दे दें और उनमें उनका प्रतिनिधित्व पंचायत समितियों में रख देते हैं तो यह उपयुक्त होगा। बलवन्तराय कमेटी ने सुझाव दिये हैं कि १० हजार तक की आबादी के कस्बों को ले लें, लेकिन, माननीय अध्यक्ष, मेरी राय है कि यदि २० हजार तक की आबादी के कस्बों को भी इसमें ले लें तो उपयुक्त होगा।

श्री सोहनलाल भटनागर : सरदार शहर की आबादी कितनी है?

श्री चन्दनमल वेद : ३० हजार की है। वह इसमें नहीं आवेगा। माननीय सदस्य मुझे माफ करेंगे, यदि वे इसके बड़े मसले पर ही विचार करें तो अच्छा है और सरदारशहर, बीकानेर, जोधपुर आदि की भावना से दूर रह कर विचार करें तो अच्छा है। सरदार शहर, जोधपुर, बीकानेर की मेरी भावना, जैसी उनकी है, नहीं है, कितना जनता का फायदा कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं और उनमें उनका कितना प्रतिनिधित्व दे सकते हैं, यह मेरी भावना है। यदि वे समझते हैं कि मेरी भावना दूसरी है तो वे मुझे माफ करें, मेरी भावना वैसी नहीं है।

आगे जाकर इस सिलसिले में बलवन्तराय टीम ने एपेन्डिक्स दी है कि किन किन बातों पर स्टेडी करना चाहिये। इस विषय में भी इंगित किया है कि जहां अर्बन पोपुलेशन है उसके विकास के लिए एक ऐसी टीम बननी चाहिए कि जो रिपोर्ट पेश करे कि जो अर्बन पोपुलेशन है उसका विकास कैसे हो सकता है? वह स्टडी टीम कब बनेगी, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन तब तक उन छोटे २ कस्बों को पंचायत समितियों में शामिल कर लिया जाय तो उपयुक्त होगा।

दूसरा प्रश्न आता है सत्ता के विकेन्द्रीकरण का। बलवन्तराय कमेटी ने अपने विचार जिलों तक प्रकट किये हैं। आगे विचार क्या प्रकट नहीं करने चाहिए थे, यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेन्स है उससे आगे वे नहीं कर सकते हों। लेकिन जिला स्तर पर ग्राम पंचायतों को अधिकार दे देते हैं तो उससे हमारे राजस्थान का और देश का पूर्ण विकास हो जावेगा, ऐसी हमारी मान्यता नहीं है। दूसरों को भी तो विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा। इतनों से ही काम चलने वाला नहीं है। यह वक्त के लायक है कि जो बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं उन पर भी विचार प्रकट किये जांय। सबसे पहले जो बात इस विषय में मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनका इस तरीके से ओवर लेपिंग काम होता है कि आज यह पता नहीं चल सकता कि कौनसा काम कहां होगा? आज निश्चित रूप से इसका पता नहीं लगता। शिक्षा को ही ले लीजिये। जिलों में डिप्टी इन्स्पेक्टर्स हैं और डिविज़नल हैडक्वार्टर्स पर डिप्टी डाइरेक्टर्स। गावों के जो स्कूल के मास्टर्स हैं उनका तबादला क्या डिप्टी इन्स्पेक्टर्स करें या डिविज़नल हैड क्वार्टर पर रहने वाला डिप्टी डाइरेक्टर

(श्री चन्दनमल वेद)

करें ? यह कोई निश्चित पता नहीं। यदि डिप्टि इन्स्पेक्टर कर देता है तो डिप्टी डाइरेक्टर उसको रोक देता है और डिप्टी डाइरेक्टर कर देता है तो डिप्टी इन्स्पेक्टर रिपोर्ट कर देता है कि इस प्रकार से गड़बड़ हो जावेगी। इस प्रकार से आज ओवर लेपिंग फन्क्शंस हो जाते हैं और इसके कारण का कहीं भी पता नहीं चलता। सेन्टर का यही हाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेन्टर जयपुर के अलावा कहां है, उनको कोई पता नहीं। लेकिन यदि जिले की दृष्टि से प्रशासन करते हैं, यदि उस जिले को मजबूत नहीं बनाते हैं तो यह विकेन्द्रीकरण पूरा नहीं होता है। राजधानी के अलावा जो डिविज़न के बेसिस पर या दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैडक्वार्टर्स बना रखे हैं, जो केन्द्र बना रखे हैं उनको तोड़ देना चाहिए, उसके बगैर विकेन्द्रीकरण पूरा नहीं होगा। आज कलेक्टरी को मजबूत नहीं बनाते तो निश्चित रूप से विकेन्द्रीकरण करने की भावना जो इस टीम ने व्यक्त की है वह पूरी नहीं हो सकेगी। हर काम के लिये आज ऐसा महसूस होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसके द्वारा यह सब को मालूम हो जायगा कि सारी संपत्ति जयपुर से चल कर जिले में केन्द्रित हो गई है और फिर जिले से ग्राम पंचायतों में केन्द्रित हो जाती है तो बहुत अच्छा होगा।

आज हाल यह है कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में कुछ दफ्तर हैं और कुछ डिवीज़नल हैडक्वार्टर पर भी दफ्तर होते हैं, आज यह पता नहीं कि डिवीज़नल हैडक्वार्टर क्या जिला हैडक्वार्टर के दफ्तर को आज्ञा दे सकता है या नहीं। आज डिवीजन वालों को पता नहीं कि जिला हैडक्वार्टर पर जो दफ्तर हैं उनको कितनी पॉवर्स दी जानी चाहिये। आज इससे चारों तरफ एक प्रकार घपलेबाजी होती है जिससे विकास में बहुत बाधा उपस्थित होती है। डिवीजनों के आधार पर जितने भी हमने दफ्तर खोल रक्खे हैं उन दफ्तरों को बन्द कर देना चाहिये और जिला हैडक्वार्टर पर जितने भी दफ्तर हैं उनका हैड कलेक्टर को बना दिया जाना चाहिये। ऐसा हम कर दें कि जिला हैडक्वार्टर में जितने भी दफ्तर हैं वे सब कलेक्टर के अन्डर में कार्य करेंगे, इसी प्रकार की विकेन्द्रीकरण की भावना इस टीम ने व्यक्त की है, वह इस प्रकार से पूरी हो जाती है। मान लीजिये हम कलेक्टर को पॉवर्स देते हैं लॉ एन्ड ऑर्डर्स मेन्टेन करने के, तो उसके पास इसके लिये डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट होगा, एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट्स होंगे। इसी तरह से रेवेन्यु के काम के लिये एडीशनल कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर आदि दे सकते हैं। इसी तरह से पंचायतों और म्युनिसिपल बोर्ड्स के लिये रीज़नल इन्स्पेक्टर आदि रखे जा सकते हैं और इसी प्रकार लोकल इन्डस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देने के लिये असिस्टेन्ट डाइरेक्टर, कॉमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज़ या इसी प्रकार के किसी अधिकारी को वहां रखा जा सकता है, इस प्रकार सारे डिपार्टमेन्ट्स के हैड की तरह कलेक्टर को अधिकार दिये जा सकते हैं, ये सब दफ्तर कलेक्टर के अधीन रहकर काम करें। इस प्रकार करने से हम सही मायने में इस रिपोर्ट का अनुकरण कर सकते हैं और साल की शुरूआत में हम इनको बता सकते हैं कि आपके जिले के लिये ये-ये टार्गेट्स हैं आपको इस प्रकार लोकल इन्डस्ट्रीज़ के लिये काम करना है इस जिले में म्युनिसिपल बोर्ड और पंचायतों के सिलसिले में इस प्रकार काम करना है उसके लिये आप डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर या और किसी प्रकार की पोस्ट कर दीजिये। इस प्रकार

(श्री चन्दनमल वेद)

जब कलेक्टर को इन सब चीजों के लिये जिम्मेवार बना देते हैं तो उसको भी यह होगा कि मेरे पास इतने अफसर हैं जो मुझे इन कार्यों में सहायता देने के लिये हैं और इसके अलावा जन प्रतिनिधियों की भी परिषद् मेरे पास है। इस तरह से विकास का ज्यादा काम और ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। कम से कम जयपुर में बैठने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को या विधान सभा के सदस्यों को, माननीय मंत्रियों को ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वे तो उस कलेक्टर से यह पूछेंगे कि आपको इतना टार्गेट दिया था यह जिला परिषद् आपके पास थी, आपने क्या क्या काम किया है? हम उनसे इसका जवाब मांग सकते हैं, हर तीसरे महीने इन कार्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग सकते हैं।

शिक्षा विभाग के बारे में मैं अर्ज करूं; यदि किसी शिक्षा के विषय को लेकर लिखना होता है तो डिप्टी डाइरेक्टर बीकानेर को लिखना होता है, चूरू जिले को लिख नहीं सकते। यह जो ढर्रा पड़ा हुआ है इसको बन्द करना चाहिये, हमें जिले के हैडक्वार्टर को मजबूत बनाना चाहिये और सत्ता का विकेन्द्रीकरण जिले में हो तो यह सब से अच्छा होगा। इस विषय में सरकार को अपने विचार व्यक्त करने चाहिये और निर्णय लेना चाहिये।

इस टीम ने कुछ सुझाव और भी दिये हैं। हमारे जो एन० ई० एस० ब्लॉक्स और प्रोजेक्ट्स हैं उन पर फिजूल खर्ची हो रही है, उसको रोकने के लिये सुझाव भी दिये हैं। मैं समझता हूं ये सुझाव बहुत उपयोगी हैं। टीम ने सुझाव दिया है कि इसको पूरी तरह से अमल में लाने में हमारा खर्चा ज्यादा बढ़ेगा, उस बढ़े हुए खर्च को किस प्रकार से बेलेन्स कर सकते हैं, किस प्रकार खर्च में कमी कर सकते हैं उस पर भी सुझाव दिये हैं। हमने जो ब्लॉक्स के अन्दर जीपें दी हैं उनको ले लिया जाय। सरकार यह कह सकती है कि अगर ऐसा करते हैं तो जो पहाड़ी इलाका है राजस्थान के अन्दर, रेगिस्तानी जो इलाका है उसमें ब्लॉक डेवलपमेन्ट अधि-कारी दौरा नहीं कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष, मैं इस कमेटी की इस रिपोर्ट से पूरी तरह से सहमत हूं जीपें दौरा करने में सहायक नहीं होती हैं बल्कि बाधक होती हैं। मान लीजिये ये अधिकारी सुबह किसी गांव को जाते हैं तो उनका इरादा यह रहता है कि भोजन के समय वापिस वे हैडक्वार्टर पर पहुंच जायं, क्योंकि देहातों में और उस गन्दे वातावरण में वे लोग ज्यादा ठहरना पसन्द नहीं करते, उनके लिये वहां सुविधाजनक वातावरण न होने के कारण वे जल्दी से जल्दी वहां से भागने का प्रयत्न करते हैं और अपने निवास स्थान पर पहुंचने की चेष्टा करते हैं, इससे वे गांव वालों में घुल-मिल नहीं सकते, वहां विकास कार्यों को पूरी तरह से देख नहीं पाते। मेरा तो यह मानना है कि अगर पंचायत लेवल पर जो समिति के अधिकार हैं कि वे गांवों में जांय वहां एक दिन नहीं, दो-चार दिन तक रहें और वहां की हालात से परिचित हों, वहां क्या क्या काम करने जरूरी हैं उस बारे में पूरी जानकारी हासिल करें, सभी ब्लॉक डेवल-पमेन्ट अधिकारी सही मायने में, ब्लॉक्स में कार्य कर पायेंगे तभी, हमारे देहातों का विकास हो सकेगा। आज जिनके पास जीपें होती हैं वे बी० डी० ओज क्या करते हैं दस बजे किसी गांव में पहुंचे तो बारह बजे घर जाकर खाना खाते हैं। लेकिन जब उनको ऊंट की सवारी

(श्री चन्दनमल वेद)

या घोड़े की सवारी या पैदल जाना पड़ेगा तो वे पैदल जाकर गांव के आदमियों से मिलेंगे उनसे सलाह मशविरा करेंगे । इस वास्ते जो कमेटी के सुझाव आये हैं कि ब्लॉक का एरिया छोटा हो, यह भी आवश्यक है, ताकि इससे क्या होगा, अधिकारी एक एक गांव के आदमी से मिल सकेगा, उन आदमियों को, पंचायत समिति के लेबल के अधिकारी होंगे, वे उनसे परिचित हो सकेंगे । वे एक एक परिवार के सदस्य से परिचित होकर उनमें रमेंगे तभी वे गांव की समस्याओं को समझ सकेंगे । अन्त में मैं केवल इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं कि जो सुझाव बलवन्तराय कमेटी ने दिये हैं उस पर सरकार बहुत गंभीरता से विचार करे । मेरी मान्यता है जिला ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला समितियां; ये तीन प्रकार की समितियां कायम करने की सिफारिश की है उसका मैं समर्थन करता हूं । आशा करता हूं कि सरकार इसको जरूर मानेगी । इस सिलसिले में तहसील पंचायतों में फेरफार भी करना पड़े तो मैं इसको आवश्यक समझता हूं । साथ ही विकास के लिहाज से इस प्रकार जो भी कार्य करने जरूरी हों उनको किया जाना चाहिये ।

श्री रघुबीरसिंह (जावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए जो बलवन्तराय कमेटी ने सिफारिश की है इसका मैं भी स्वागत करता हूं । लेकिन देखना यह है कि जो योजना विकेन्द्रीकरण की इन्होंने प्रस्तुत की है उससे हमारा कितना भला होता है, उस प्रकार का वास्तविक विकेन्द्रीकरण सम्भव होगा या नहीं । मेरा निवेदन करना यह है कि बलवन्तराय मेहता कमेटी ने कोई नयी चीज हमारे सामने नहीं रखी । इसके लिए यह कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी । "Old wine in new bottle" । जहां तक पंचायतों का सवाल है हमारे यहां चार-पांच हजार की आबादी पर पंचायतें हुआ करती थीं, इन्होंने कहा है कि एक गांव की एक पंचायत हो और दो-चार गांव मिलाकर एक पंचायत न हो ।

दूसरी, हमारे यहां तहसील पंचायतें थीं उनकी जगह ये कहते हैं कि पंचायत समिति होगी और वह तहसील लेवल पर होगी और यदि कोई छोटी तहसील हो तो दो तहसीलों में एक ब्लॉक हो सकता है, नहीं तो एक तहसील में एक ब्लॉक हो और उसी हिसाब से ब्लॉक लेवल पर समिति होगी और वह पंचायत समिति होगी जो तहसील पंचायतों का स्थान लेगी ।

तीसरी बात रह जाती है जिला परिषद की । जिला परिषद क्या होगी ? मेरे खयाल से मैं यह समझता हूं, अभी तक हमारे यहां जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करते थे उनकी अन्त्येष्टी होकर नई चीज बन जायगी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी है उसी रूप में यह भी चीज बनेगी । अब देखना यह है कि आया जो विकास कार्य में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से इस प्रकार से जो परिवर्तन किया जा रहा है उसके अनुसार विकास कार्य पूरा होगा या नहीं ? इस पर मेरा निवेदन यह है कि हमें देखना यह है कि हमारा विकास का आधार है क्या ? अगर वास्तविक रूप से देखा जाय तो बिना पैसे के कहीं विकास होता नहीं है । लक्ष्मी की मात्रा सब से बड़ी मात्रा है । आज विकास का साधन है तो वह आर्थिक विकास ही इसका एक मात्र साधन है ।

तो आर्थिक विकास कैसे सम्भव है, यह सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न हमारे सामने

(श्री रघुवीरसिंह)

है। इस पर मेरा निवेदन करना है कि यह ठीक है जो इसमें लिखा है कि एग्रीकल्चर का इम्प्रूवमेंट ही प्रधान ध्येय होगा, लेकिन वह इम्प्रूवमेंट होगा कैसे यह विचारणीय विषय है।

१. म० प०

राजस्थान में ६६ प्रतिशत काश्तकारी, मेरे खयाल से, केवल मानसून पर निर्भर है। ६५ प्रतिशत तो ऐसी काश्त है जिसके लिए आकाश की ओर ही देखना पड़ता है। अब विकास खण्ड में भी जितने कार्य हुए हैं या जो उसका कार्यक्रम है उसमें भी पर्पिचुअल सोर्स ऑफ इर्रिगेशन या इर्रिगेशन के साधनों की सहूलियतें देने का अभाव सा है।

अब ये जो छोटी छोटी पंचायतें बनेंगी उनमें भी इतने साधन नहीं होंगे और न इतने पर्पोज़ल्स भी होंगे और न उनके पास इनकी योजना ही होगी कि वे इस काम को पूरा कर सकें। मसलन मैं अलवर जिले का उदाहरण देता हूं। वहां लोग पहले कुओं से सिंचाई के साधन काम में लेते थे। पर आज वह साधन इतने महंगे हो गये हैं कि लोग कुओं को छोड़कर बारानी खेतों में काश्त करने लगे हैं। मैं निवेदन करूं कि इस अलवर जिले में पुरुषार्थी अधिक तादाद में आये, वे भी चूंकि इस लिफ्ट इर्रिगेशन के आदी नहीं थे इसलिए सरकार की ओर से पम्पिंग सैट लगाने की एक योजना बनाई गई और केन्द्रीय सरकार ने १८ लाख रुपयों के पम्पिंग सैट दिये भी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि शायद एक भी पम्पिंग सैट ने अच्छी तरह काम नहीं दिया और वे बीच में ही बिगड़ गये। तो निवेदन करना यह है कि जब तक सिंचाई की कोई सही और पूरी योजना न हो तब तक यह कहना कि एग्रीकल्चर बढ़ेगी, उसका विकास होगा, इसके लिये मैं तो यही समझता हूं कि यह कहना एक विडम्बना सी होगी। कहते हैं खाद अच्छा देंगे। पर यह तो आप तब देंगे जब आपके पास सिंचाई के अच्छे साधन होंगे। अगर ये साधन नहीं हैं तो कहां से देंगे? जैसे अभी कहा गया कि ४२ लाख की आबादी अकाल से पीड़ित है यह आबादी एक करोड़ भी हो सकती है। तो विगरीज़ ऑफ वेदर के खिलाफ है, इन अकाल के खिलाफ है, हमें एक योजनाबद्ध ढंग से लड़ना होगा। ऐसा नहीं करेंगे तब तक सफलता सन्देहजनक है।

पंचायतों को आप विकेन्द्रीकरण में लेंगे ताकि उनको अपने अपने एरिया में और भी स्वतन्त्रता से काम करने का मौका मिले। यह ठीक है। पर साथ ही मुख्य विकास के कार्य चूंकि सरकार के आधीन हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार के हाथ में हैं और इन योजनाओं में काम करने वाले सरकारी अधिकारी या सरकारी विभाग जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, इन ग्राम पंचायतों के साथ जैसा सहयोग देना चाहिये नहीं देते और जब तक यह सहयोग पूरी तरह से नहीं मिलेगा तब तक एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट में भी काफी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। इसके लिये मैं निवेदन करूं अलवर जिले की बात। वहां कलेक्टर जैसा व्यक्ति इन विकास कार्यों के खास मुद्दों को लेकर इन्जीनियरिंग विभाग को लिखते हैं, इर्रिगेशन विभाग को लिखते हैं पर वहां से समय पर उनका जवाब नहीं मिलता, काफी देर होती है। तो जब कलेक्टर सरीखे व्यक्ति की यह स्थिति है तो इन ग्राम पंचायतों की ये क्या मदद करेंगे इस इर्रिगेशन के डेवलपमेंट के काम में? इन परिस्थितियों में अगर इनका ऐसा ही सहयोग रहा तो मुझे यह असम्भव लगता है कि इन पंचायतों

(श्री रघुवीरसिंह)

से यह इर्रिगेशन की और एग्रीकल्चर की बढ़ोत्तरी की समस्या हल हो जावेगी।

इसलिये मेरा निवेदन करना है कि इस विकेन्द्रीकरण के साथ साथ जो वास्तविक सत्ता है, जो वास्तव में इस विकास कार्य के सम्बन्धित विभाग हैं उनमें बहुत ही निकट सम्पर्क रक्खा जाय।

अब इस तरह की निकट सहयोग की कोई भी योजना के अभाव में क्या यह सम्भव है कि ये पंचायतें अपने इन्जीनियर रक्खें ? अगर ऐसा करती हैं ये पंचायतें, तो उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें रोकेगी।

इसलिये यह co ordination between official block and this democratic block is very essential.

इसलिये मैं तो यह निवेदन करूंगा कि यह विकेन्द्रीकरण की भावना एकांगी भावना है, इसके साथ सरकारी मशीनरी का भी विकेन्द्रीकरण किया जाए और इस तरह से उसका सहयोग उन्हें मिल सके तो यह विकेन्द्रीकरण सफल होगा।

यही हाल एजुकेशन का है। अगर प्राइमरी एजुकेशन पंचायतों को सौंप दी गई तो उनके पास सीमित साधनों के कारण यह प्राइमरी शिक्षा की योजना भी इसी तरह भंग हो जावेगी। इसलिये इनके विकेन्द्रीकरण के साथ साथ सरकारी मशीनरी का भी विकेन्द्रीकरण इस प्रकार हो, यह एक विचारणीय विषय है। यही मुझे कहना है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : मेहता रिपोर्ट पर विचार चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह रक्खी गई है कि राज्य के कार्यों का विकेन्द्रीकरण किस प्रकार से किया जावे। विधान ने आज सबसे बड़ी देन हमें दी है कि हर आदमी अपनी इच्छा के अनुसार इस गणराज्य में व्यवस्था चलाने में अपना योग दे। महात्मा गांधी की एक कल्पना थी कि मैं ऐसा स्वराज्य चाहता हूं कि जिसमें हर आदमी यह महसूस करे कि इस राज्य को चलाने में मेरा हाथ है। मैं भी अपना सहयोग दे रहा हूं और यह जो कुछ हो रहा है ,मेरी राय से हो रहा है, यह महात्माजी की अपने स्वराज्य की कल्पना थी।

जहां तक जनतन्त्र का सवाल है अब्राहिम लिंकन ने, जो एक महान् विचारक माना जाता है, अपने एक वक्तव्य में कहा है कि जनता का राज्य जनता के द्वारा हो, जनता के लिये हो। इस प्रकार की उसकी भी कल्पना थी। तो इस तरह से इन कल्पनाओं और आधारों पर डेमोक्रेसी की बुनियाद रक्खी गई।

अब विकेन्द्रीकरण का, अर्थ में जहां तक समझता हूं, यही है कि गांव का राज्य गांव की जनता के लिये और गांव के द्वारा हो और यह दृष्टिकोण राष्ट्रव्यापी हो। सही माने में डेमोक्रेसी के तरीकों से सोचना है तो उसमें हमें नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा और जब तक हम ऊपर से नीचे की ओर जाने में विकेन्द्रीकरण की बात सोचेंगे तो मैं समझता हूं कि यह विकेन्द्रीकरण नहीं होगा डेमोक्रेसी के विकेन्द्रीकरण में तो हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना होगा। यही सही ढंग से काम करने का तरीका हो सकता है। इसमें जो भी व्यवस्था हो वह नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली हो।

आज की योजना भी है और इस योजना के अन्दर जो एक बड़ा व्यापक रूप रखा गया है कि यह सारे राष्ट्र के विकास की योजना है, राष्ट्र में उत्पादन बढ़ाने की योजना है, राष्ट्र के हर आदमी को काम देने की योजना है और वह किस प्रकार आगे बढ़े और उसमें जैसा कि नेहरूजी ने कहा है कि आज जो खास करके रूरल एरियाज़ है, जो गांव हैं, जो पिछड़े हैं, जिनके विकास के लिए कोई योजना नहीं

(श्री मुरलीधर व्यास)

है, उस योजना के आधार के ऊपर इसमें सैकड़ों रुपया खर्च करने की बात कही गई है। वह यह चाहते हैं कि अगर हमारा रूरल एरिया उठेगा तो हमारा देश उठेगा, नहीं तो नहीं उठ सकता। यह जो बुनियादी कल्पना है और जो बात है इसको हमें बहुत गहराई के साथ देखना होगा कि जिनको हम उठाने जा रहे हैं और उनको उठाने के लिए जो योजना रख रहे हैं वह सही माने में, जिस तरीके से होनी चाहिए वैसी हो रही है या नहीं और इसका जो मकसद है कि इस विकास के साथ लोगों को हम काम दे सकेंगे, इस विकास के साथ हम उत्पादन बढ़ा सकेंगे, इस विकास के साथ देश में जो दूध—मक्खन है और उत्पादन की दूसरी चीजें है उनको हम बढ़ा सकेंगे। यह जो बुनियादी मकसद है उसे हमें बहुत गहराई के साथ देखना होगा। अब सवाल है इसके विकेन्द्रीकरण का। मैं विकेन्द्रीकरण के सवाल को इसी मुद्दे पर सोचता हूं। मैं समझता हूं कि हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार मिले, इसके लिए हर व्यक्ति को अपना वोट देने का अधिकार मिले, यह अधिकार उसका बुनियादी अधिकार है और यह सब के लिए सुरक्षित है। अब उसी आधार के ऊपर वह अपना काम करे तो उसके लिए पंचायतें बनाई गई हैं। पंचायतों का जहां तक सवाल है मैं समझता हूं कि यह छोटी से छोटी इकाई है कि जिसके अन्दर वह स्वयं बैठकर के अपना काम करे। अब राजस्थान का सवाल है कि राजस्थान की पंचायतों में कितने आदमी हों, उसकी कितनी आबादी हो। इसके लिए जहां तक राजस्थान का सवाल है यह एक रेगिस्तानी इलाका है। राजस्थान के अन्दर कई ऐसे जिले मिलेंगे, कई ऐसे क्षेत्र मिलेंगे कि जिनके अन्दर एक स्क्वायर मील के अन्दर, एक वर्ग मील के अन्दर एक या दो आदमी ही नजर आयेंगे। जब कि दूसरे प्रान्तों के अन्दर एक ही वर्गमील में तीन-तीन सौ और चार-चार सौ आदमी नजर आयेंगे। यह बुनियादी भेद हमें पंचायतों के बनाते समय सोचना होगा। आज जैसलमेर का इलाका ऐसा है कि आप मीलों चले जाइये और आपको एक भी आदमी नजर नहीं आयेगा। अब पंचायतें कितनी बड़ी हों, उनमें कितने गांव हों, कितनी आबादी हो, ये सारी बातें जब आप सोचेंगे तो यह दृष्टिकोण भी आपको सोचना होगा। अब रहा सवाल यह कि राष्ट्रीय विकास का काम किस आधार के ऊपर हो। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय विकास के अन्दर पंचायतों को एक बुनियादी इकाई माना जाये और उसके अन्दर, क्यों कि काम करना है इस लिए इसके लिए आपको एक निश्चित सीमा बांधनी होगी कि हर पंचायत में कितने आदमी होंगे, कितना बड़ा क्षेत्र होगा यही बातें यहां भी निश्चित करनी होंगी। मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर जैसा कि १५०० की आबादी का सुझाव है कि इतनी आबादी पर पंचायत बनाई जाये और बलवन्तराय कमेटी की यही रिपोर्ट है कि एक गांव में एक ही पंचायत हो और उसकी आबादी १५०० की हो, तो हो सकता है कि हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में एक गांव में इतनी आबादी मिल जाये, मगर हम राजस्थान के लिए सोचें कि एक गांव में इतनी आबादी मिल जाये तो मैं समझता हूं कि ऐसे गांव बहुत कम होंगे। ऐसी हालत में एक ही गांव के आधार पर पंचायतें बनाई जायें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के लिए तो यह बिल-

(श्री मुरलीधर व्यास)

कुल कठिन है । आपको यहां कई गांव ऐसे मिलेंगे कि उनका नाम है लेकिन वहां पर रहते हैं दो आदमी । आपने चुनावों की लिस्ट में देखा होगा । गांवों के नाम आये और देखते हैं कि उसमें कितने वोट हैं तो उसमें मालूम हुआ कि एक आदमी । अब एक आदमी के लिए एक गांव और वहां पर जाना । तो इस प्रकार से जो वस्तुस्थिति है उसको हम अलग नहीं रख सकते । ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि यह विकास का काम है और इसके अन्दर सीमा निश्चित हो और सीमा के साथ में आबादी हो । इसके लिए हमें देखना होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, कितने साधन हमारे पास हैं । इन सारी बातें सोचते हुए हमें सीमा निश्चित करनी होगी ।

आज मैं सोचता हूं कि इन सीमा के साथ में एक जनतांत्रिक तरीका है । हमारे पास में पंचायतों का तरीका है । मैं मानता हूं कि पांच हजार की एक सीमा रखी है, मगर जैसा बताया गया कि कहीं पर यह तीन हजार भी है और इससे कुछ कम भी । लेकिन फिर भी एक विकास के लिए उस पंचायत के कुछ प्रमुख हिस्सों को लेना होगा । आप यह नहीं कह सकते कि गांव के दो तीन आदमी इस प्रकार से रहते हैं, वह दृष्टिकोण भी हमारे पास नहीं रह सकेगा । हमारा दृष्टिकोण सामयिक होगा, जहां कि ज्यादा लोग रहते हैं । तो पंचायतों के मामले में मैं जहां तक समझता हूँ ऐसी स्थिति में हम पंचायतों में जो पांच हजार का रखा गया है और पांच हजार की एक पंचायत बनती है, तो उसमें किस प्रकार से काम करना होगा यह भी हमें तय कर लेना चाहिए । क्योंकि हमारे पास में काम करने वाले थोड़े हैं, हमारे पास में ग्राम सेवकों की संख्या में कमी है, साधन थोड़े हैं तो ऐसी हालत में उतने ही साधनों के आधार पर संख्या निर्धारित करनी पड़ेगी ।

मैं समझता हूं कि इसमें जो निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर जिस प्रकार से काम चलता है उसी आधार के ऊपर हमें इन प्रश्नों को सोचना होगा । मैं यह कहता हूं कि तहसील पंचायतें एक पंचायत मानी गई है और इसको एक प्रकार से ब्लॉक के रूप में माना गया है, अब इसका नाम चाहे तहसील समिति हो, मगर फिर भी इसको यह नाम दिया गया है । मैं समझता हूं कि जो जनतांत्रिक ढांचा है और जिस जनतांत्रिक ढांचे में पंचायतें एक बुनियादी इकाई हैं मैं कहता हूं कि वह निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर हों । मैं तहसील या ब्लॉक के आधार पर इसको नहीं सोचता हूं । एक इकाई तो तहसील पंचायत या ब्लॉक बनाती है तो इसके लिए मेरा कहना है कि निर्वाचन क्षेत्र का एक ब्लॉक हो । आज की स्थिति में राजस्थान में समझो कि १७५ निर्वाचन क्षेत्र हैं, पर फिर भी शहरों को छोड़ दीजिए और गांवों को ही लीजिए तो जितनी भी कॉन्सटीटुएन्सीज़ आती हैं उतने ही ब्लॉक्स हों और उन निर्वाचन क्षेत्रों के आधार के ऊपर जो पंचायतों के पंच लोग आते हैं और जिनकी वह कमेटी बनती है या ब्लॉक समिति उसके अन्दर हो । मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं और वह भी जनतांत्रिक आधार पर करना चाहते हैं । तो वहां पर जनतन्त्र जिस प्रकार से चल रहा है और जो उसका स्वरूप है उसी पर हमारी कल्पना भी चलनी चाहिए । मैं यह महसूस करता हूं कि पंचायतें इसकी और बुनियादी इकाई हैं और जहां कि ६६,००० की आबादी पर एक

(श्री मुरलीधर व्यास)

ब्लॉक माना गया है, मैं ऐसा समझता हूं कि ब्लॉक बनाने के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र को इकाई मान लिया जाय और उसको इकाई बनाकर इसका किस प्रकार से विकास किया जाय, इस पर विचार होना चाहिए। तो यह इसलिए है कि जो हमारा जनतांत्रिक तरीका काम करने का है वह इसी आधार पर है और दूसरी प्रणाली जो तहसील पंचायत और ब्लॉक समिति है उसके स्थान पर निर्वाचन क्षेत्र समिति हो और उसके अन्दर काम हो तो अच्छा रहेगा।

तीसरे जहां तक जिले का सवाल है तो जिले का जो सवाल इसमें रखा गया है वह जिला कोई निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर, कोई समिति नहीं है वह तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोडी बनती है, वह जनतांत्रिक बोडी नहीं बनती है। वह तो ठीक है कि एम० पी० को या एम० एल० ए० को रख लें और कलेक्टर को चेयरमैन बनायें और कुछ लोगों को लेकर जिला परिषद बने। ठीक है काम को जैसा चलाने के लिए, जैसा आज शासन चल रहा है उसको चलाने के लिए उस तरीके को मान्य किया गया। परन्तु अगर कोई यह कहे कि जनतान्त्रिक तरीके से लोगों के चुनाव के द्वारा कोई जिला परिषद् बनेगी तो वहां पर वह तरीका नहीं है। उस आधार पर वह नहीं होगी। जो बुनियादी चीज़ आज आप लेकर चले हैं कि विकेन्द्रीकरण हो और वह भी जनतान्त्रिक तरीके से हो तो उस हालत के अन्दर जिला परिषद् जो है वह किसी प्रकार की जनतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की इकाई बने तो वह बन नहीं सकती। वह एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोडी बनेगी जो काम को चलाने के लिए होगी, तो मैं समझता हूं, उसको इस बात के लिए रखा जाय। वह इसके साथ में नहीं है। सबसे पहली इकाई गांव की होगी। गांव के बाद निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्र के बाद में तीसरी इकाई है वह असेम्बली भी है। इस विधान सभा में जो चुनकर आते हैं वे चुनाव के आधार पर आते हैं। यह तीसरी जो स्टेट की विधान सभा है वह जनतान्त्रिक बोडी है। इसके बाद में जो पार्लियामेन्ट है, हिन्दुस्तान की है वह इस प्रकार से रहे। ताकि चौखम्भा राज्य, जैसा हम सोचते हैं, उसकी कल्पना जो रखी गई है वह जनतन्त्र के आधार पर, इसी आधार पर हो सकता है। इसमें जो जिला परिषदों को डालें तो वह जनतान्त्रिक नहीं होगी। वह इकाई एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकेगी। परन्तु जनतान्त्रिक तरीके से जो चीज़ होना चाहिए वह बन नहीं सकती।

इसलिए जो कल्पना इसमें रखी गई है उससे काम हो सकता है। अगर आप जनतन्त्र के आधार पर सोचते है तो ज्यादा आबादी आती है। आप राजस्थान के दृष्टिकोण से आबादी का सवाल सोच सकते हैं और इस प्रकार से सोच सकते हैं कि अगर आबादी बढ़ जाती है तो काम का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है यह दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, परन्तु जो जनतान्त्रिक आधार पर विकेन्द्रीकरण हो, उससे इस बुनियादी बात को अलग नहीं रख सकते। इसलिए बुनियादी दृष्टिकोण से विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। यह बात मैं इस प्रकार से सोचता हूं।

अब यह तो सवाल हो गया हमारे विकेन्द्रीकरण का। काम का सवाल है, विकास का सवाल है तथा जो दूसरी बातों के सुझाव इसके अन्दर दिये गये हैं उनके सम्बन्ध में आपके सामने एक ही प्रश्न है जैसा कि कृषि के सम्बन्ध में रखा गया है। आज राजस्थान के अन्दर कोई भी विकास, राज-

(श्री मुरलीधर व्यास)

स्थान क्या हिन्दुस्तान को भी लें, विकास के लिए, वहां के लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए बुनियादी चीज़ उनको आप देते नहीं हैं और दूसरे साधन दे दिये जाते हैं कि यहां पर इतना खाद डाला गया, इस प्रकार की शिक्षा दी गई, यह दी गई, वह दी गई, सारी बातें हो जाती हैं। परन्तु जिस ब्लॉक के अन्दर, जिस क्षेत्र के अन्दर अगर वहां खाद का सवाल ही नहीं आये, जैसा कि बीकानेर जिले के लिए, मैं सोचता हूँ कि बीकानेर जिले के अन्दर किसान वर्षा के ऊपर निर्भर हैं। बारिश होगई तो काम हो गया नहीं तो उन लोगों के लिए दूसरी छोटी-मोटी योजनाएं भी काम नहीं आतीं। वहां कृषि के विकास के दृष्टिकोण से कुछ खाद देकर कहें कि २५ प्रतिशत बढ़ाना है, हर ब्लॉक के अन्दर बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाना है, तो वह आपके ऊपर नहीं, वह उत्पादन उन परिस्थितियों के आधार पर है। तो ऐसी हालत में जो कृषि के विकास की बात इसके अन्दर रखी गई उस विकास के अन्दर भी आपको सही मायने में ऐसे क्षेत्र सबसे पहले चुनने पड़ेंगे कि जिन क्षेत्रों के अन्दर साधन उपलब्ध हो और वह साधन जो कि कृषि के विकास का सबसे बड़ा साधन है, वह सिंचाई है। सिंचाई के साधन जहां उपलब्ध हों वहां योजनाओं के आधार पर विकास कर सकते है. परन्तु जहां साधन उपलब्ध नहीं हैं वहां पर इस तरीके से काम करते हैं तो वहां पर धन के दुरुपयोग के सिवाय कुछ होता नहीं है। ऐसी हालत में ब्लॉक के कार्य करने की जो प्रणाली हैं जो २ मेथड्स हैं, जो २ बातें काम करने के लिए रखी गई हैं, कि कृषि का इतना काम करना है, इसमें इतना करना है। प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाना है उन सारी बातों को वहां के साधनों के आधार पर सोचना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर अगर इस मामले में कुछ धन भी खर्च करना है तो उसके लिए उपयुक्त स्थानों को चुनना चाहिये जहां कि पैसा लगाने के बाद कुछ लाभ हो सके। मगर हमने वह बात नहीं सोची, मगर क्या सोचते हैं कि यहां ब्लॉक करना है, एक ब्लॉक की इजाजत देनी है, रुपया लगाना है, उस आधार पर सोच लिया। ठीक बात है, इसमें ५,१० लाख रुपये लगाने हैं, इसमें १२ लाख रुपये ४,५ सालों में लगाने हैं तो लग जाने दें। परन्तु साथ ही साथ विकास के साधन नहीं हैं, दूसरी परिस्थितियां नहीं हैं, ठीक बात है कि शिक्षा के मामले में, दवाइयों के मामले में कह सकते हैं कि इतनी दवाइयां बांट दी, इतने पौधे बांट दिये और इस प्रकार से ब्लॉक के अन्दर काम हो रहा है। इसमें भी ठीक ढंग से नहीं होता है। मुझे मालूम है कि सूरतगढ़ के अन्दर जो ब्लॉक ऑफिसर हैं वहां पर मैंने देखा है कि हजारों पौधे बांटे दिये लेकिन बांटे किन को ? स्कूलों के बच्चों को। स्कूल की छुट्टी के वक्त उनको दें दिये कि जाओ पौधों को लगाओ, उन्हें गाड़ दो। वहां न साधन है पानी का और न दूसरी चीजों की सुविधा है। बच्चों को देने से काम नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ब्लॉक जो भी हो, जिसमें इतना रुपया आज देश का खर्च किया जाता है, देश के सामने बड़ी भारी समस्या है और वह अर्थ की समस्या है। देश का धन सिर्फ इसलिए कि ब्लॉक में इतना खर्च करना है, वहां साधन नहीं है, और खर्च कर देते हैं। दूसरे देशों से कर्ज लेकर काम चला रहे हैं। करोड़ों रुपया ब्याज का देना पड़ता है। आगे आने वाले भविष्य में देश के विकास में रुपये की और

(श्री मुरलीधर व्यास)

और चीजों की आवश्यकता होगी, फिर भी इस प्रकार से धन का दुरुपयोग कर दें तो यह योजना जिसको कि विकास की बात कहते हैं भविष्य के विकास के लिए बाधक बन सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके अन्दर इन बातों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए।

तीसरी बात अब रही औद्योगिक विकास की, औद्योगिक विकास गांवों के अन्दर किस प्रकार से किया जाय। पशुपालन का जो विकास है उसमें पशुओं की यहां पर नस्ल सुधारने का सवाल है जो कि राजस्थान के दृष्टिकोण से विकास की सब से बड़ी चीज है। आज हर जगह पर किया जा सकता है और इसके लिए जो योजनाएं हमारे सामने हैं उन योजनाओं के आधार पर बहुत महत्व का नहीं देखेंगे तो ठीक बात है। पैसा खर्च किया जाय उदयपुर के अन्दर। जहां कि नस्ल बहुत कमजोर है। गायें दूध बहुत कम देती हैं। छोटी २ ठिगनी गायें हैं। उनके विकास के लिए अच्छे चारे का प्रबन्ध नहीं कर सकें, अच्छी नस्ल के सांड नहीं भेज सकें और सिर्फ इसलिए कि विकास वहां पर हो जाय, तो मैं समझा हूं कि न तो दूध बढ़ सकेगा, जो हमारी योजना ३० प्रतिशत दूध बढ़ाने की है, यदि वहां पर उस तरीके के साधन नहीं देंगे तो पैसा लगता रहेगा और न तो दूध बढ़ने वाला है न कोई दूसरी चीज़ होने वाली है।

आज सही मायने में इन पशुओं के विकास के लिए राजस्थान में बहुत ज्यादा गुंजायश है। इस गुंजायश को पूरा करने के लिए राजस्थान की बुनियादी बातों को सोचना पड़ेगा। आज राजस्थान सरकार को यदि राजस्थान के पशुधन का विकास करने की, राजस्थान के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करो की बात सोचना है, तो उसको बुनियादी तौर पर यह सोचना पड़ेगा कि इतने रुपये इस काम के लिए, स्वास्थ्य के लिए लगाये हैं, गोधन या दूसरे पशुधन को बढ़ाने के लिए लगाये हैं, तो यह भी सोचना पड़ेगा कि राजस्थान में जहां कि वेजीटेबल घी आता है, उसको बन्द कर दिया जाय। यह चीज़ राजस्थान के लिए उपयुक्त नहीं है।

१.२८ म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह राजस्थान के पशुधन के विकास में बाधक है। इससे हमारे राजस्थान के लोगों के स्वास्थ्य में बाधा होती है। बुनियादी बातों को यदि सही मायने में विकास के दृष्टिकोण से देखते हैं तो सोचना पड़ेगा और जो सबसे बड़ी चीज़ इसके अन्दर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रखी है, जिसने कि सारे प्रान्तों का दौरा किया है, मेरे ख्याल से राजस्थान का किया या नहीं, क्योंकि राजस्थान के दौरे के बारे में अपनी रिपोर्ट में कुछ बातें कहीं नहीं कि वहां पर क्या दिक्कतें हैं या नहीं हैं, परन्तु दूसरे प्रोविन्स के बारे में दिक्कतों को रखा कि क्या क्या दिक्कतें वहां पर आईं और क्या २ करना है यह भी बताया। और उसमें सबसे बड़ा कारण है कि जो लोग काम करने वाले हैं, उन काम करने वाले लोगों ने कहा, क्योंकि उन्होंने (कमीशन ने) सब से साफ कहा कि तुम यहां पर काम कर रहे हो, धन लगा रहे हो, सारी बातें हो रही हैं, तो आपके खुद के दिल में क्या आता है कि क्या इस काम से कुछ लाभ हो रहा है या नहीं, तो कई बी. डी. ओज़ ने कहा कि हम खुद समझ गये हैं और वाकई में इनसे लाभ नहीं हो रहा है। यह उन लोगों

(श्री मुरलीधर व्यास)

ने कमीशन के सामने खुले रूप में कहा। क्यों कहा? क्यों कि उनको कहा गया कि आप साफ साफ बात कहें। मेरा कहने का मतलब यह कि या तो काम करने वालों में दिलचस्पी नहीं है या देखना है कि ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहां सही माने में कुछ काम नहीं हो रहा है। हम विचार की दृष्टि से बहुत से विचार कर सकते हैं लेकिन किसी जगह के लिये कहा जाता है कि वहां पर डेढ लाख रुपये का श्रम-दान हुआ है, लेकिन वहां जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि डेढ़ हजार रुपयों का भी श्रम-दान नहीं हुआ है। ऐसा भी है कि देश के पैसे लग जाते हैं और उतना काम नहीं होता है, तो साफ कहना यह चाहिये कि काम नहीं हुआ है। सिर्फ इस बात को कह सकते हैं कि हमने पैसा लगाया। लेकिन जहां जहां पैसे लगाये वहां कह दें कि हमने २ हजार रुपये लगा दिये, यह तरीका अच्छा नहीं है। कई स्थान मैं स्वयं देख चुका हूं जहां के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही गई लेकिन वहां जाकर देखा तो पता चला कि उससे लाभ नहीं हुआ।

आज के विकास के अंदाज की कल्पना करनी है तो जिन क्षेत्रों में काम करना है तो उन क्षेत्रों के लोगों को पहले तैयार करते हैं। गांधीजी ने वर्धा में ग्रामोद्योग संघ, हरिजन सेवक संघ, गो सेवक संघ खोला था और लालवाड़ी में चर्मालय खोला था। वहां पर हिन्दुस्तान के लोगों को बुलाया था। अच्छे अच्छे लोग वहां आये और निस्वार्थ-भाव से काम करने वाले लोगों को पहले शिक्षा दी गई और अपने अपने क्षेत्र में उन लोगों को भेजा गया। उनके पास उस समय थोड़े से साधन थे और थोड़ा सा पैसा था लेकिन उन्होंने कितना काम किया। आज हम देखते हैं कि वहां पर इस प्रकार के लोग पहुंच गये हैं जो जानते नहीं कि काम किस प्रकार करना है। सिर्फ इसीलिये काम करना है कि पैसा लगाना है, तो मैं समझता हूँ सही मायने में इस पैसा का लाभ नहीं होता। आज यदि सही माने में इसको देखना है तो राजस्थान के ब्लॉक्स के प्लान को पहले देखना है। २०२ या २०८ ब्लॉक्स खुलने से राजस्थान की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन उन ब्लोक्स में जितने आदमी काम करते हैं वे हर मामले में पूरे जानकार हैं या नहीं, इसको पहले देखकर हम इस पर ज्यादा खर्च करें। यदि पूरे जानकार नहीं हैं तो काम को पहले रोककर हजारों की तादाद में ऐसे लोगों को काम सिखावें और जिस आधार पर काम चल रहा है उस आधार पर उनको ट्रेनिंग दें। उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है इसीलिए इतने रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है। मैं समझता हूं ब्लॉक्स के साथ साथ राजस्थान सरकार को सबसे पहले कदम यह उठाना चाहिये यह देखना चाहिये कि उनको कितने आदमी काम करने वाले चाहिये। जितने काम करने वाले चाहिये उनको हम अच्छे कामों के केन्द्रों पर भेजें और अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। इसमें यदि रुपये लगते हैं तो लगावें और ट्रेनिंग के बाद उनको अपने अपने क्षेत्रों में भेजें। यदि ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं ज्यादा उपयोगी वे लोग साबित होंगे। लेकिन आज यह बात नहीं है।

गांधीजी के नाम पर इस प्रकार की ग्रामोत्थान के लिये संस्थाएं हैं लेकिन उसमें कितने छात्र पढ़ते हैं। यह अच्छी संस्था उसमें सारे राजस्थान से कुछ लोगों को छांट कर शिक्षा के लिये भेजें और उनको सुविधा दें। अपनी तरफ से उनको स्कोलरशिप दें और ज्यादा से ज्यादा दें और इस निश्चय

(श्री मुरलीधर व्यास)

के साथ कि बाद में तुमको इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, उनको यदि अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो ज्यादा फायदा होगा ।

दूसरी बात यह सोच रहे हैं कि विकेन्द्रीकरण हो जाय । लेकिन साथ ही साथ यदि इस योजना को सफल बनाना है तो आपको ट्रेन्ड व्यक्तियों को तैयार करना पड़ेगा जो पूर्ण जानकार हों और ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो निस्वार्थी हों, सेल्फलेस हों । आज यदि ऐसे आदमी नहीं मिलेंगे, आज यदि सेवा के रूप में काम करने वाले आदमी नहीं मिलेंगे तो काम नहीं होगा । हम चाहते हैं कि सेवा की भावना के आधार पर काम हो । गाँधीजी के पास सेवा के आधार पर काम करनेवाले आते थे । बम्बई में जितना काम था उसका नाम सर्वोदय ब्लोक था और उसी आधार पर ब्लॉक चलाया था, लेकिन वहां जो खर्चा आया और साथ ही साथ जो काम हुआ वह थोड़े खर्चे में ठीक ढंग से हुआ, कहीं कहीं पर बिगड़ा भी लेकिन एक जो दृष्टिकोण था वह यह था कि उसमें ऐसे लोग थे कि जो सेवा मानकर काम करना चाहते थे । लेकिन आज हम ब्लॉक के आधार पर काम करते हैं वे चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के हाथों से, ऑफिसरों के हाथ से सेवा के क्षेत्र में लोग जागरूक होकर पांवों पर खड़े होकर काम करें । हम चाहते हैं कि अपने पांवों पर खड़े होकर अपने अपने स्थानों पर काम करें । सरकार जिन अधिकारियों को भेजती है उनको मदद के रूप में भेजती है । आपको भी सहायता देनी है, टेक्नीकल चीजों की जानकारी देनी है, उसके लिये अफसरों को भेजते हैं । लेकिन सही माने में मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग पांवों पर खड़े हो जावें और अपने क्षेत्र में मिल कर काम करें और क्षेत्र का विकास करें ।

इसमें दूसरी बात जो रखी गई है वह यह है कि हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था करने का है । इसी आधार पर विकास होना चाहिये, इसको भी मद्देनजर रखना चाहिये । यदि इस विकास में एक क्षेत्र आता है और उसे समझ लीजिये एक इन्डस्ट्री आती है और समझ लीजिये वह इन्डस्ट्री एक व्यक्ति की होती है और वह व्यक्ति इन्डस्ट्री चलाता है, जैसे समझ लीजिये भोपालसागर है वहां एक शुगर मिल है और उस मिल का मालिक अकेला है, उसकी मोनोपोली है, वह किसानों से गन्ना अपनी इच्छानुसार खरीदता है, भाव जैसा वह चाहता है, अपनी इच्छा पर रखता है । वह यदि ब्लॉक में आता है और इसी प्रकार रहता है और उसी प्रकार काम करता है और हम यह सोचते हैं कि सबका समान विकास हो और समाजवादी सांचे पर निर्माण हो, लेकिन इस प्रकार की इन्डस्ट्री जब ब्लॉक में आती है तो उसका भी समाजीकरण होना चाहिये । कोऑपरेटिव बेसीस पर उसे चलना चाहिये । यदि यह चीज नहीं होती है और ग्रामोद्योग का हम फैलाव करना चाहते हैं तो वह चीज हो नहीं सकती । उसमें सबसे बड़ी यह होगी कि बड़ी इन्डस्ट्री के साथ छोटी इन्डस्ट्री की स्पर्धा होगी और वह छोटी इन्डस्ट्री उसके सामने टिक नहीं सकेगी । कोई काम हम इस आधार पर करते हैं कि वह टिक सके । यदि टिक नहीं सकती तो हम मानलें कि ग्रामोद्योग का विकास इस प्रकार करते रहेंगे तो हमको लाभ होगा नहीं, इसलिये इस प्रकार की कल्पना है कि जो भी छोटे उद्योग हैं वे सहकारिता के आधार पर हों । लेकिन साथ ही छोटे उद्योग इस आधार पर खुलें और बड़े उद्योग चलते

(श्री मुरलीधर व्यास)

रहें तो लाभ होगा नहीं। इसलिये हमें बुनियादी उसूलों से सोचना पड़ेगा कि ब्लोक्स में जो प्राइवेट इन्डस्ट्रीज़ आती हैं जो ग्रामोद्योग को बाधा पहुंचाती हैं उनको रोकना पड़ेगा या सहकारिता के आधार पर लाना पड़ेगा। ये दृष्टिकोण इसलिये रखे कि ब्लोक्स का विकास किस आधार पर हो और सही माने में अन्त में यह सोचना है कि सारे हिन्दुस्तान का किस प्रकार विकास हो ? उसमें यदि हमने सही माने में बुनियादी दृष्टिकोण नहीं रखा, जो कि समाजवाद लाने का है, तो जो धन खर्च होगा और जो समय लगेगा उससे भविष्य में लाभ होगा नहीं, इसलिये बुनियादी पोलिसी होनी चाहिये। जैसे पंच वर्षीय योजना में जो बातें सोचीं उनके पीछे पूरा प्लानिंग नहीं था और उसके साथ साथ सही माने में जो काम कर रहे हैं उसके आधार पर कितना-कितना लाभ होगा इसकी पूरी योजना नहीं थी। नतीजा जरूर हुआ, चाहे हम कह दें कि हमने इतना विकास किया लेकिन उसमें मूलभूत चीज थी कि विकास के साथ कितने आदमियों को काम दे सके, इस विकास के साथ कितने बेकार आदमियों को रोटी दी गई, इस विकास के साथ में कहां तक पिछड़े लोगों को ऊंचा उठाया ? इस प्रकार की स्थिति हमारी योजनाओं में नहीं है, हमारे इस विकास में वह स्थिति नहीं है। ऐसी योजनाओं में हम धन लगाते रहे तो मैं समझता हूं कि लाभ की जगह नुकसान होगा और जिस भविष्य को हम सुनहरा बनाना चाहते हैं वह अन्धकारमय होगा।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात विकेन्द्रीकरण के बारे में थी, उसके बारे में मैंने बात कही। दूसरी बात जो औद्योगिक विकास की थी उसके बारे में मेरा जो सुझाव था वह मैंने रखा। और भी कई छोटी-मोटी बातें हैं, खास तौर से महिलाओं के लिए मैंने देखा कि महिलायें खुद कूड़ा करकट डालने का काम करती हैं लेकिन उसकी शिक्षा आदमियों को दी जाती है। उसमें मूल बात, बुनियदी बात यह है कि जो आदमी जिस काम को करता है, उसकी शिक्षा उसे दी जाय तो उसमें उन्नति आ सकेगी, नहीं तो काम तो औरतें करें और शिक्षा दूसरों को दें, तो लाभ नहीं हो सकता। तो कई छोटी-मोटी बातें हैं, उन पर काफी विचार हो सकता है और जो मुख्य विकेन्द्रीकरण की बात है उस पर मैंने अपने विचार रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष, सारे हिन्दुस्तान में सामुदायिक विकास योजनाओं-राष्ट्रीय विस्तार खंडों का एक जाल सा बिछा हुआ है और सरकार इस जाल को और बिछाना चाहती है। इसका एकमात्र कारण यह है कि हमारा जो आर्थिक ढांचा है, वह इतना निकम्मा हो चुका है, जीर्ण–शीर्ण हो चुका है कि मनुष्य मनुष्य के बीच में धन के आधार पर जो भेद उत्पन्न हो गया है, उस भेद को कम करना हमारा सब से बड़ा ध्येय है। हम यह चाहते हैं कि मानव-मानव के बीच में जो अप्राकृतिक भेद है, आर्थिक ढांचे के आधार पर जो भेद है, उस भेद को मिटा कर हम उन्हें एक नया जीवन देना चाहते हैं, और देश का नक्शा बदलना चाहते हैं। जब देश का नक्शा बदलना चाहते हैं तो जो जीवन का वर्तमान मूल्य है, उसको भी खत्म करना होगा, जीवन का दृष्टिकोण बदलने के लिए जीवन का जो आज का मूल्य है, उसमें बिल्कुल परिवर्तन लाने के लिए हमें एक नया कार्यक्रम सोचना होगा।

(श्री मूलचन्द डागा)

एक बात इसके लिए जरूरी है कि इस कार्यक्रम को सोचने के लिए हमें उस व्यवस्था को लागू करना होगा जिस व्यवस्था के कारण गरीब और अमीर का भेद मिट सके। हम यह चाहते हैं कि गरीब की गरीबी दूर हो और अमीर की अमीरी भी दूर हो जाय, हम दोनों चीजें चाहते हैं। जो अमीर ज़बान से या शरीर से काम नहीं करने के कारण सुस्त हो गया है, उसको भी काम मिलना चाहिए ताकि वह मैदान में आ जाय और जो गरीब व्यक्ति थक गया है उसको धन और अनाज मिलना चाहिए ताकि उसकी हड्डियों में ताकत आ जाय। हमें गरीब और अमीर के भेद को दूर करना है इसके सिवाय एक सवाल और है और वह है कि हमारे अन्दर कुछ अन्ध विश्वास के कारण, रूढ़ियों के कारण, परम्पराओं के कारण, शास्त्रों की दुहाई के कारण जो भेद हो चुका है, मनुष्य मनुष्य में जो भेद हो चुका है, उस भेद को मिटाना है। ये सारी बातें सोचने का आज के अर्थ युग में क्या कारण है ? अर्थ-युग में हमें दो बातें करनी हैं, आप चाहे विकेन्द्रीकरण की बात कहें, शासन व्यवस्था की बात कहें, सामाजिक ढांचे के रूप रंग को बदलने के लिए कहें, हमें एक बात सोचनी है और वह यह सोचनी है कि हम किस प्रकार से अपने देश में आर्थिक उत्थान कर सकते हैं, किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बना सकता, किस प्रकार एक व्यक्ति अपने शरीर को मज़बूत बना सकता है ? मैं इसके लिए समझता हूं कि सबसे बड़ी चीज है कि आर्थिक उत्थान तब ही हो सकता है जब उत्पादन अधिक हो। तो दूसरी बात यह है कि हमें उत्पादन बढ़ाना है, इसके साथ ही आर्थिक उत्थान करना है, मनुष्य मनुष्य के भेद को दूर करना है और चौथी बात है कि मनुष्य के सामाजिक दृष्टिकोण को हम बदलना चाहते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण के साथ ही साथ हम सामाजिक चेतना चाहते हैं, समाज में हम एक नयी जीवन शक्ति फूंकना चाहते हैं, नया प्राण डालना चाहते हैं जिससे मनुष्य समझ सके कि कई वर्षों तक गुलाम रहने के कारण अब हमें अपने भाग्य को चमकाना है और नियतिवाद के आधार पर जो काम वर्षों से सोच रखा है उसे पूरा करना है और इसके लिए हम क्रांति चाहते हैं, इन्कलाब चाहते हैं, वह इन्कलाब आर्थिक इन्कलाब हो, वह ऐसा इन्कलाब हो जिसमें हमारी गरीबी खत्म हो जाय, हम इस इन्कलाब के जरिये गरीबी को भस्म करना चाहते हैं, गरीबी को बरबाद करना चाहते हैं। वह इन्कलाब कैसे आ सकता है ? इन्कलाब या क्रांति कानून से लायी जा सकती है। सुभाषचन्द्र बोस ने एक जगह लिखा था "India requires Kamal Pashas." एक ऐसी बात थी।

जब उन्होंने एक कहानी लिखी थी, अपनी जीवन गाथा लिखी थी, उसमें लिखा था "India requires Kamal Pashas." टर्की को कमाल पाशा की जरूरत थी, कमाल पाशा ने टर्की को नया रूप दे दिया। हिन्दुस्तान में ऐसे कमाल पाशाज़ होने चाहिए जो ताकत और कानून के बल पर हिन्दुस्तान को एक नया रूप दे दें। एक सवाल यह है कि लोग कहते हैं, दुनिया कहती है, एक ऐसा विचार है कि हिन्दुस्तान अभी परिपक्व अवस्था में नहीं है कि हम एक दम अपने देश में एक प्रकार से विकेन्द्रीकरण करके देश में नयापन ला सकते हैं। इससे एक सवाल पैदा होता है कि दुनिया में दो तरीकों से काम कर सकते हैं, एक तो तानाशाही तरीका है और दूसरा लोकतन्त्रीय तरीका। तानाशाही तरीके में एक आदमी जो चाहता है वह करता है, अपनी हुकूमत के आधार पर, अपने

(श्री मूलचन्द डागा)

डंड के आधार पर। तो कोई इन्कलाब ला सकता है, क्रांति ला सकता है तो एक तो डिक्टेटर ला सकता है और दूसरा खुद जनतन्त्रीय तरीका आता है। हम चाहते हैं हमारी क्रांति ऐसी हो जिसके पीछे कानून हो, और कानून के बाद क्रांति आवे तो कुछ सुधार हो सकता है कानून के द्वारा भी, लेकिन कानून के द्वारा सुधार न करके हम क्रान्ति के द्वारा सुधार करना चाहते हैं। एक सवाल है कि हम चाहते हैं कि कानून के द्वारा भाई-भाई को साथ बिठा कर भोजन करायें, लेकिन हम यह केवल क्रान्ति के द्वारा ही कर सकेंगे। तो कानून और क्रान्ति में फर्क है और क्रांति लाने के लिए समाज के अन्दर नया जागरण, नया सन्देश, नया पैगाम फूंकना होगा और वह नया पैगाम हो कि हमारे देश के अन्दर लोक राज्य कैसे कायम कर सकते हैं, प्रजातन्त्र कायम कैसे हो सकता है, कल्याणकारी राज्य कैसे कायम हो सकता है, जनता का राज्य कैसे कायम हो सकता है, इसको विचारना है। हमने देखा है कि दुनिया के जिस देश में डिक्टेटर होता है, जहां तानाशाही हुकूमत होती है, वह देश कभी कभी बरबाद भी हो जाता है और तानाशाही के नतीजे के रूप में मनुष्य अपना विकास नहीं कर पाता। इसलिए हमने सोचा कि हिन्दुस्तान की भूमि पर राजस्थान की भूमि भी हमें लोक-राज्य कायम करने की सही प्रणाली सोचनी होगी और वह सही प्रणाली क्या हो सकती है?

हम जानते हैं कि हमारे देश का आर्थिक ढांचा जीर्ण-शीर्ण हो चुका है, उसको सुधारना चाहते हैं, हम अपने यहां भूमि सुधार करना चाहते हैं, सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम भूमि का सही वितरण करना चाहते हैं, हम लोगों के लिए पानी का इन्तजाम करना चाहते हैं, छोटी छोटी योजनायें बना कर हम अकाल मुकाबला करना चाहते हैं। आपने कहा कि अच्छी प्रकार वर्षा न होने के कारण हमारा भाग्य वर्षा के कम या ज्यादा होने के ऊपर निर्भर रहता है। मैं समझता हूं कि अगर बहुत सी बड़ी बड़ी नदियों के बहाव को रोक दिया जाय और छोटी छोटी योजनायें, विस्तार योजनाओं के अलावा, खड़ी की जायें, तो राजस्थान की जमीन लहलहा सकती है। मैंने उदाहरण देखा है जवाई बांध का। मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी योजनाओं के द्वारा, छोटे छोटे बांधों के द्वारा, सामुदायिक विकास क्षेत्रों में छोटी छोटी नहरों से की जाने वाली सिंचाई के कारण हम अपने देश को सरसब्ज बना सकते हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि इस काम को कौन करे? हम सब लोगों ने अनुभव किया; विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने, एक्स्पर्ट्स ने यह माना है कि पैसा पानी की तरह बहाया जाय। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि बहुत सा पैसा दिया, हमने करोड़ों रूपया विस्तार खण्डों पर खर्च कर दिया, देश में नयापन लाने के लिये कितना ही रूपया दूसरे देशों से लेकर रूपया बहाया, पर इसका सही उपयोग नहीं हो सका। इसके कारण, उन अनुभवों के, विचारों के आधार पर, पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो अनुभव हो चुके थे, उनको ध्यान में रखते हुए यह रिपोर्ट आपके सामने है, जिस पर हम वाद-विवाद कर रहे हैं, यह रिपोर्ट उस आधार पर बनी है। इन महान् मनीषियों ने, विद्वानों ने जगह-जगह हिन्दुस्तान के दौरे किये, हिन्दुस्तान के विस्तार सेवा खण्डों को देखा और देखने से इनके दिमाग में बातें पैदा हुईं कि

(श्री मूलचन्द डागा)

जो धन हम खर्च कर रहे हैं, जो रूपया हम इन विकास खण्डों पर बहा रहे हैं, किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करते हैं, वह ठीक ढंग से खर्च नहीं होता, यह रिपोर्ट आपको इस ओर ले जाती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहले यह बातें आपके सामने रख दी हैं, पंचायतों के चुनाव किस आधार पर हों, ग्राम पंचायतों की या जो जिला समिति बनानी चाहिये वह किस आधार पर बनाई जायं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई जायं या ब्लॉक लेवल पर, ग्राम पंचायतों की योजना ठीक है कि नहीं, ये बातें आपके सामने रखीं । यह साफ सुथरा विषय है । हिन्दी जो हमारी राष्ट्र भाषा है, उसमें इन पुस्तकों का अनुवाद नहीं होने के कारण, कुछ माननीय सदस्य इन्हें पढ़ नहीं सके होंगे । पर माननीय सदस्योंसे मेरा निवेदन है कि बलवन्तराय जी ने जो रिपोर्ट दी है उन्होंने अपनी पूरी राय, सभी दृष्टिकोणों से, सारी बातें विचार कर दी है और उन्होंने अपने हिन्दुस्तान का सही नक्शा इन किताबों में रखा है, और मुझे मालूम हुआ कि इन किताबों का बारीकी से अध्ययन किया जाय तो मालूम होगा कि यह योजना, इनकी बताई हुई प्रणाली, ठीक हिन्दुस्तान में लागू की जा सकती है, हमारे प्रान्त में लागू की जा सकती है ।

कोई भी एक नई चीज हम लागू करते हैं तो उसमें हमें असुविधाएं होती हैं । पर धीरे धीरे, होले होले उस योजना के आधार पर चलते हैं, इस योजना के आधार पर आगे बढ़ते हैं, इस योजना के बताए मार्ग पर चलते हैं तो विकेन्द्रीकरण होता है, गांव में एक नया जीवन आता है और स्वर्ग का सा सुख गांव में आ सकता है । मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, नम्र शब्दों में अर्ज करना चाहता हूं कि कोई यह नहीं कहे कि सामुदायिक योजना से पूरा का पूरा नुकसान हुआ है । यह बात सही नहीं है। सामुदायिक विकास योजना ने हमारे गांव को एक नया जीवन दिया है । हर एक को गांव गांव में यह अनुभव हुआ है कि हमारे गांव में कुएं खुदें, स्कूलें बनाई जायं, हमारे गांव में नहर लाई जाय जिससे सिंचाई की सुविधा हो, अन्न की उपज बढ़ सके, यह लहर सब जगह फैली है । इस लहर में जो खामियां हैं, उनकी ओर हमें विचार करना है और उनको दूर करना है । क्या हम अपनी महनत के हथौड़े से इन खामियों पर चोट करके उन कमियों को मिटा सकते हैं ? अवश्य हम इसमें सफल हो सकते हैं । गांव गांव में खामियां हैं, उन्हें दूर करने के उपाय किये जायं तो जरूर उन्हें दूर किया जा सकता है । आज तहसील पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनमें आज भी वही धनी-मानी लोग बैठे हुए हैं। जिनके घरों में पैसे हैं, जिनकी तिजौरियों में पैसे हैं वे लोग पंच चुने जाते हैं और जो गरीब आदमी ईमानदार और सही रास्ते पर चलने वाला है तो भी वह पंच नहीं चुना जाता, वह पंचों के चुनाव में चुन कर नहीं आ सकता, चुनावों के बड़े खर्चीले दौरे होते हैं। यह हमने देखा है चुनावों में खर्च के कारण सही आदमी नहीं आ सकता, ग्राम पंचायतों में भी इन्हीं कारणों से चुनावों में नहीं आ पाते । अतः मेरी यह राय है कि ग्राम पंचायतों के जो चुनाव हों बैलट के तरीके पर हों। सब से बड़ी बात मेहताजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है, वह यह है कि चुनाव मिल-जुल कर होने चाहिये । उस गांव में जिस गांव में अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़ी हुई जाति के लोग हैं, जिनकी आर्थिक दशा ठीक नहीं, जिनका आर्थिक

(श्री मूलचन्द डागा)

स्तर नीचा है, एक आदमी मीनार पर, महल पर बैठा है और एक आदमी गांव की टूटी फूटी झोंपड़ी में बैठा है; सामुदायिक योजना का खास मकसद यह है कि गांवों के अन्दर जो टूटी हुई हड्डियों का आदमी खून के बिना पड़ा है, उसकी हड्डियों में खून देना है। इसका यही उपाय है कि बैलट सिस्टम से पंचायतों के चुनाव कराये जायं, नहीं तो धनी-मानी लोग जिनके पास धन है वे ही पंच चुने जायेंगे, क्योंकि गरीब आदमियों को अपनी खेती-पाती के लिये जिन लोगों से कर्ज लेना पड़ता है और इसी कारण गरीब लोग सही आदमी को वोट नहीं दे सकते। एक दो प्रांतों में, स्टेट्स में बैलट के आधार पर चुनाव कराये गये और वे सफल हुए। बैलट सिस्टम से ही गांवों में भी पंचायतों में सही आदमी चुने जा सकेंगे। चार हजार की जन संख्या हो वहां एक पंचायत होनी चाहिये और इस तरह एक लाख या ८०००० की आबादी में २० पंचायतों की एक पंचायत परिषद होनी चाहिये। २० पंचायतें इस प्रकार बनेंगी, एक में ४ हजार की जन संख्या होती है तो इस तरह की पंचायत परिषद की कुल जन-संख्या एक लाख या ८०००० के करीब हो जाती है। एक ग्राम पंचायत के साथ एक ग्राम सेवक होना चाहिये, वही गांव में डेवलपमेंट सेक्रेटरी की तरह काम करे, उसका काम सेक्रेटरी का होना चाहिये। इस योजना में सबसे बड़ी बात बताई गई है कि दलित जाति के, पिछड़ी जाति के लोगों को लेना चाहिये। यहां तक राय दी है कि महिला सदस्या लेनी चाहिये। इन चार हजार आदमियों के बीच में सवाल पैदा होता है कि इसके पास क्या अधिकार हों, विकास योजना के और दूसरे दूसरे काम पंचायतों के पास रहने के साथ ही साथ पंचायतों को जुडिशियल अधिकार होने चाहिये। आपकी रेवेन्यु की आमदनी का कुछ हिस्सा पंचायत को दिया जाता है तो वह पंचायतें सफलीभूत हो सकती हैं, यह विचार आपके दिमाग में पैदा होते हैं। दूसरा यह विचार पैदा होता है कि वे पंचायतें ग्राम में नया जीवन ला सकेंगी क्या, क्योंकि इनके पास साधन सीमित हैं। इन सीमित साधनों में पंचायतें विकास नहीं कर सकतीं। तीसरा सवाल यह पैदा होता है कि उस पंचायत में जहां कि ग्रामीण अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी विकास योजनाओं की पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया है, वे इन विकास योजनाओं को आगे बढ़ा सकेंगी?

मैं आपसे अपील करता हूँ कि मनुष्य में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जन्म से ही उनमें होती हैं। ज्यों ज्यों गांवों को तरक्की का काम, डेवलपमेंट का काम सौंपा जायगा तो मैं समझता हूं कि वे उसमें आगे बढ़ेंगी आज तक जो पंचायतों को काम सौंपा गया था वह गांवों में सफाई आदि का साधारण काम सौंपा गया था। ज्यादा से ज्यादा कहीं लालटेन खड़ी कर दी, यह अधिकार उनको दिया गया था। अब पंचायतों को विकास का काम सौंपेंगे तो उनको मालूम होने लगेगा कि उनको भी रेवेन्यु का कुछ हिस्सा मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं। जब पंचायतों को पैसा मिलेगा और वे धन-सम्पन्न हो जायेंगी तो ग्रामीण भी तरक्की करना जानते हैं।

आप जानते हैं कि ग्रामीण लोगों ने जगह जगह धर्मशालाएं बनवाई हैं, कुएं खुदवाये हैं। सामुदायिक योजना के पहले भी ग्रामीण लोगों ने अपनी इच्छा से सामुदायिक रूप से काम किया है। अभी इस योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों का भी इशारा किया गया है कि सहकारी समितियें गांव

(श्री मूलचन्द डागा)

गांव में हों। सहकारी समितियों के लिये, मैं यह कहूंगा कि हमारे यहां पंचायतें काम करती हैं उनका फिर क्या आधार होगा? पंचायतें अपने क्षेत्र में अच्छी तरह से अपने ग्रामों के हित की बात सोच सकती हैं। मान लें कि एक पंचायत का ५ हजार की आबादी का क्षेत्र है, वह अपने क्षेत्र में और गांव में अगर छोटा सा नाला रोकती है या पानी के बहाव को रोकती है तो वह सोचती है कि इससे कछुव और सींवज जमीन अच्छी हो सकती है। वह ४००० की आबादी के अन्दर २० आदमी, या अपने विकास योजना के काम या उसके साधन अपने पास रख कर ऐसे आदमियों को नियुक्त करेंगी जिससे वे कर वसूल कर सकें या किसी को रिलीफ की जरूरत है तो उसको दे सकें। पंचायत को आसानी से यह मालूम हो सकता है कि फलां व्यक्ति की फसल बरबाद हो चुकी है और उसके खेत में आग लग चुकी है और ऐसी हालत में पंचायतों को अधिकार होगा कि वे उस किसान से जिसके खेत में क्षति पहुंची है लगान वसूल नहीं करेगी और उसको मदद ही देगी। मैं यहां पर यह कहना उचित समझता हूं कि उसके लिये उनको रेवेन्यु मिनिस्टर या किसी दूसरे अधिकारी के पास रेमिशन और सस्पेन्शन के लिये आने की जरूरत नहीं होगी। वह पंचायत ही अपना फैसला दे सकेगी और जो एक किसान को रिलीफ मिलना चाहिये वह उसी स्थान पर जल्दी से जल्दी मिल सकेगा और पंचायत के पास जो रकम होगी वह पंचायत उसको सही तरीके से खर्च करने के लिये तैयार होगी। अब यह रहता है कि पंचायत कमेटियां हों। मैं दूसरी स्टेट की बात न कह कर यह कहूंगा कि हमारे यहां पंचायतें और तहसील पंचायतें हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पंचायतों के पंच ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और वहां के ग्राम सेवक जिनके अन्दर खेती का ज्ञान और दूसरा मुर्गी पालने का अच्छा ज्ञान हो वे लोग ग्राम सुधार के लिये दो चार गांवों में जो उनके हलके के हों घूमते हैं और जब वे गांवों में घूमते हैं तो ऑफिस का काम नहीं कर पाते और अगर उनको ऑफिस का काम दिया जाता है तो उनका ऑफिस सेट आपका काम अधूरा रह जाता है, इसलिये एक क्लर्क पढ़ा लिखा हमें उसके यहां और बढ़ा देना चाहिये। इसके अलावा मैं यह ठीक समझता हूं कि ज्यों ज्यों ग्राम पंचायतें साधन संपन्न कर दी जावेंगी, उनको यह मालूम होगा कि हम अपने गांवों के शासक हैं और हमारी ही यह जिम्मेदारी है कि गांव की कमी और अच्छाई क्या है, इसके लिये यानी गांव गांव की अच्छाई के लिये वे साधन बढ़ा सकते हैं जिससे आमदनी बढ़े और उसके लिये हाउस टैक्स, साइकिल टैक्स आदि भी लगा सकते हैं और इन टैक्सों के आधार पर पंचायतें अपने गांवों की कठिनाइयों को दूर कर सकती हैं और अगर उसके लिये उनके पास पैसे की कमी हो तो वह पंचायत समिति के पास जा सकती है।

२. ३. म० प०

पंचायत समितियों और ब्लॉक या तहसील समितियें हमें सारे राजस्थान के हिस्सों में खोलनी पड़ेगी। मगर एक तहसील में ३० पंचायतें हैं और उनके सरपंच उसके सदस्य बन गये। अगर वे चाहें तो अपने व्यक्तियों में से चुन कर किसी तहसील सरपच का चुनाव कर सकते हैं। मगर इस योजना में

(श्री मूलचन्द डागा)

उन्होंने यह सुझाव दिया है कि फिलहाल जब हमारी योजना चालू हो तो वहां के बी. डी. ओ. या एस. डी. ओ. साहब ही सभापति होने चाहिये। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि जब २० पंचायतों ने अपने सरपंचों को वहां पर भेजा है, वहां पर उस ब्लॉक को पूरा पूरा अधिकार है और उनको उन पर पूरा-पूरा विश्वास है कि जो कुछ योजना वे बनाएंगे उनके हित के लिए बनाएंगे। मगर सभापति होगा एस. डी. ओ. या बी. डी. ओ.। आज-कल होता क्या है कि जब कोई काम डिस्ट्रिक्ट बेस पर होता है तब गड़बड़ी होती है। मैंने एक प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर मिला : "महरबानी पर": यदि उन सरपंचों में से कोई सभापति चुना जावेगा तो यह महरबानी का प्रश्न मिट जावेगा। और हर एक ब्लॉक की योजना बनाएंगे तो आपको मालूम हो जायगा कि किस तरह से खेती की उन्नति हो सकती है। इसके लिये सारी पंचायतों के मुखिया वहां पर आकर अपने अपने विचार और दुःख व अपने यहां की समस्याओं को रखेंगे और वे २० पंच मिल कर उस ब्लॉक की सारी बातों पर विचार करेंगे। इसलिये मैं यह कहूंगा कि वहां के एस. डी. ओ. और बी. डी. ओ. को हम सभापति रखना चाहते हैं, वह हमें नहीं रखना चाहिये और उन्हीं पंचायतोंसे आये हुए लोगों में से किसी को चुन कर रखना चाहिये।

(हर्ष-ध्वनि)

जब हम पंचायतों को कायम करते हैं तो हम चाहते हैं कि जनता का राज्य हो और हम यह नहीं चाहते कि इन्सान, इन्सान पर हकूमत करे और अगर कोई ऐसा करता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हमारा ध्येय यह है कि इन्सान, इन्सान पर हकूमत न करे। हमें अपने पैरों पर खड़े होना चाहिये। ऐसी हालत में हम नहीं चाहते कि एस. डी. ओ. या बी० डी० ओ० को चैयरमैन का पद दें। हम यह चाहते हैं कि सेक्रेटरी भी हमारा ही आदमी हो। जब पंचायत समिति, ब्लॉक समिति या अन्य छोटी छोटी समितियें वहां पर इकट्ठी होती हैं और उनके पास सारे साधन होते हैं वह अपनी योजना बिल्कुल विस्तृत रूप में सरकार के सामने पेश करेंगी। लेकिन आप समझें कि प्राइमरी एजुकेशन है उसे हमें अपने अधिकार में लेना चाहिये, तो प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या छोटे छोटे होस्पिटल्स, स्कूलें और आयुर्वेद के होस्पिटल का संचालन करें या यह बात पैदा होती है कि जिला बोर्ड जिसके लिये हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, जब ये काम पंचायतें करेंगी तो फिर जिला बोर्ड क्या काम करेंगे और उनकी फिर क्या कोई आवश्यकता रहेगी या नहीं ? क्योंकि जितने जिला बोर्ड के द्वारा औषधालय और स्कूलें चलाई जा रही हैं वे ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं। जितने औषधालय चलाये जा रहे हैं वे गरीब औषधालय हैं। वहां पर न अच्छे डाक्टर हैं और न कोई अच्छा वैद्यराज है। जो स्कूलें चल रही हैं वे बिल्कुल पोशाल और मोल्वी टाइप की होती हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जिला बोर्ड और सरकार की तरफ से यह एक डुप्लीकेसी होती है और इन जिला बोर्डों से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि हमारा सीधा संपर्क शिक्षा का, हमारे क्षेत्र से रहता है और इसकी योजना विकास के साथ है। इसलिये हमें अपनी शिक्षा की समस्या को भी अपनी पंचायत-परिषद् द्वारा विचार-विमर्श कर लेना चाहिये। इसके अलावा भी एक बात है कि जिस समय राजस्थान बना उस समय कर वसूली का काम

(श्री मूलचन्द डागा)

था और राजस्थान छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा था और उसी कारण से हम उन्नति नहीं कर पाए और जो काम करने थे वह नहीं कर पाये। राजस्थान का निर्माण करने का यही ध्येय रहा है कि छोटी छोटी इकाइयों की आय को एक जगह करके अपना शासकीय खर्चा कम करें और उस आधार पर जो बचत हो उसको चंबल जैसी और राजस्थान नहर जैसी योजना को पूरा करने में खर्च करें और उन योजनाओं को कामयाब कर सकें। तो आप बताइये कि एक जिले में बैठकर एक जिले की आमदनी यदि १२ लाख है, १४ लाख है या २० लाख है तो क्या उस जिले की २० लाख की आमदनी उस जिले को सौंप दी जाय तो जिला काम कर सकता है ? एक सवाल पैदा होता है ? लेकिन जितनी ग्राम पंचायतें हैं, जितनी जिला-परिषदें हैं, उनके मेम्बर हैं, मैं एक सवाल, इस योजना में आपके समक्ष, एक सुझाव पेश करना चाहता हूं कि पंचायतों में वहां के ब्लॉक के एम. एल. ए. हों वे भी इसके सदस्य हों। एक सदस्य है, जिस ब्लॉक से चुना हुआ विधान सभा का सदस्य है वह भी वहां मनोनीत हो या उसका मेम्बर होना आवश्यक है। मैंने आपका ग्राम पंचायतों की ओर ध्यान आकर्षित किया, पचायत समिति की ओर ध्यान आकर्षित किया। अब मैं आपका जिला परिषद् की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : जिला पंचायत कहिये।

श्री मूलचन्द डागा : (जारी) जिला पंचायत कहिये। कोई एक नाम रखिये।

श्री उपाध्यक्ष : जो हाउस समझा हुआ है वही रखिये।

श्री मूलचन्द डागा : (जारी) हमें किसको रखना है ? उसके अन्दर, पंचायतों के आधार पर ब्लॉक बने हुए हैं, पंचायतों के सभापति हैं, एम. पीज़ हैं, वे केवल सलाहकार हैं, राय देने के लिए हैं, जिला परिषदें बननी चाहिए, वहां सब सदय बैठकर, जिसका चेयरमैन कलेक्टर को रखा गया है, उसी आधार पर हमें विकास योजना के लिए राय पेश करना होगी और जो केन्द्रीय शासन है, उसमें बड़ी बड़ी विशाल योजनायें हैं, आर्थिक सहायता के लिए, उसकी मदद के लिये वक्त पर राय लेने की जरूरत होगी। ये तीनों योजनायें हमारे सामने रखी गई हैं, ग्राम पंचायतें, पंचायत परिषदें और जिला परिषदें उसके आगे कुछ सवालात हमारे सामने रखे गये हैं।

एक सवाल तो यह पैदा होता है कि क्या हम विश्वास करें कि इन ग्राम पंचायतों के आधार पर विकास और उत्थान कर सकेंगे ? एक बात यह है कि यदि हम अधिकार नहीं देना चाहते तो कर्तव्य की आशा भी नहीं रख सकते। जब अधिकार दिये जाते हैं, अधिकार की बात जब मिलती है तो कर्तव्य के प्रति भी एक जागरुकता पैदा हो जाती है। पंचायतें जब इन कामों को सोचने लगेंगी कि हमें हमारे देश का विकास करना है तो उसके साथ-साथ एक राय है वह यह है कि जितनी पंचायतें हैं, उनके सरपंचों के लिए और तहसील पंचायतें हैं उनके लिए भी एक केन्द्रीय शिक्षा केन्द होना चाहिए। राजस्थान में हम देखते हैं कि जो आर. ए. एस. हैं, जो शासकीय अधिकारी हैं, जिन्होंने लॉ पास किया है, जो लॉ ग्रेजुएट हैं, उनके लिए भी सरकार हजारों रुपया खर्च करके स्कूल खोलती है, इसके लिए जोधपुर में एक बड़ा कॉलेज खोला गया है और उसमें उनको शिक्षा दी जाती है, उसी आधार

(श्री मूलचन्द डागा)

पर हमें कुछ सालों के लिए अपने पंचों को शिक्षित करने के लिए; सामाजिक ज्ञान बताने के लिए थोड़ी मोटी-मोटी बातों से उनको परिचित कराना होगा। मैं समझता हूं कि इस काम को इस तरह से कर सकते हैं कि वे शिक्षा-केन्द्र जिलों के आधार पर खुलने चाहियें जिनमें सारे पंच कुछ समय के लिए मोटी-मोटी बातों को शिक्षा प्राप्त कर सकें। यदि पंचों में देश के लिए प्रेम है, वे आगे आवेंगे। लेकिन हम उनका क्या करें जो ऐसे रोगी हैं, जिनको जीने की आशा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते? हम; हमारी पंचायतें बेकार हो चुकी हैं, काम क्या कर सकते हैं, इसके लिए उत्तर एक ही है कि हिन्दुस्तान आजाद हुआ सन् १६४७ में और इसके १० साल बाद प्रजातन्त्र की एक धारा निकल चुकी है, हमारी शासन व्यवस्था मजबूत होती गई, अच्छी शासन व्यवस्था कायम की है, हमारे पड़ौसी मुल्क से बढ़ कर हिन्दुस्तान में एक बड़ी अच्छी शासन व्यवस्था कायम है और वह ठीक प्रकार से चल रही है। इसका उत्तर एक यही हो सकता है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति में आशा है कि हम अपने देश में पंचायतों के आधार पर, ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों के आधार पर नया जीवन ला सकते हैं, जो योजनायें बनायी हैं वे सफलीभूत हो सकती हैं सब तरीकों से, सब आधार पर और सब तरह से।

अभी उसमें कुछ और रह जाता है। मैंने आपको एक अंग बताने की कोशिश की और वह अंग है इसका आर्थिक अंग। आर्थिक दृष्टिकोण से उत्पादन बढ़ना चाहिये, और उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती के अलावा और भी साधन योजना में बताये गये हैं जैसे कुटीर उद्योग। इन उद्योगों में नमक पैदा करना, बुनकरों के लिए काम देना, आदि आदि कई प्रकार के धन्धे हैं। उन धन्धों के आधार पर हम अपने ग्रामों में विकास कार्य कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि आर्थिक उत्पादन के साथ साथ जब तक सामाजिक ज्ञान नहीं होगा हमारे देश में प्रजातन्त्र के पनपने में तकलीफ होगी। किसी मनुष्य के मानसिक विकास के लिए जब तक उस मनुष्य के अन्दर अन्ध विश्वास है, रूढ़ियां हैं और उनको चुनौती नहीं देते तब तक हम देश में आगे नहीं बढ़ सकते और इसके लिए हमें सामाजिक ज्ञान पैदा करना है और सामाजिक ज्ञान पैदा करने के लिए हमें कुछ साधन जुटाने होंगे। हमारी जो अनुसूचित जातियां हैं, उनमें ऐसे कार्यकर्ता, (workers) ग्राम सेवकों के अलावा भी वे कार्यकर्ता होने चाहिए, जो उन पहाड़ी जातियों में, अनुसूचित जातियों में जाकर उनमें घुलमिल कर रहें, उनकी बातों को समझ कर उनके साथ साथ धीरे-धीरे उनमें परिवर्तन, संशोधन करें, उनके विचारों में संशोधन ला सकें, लेकिन शर्त यह है कि उनमें कानून के बल पर सुधार नहीं किया जा सकता। कानून के बल पर यदि मौसर को चुनौती दी, कुछ बातों का मुकाबला किया तो उनका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। उसके लिए तरीका है कि समाज में ऐसे रचनात्मक काम करने पड़ेंगे जैसे छोटे२ नाटकों का प्रदर्शन, फिल्म-प्रदर्शन आदि ताकि उन गांवों में, उस समाज के लोगों को ऐसी बातें बतायी जा सकें जिससे जो रूढ़ियां उनमें घर कर गई हैं, जिससे हमारा देश पिछड़ गया है, जो अन्ध विश्वास उनमें जड़ पकड़ गया है—उसको मिटा सकें और उसको मिटाने के लिए हमें पंचायतों और

(श्री मूलचन्द डागा)

जिला समितियों के द्वारा ऐसे साधन जुटाने होंगे और जब मानसिक विकास होगा, मानसिक स्वच्छता आजावेगी तो उसी कारण से प्रजातन्त्र में भी स्वच्छता आजावेगी। क्योंकि प्रजातन्त्र का आधार ही यह है कि हर एक व्यक्ति समझदार बन सके। उसमें ज्ञान होगा तब ही प्रजातन्त्र पनप सकेगा।

आपका एक सुझाव यह है कि प्राइमरी एज्युकेशन पंचायतों के आधार पर हो। इससे मेरी राय भिन्न है। शिक्षा का सम्बन्ध सीधा शासन से ही होना चाहिये। सारी शासन व्यवस्था में जो शिक्षा का प्रबन्ध है, वह वहीं से रहना चाहिए। आखिर में यह भी सवाल है कि कितने टीचर्स कहां कहां रखने चाहिए, कई नयी नयी बातें हैं, पैसे के साधन भी हैं, ये सब मेरी समझ से तो अभी पंचायतों के जिम्मे नहीं छोड़ने चाहिए और न पंचायतें इसको सफल ढंग से कर सकेंगी।

मैं संक्षेप में यह नम्रता पूर्वक अर्ज करना चाहता हूं कि जो हमारे सामने सामुदायिक योजना पर राय दी गई है उससे सहमत हूँ और इस प्रकार विकेन्द्रीकरण करके गांवों में नया जीवन देना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ठा० मदनसिंहजी।

श्री मदनसिंह (दांता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो सदन में बलवन्तराय कमेटी के बारे में विचार चल रहा है उस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे और समय भी काफी लिया। बलवन्तराय कमेटी में इस बात की सिफारिश है कि हमारे जन-जीवन का उत्थान कैसे हो सकता है.इस बारे में बोलते हुए डिक्टेटरशिप से लेकर प्रजातन्त्र की बातें भी कहीं गई हैं। मेरे भी मन में कुछ इस सम्बन्ध में कहने की जिज्ञासा हुई इसलिये मैं भी कुछ कह डालता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इससे तो ज्ञान बढ़ा है आप भी ज्ञान बढ़ाने के लिये कहिये।

श्री मदनसिंह : (जारी रखते हुए) जहां तक विकास का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में मेरा यह मानना है कि यह एक आदमी भी कर सकता है और प्रजातन्त्र द्वारा भी यह काम हो सकता है। जिसके दिमाग में कमजोरी होती है वह चाहे प्रजातन्त्र हो या डिक्टेटरशिप, वह काम नहीं कर सकता। हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एकतन्त्र के आधार पर कार्य किया, इस बात में मैं जाना नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के माफिक पंचायतें, तहसील पंचायतें या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ढांचा होना चाहिये। मेरा ऐसा ख्याल है कि जो मौजूदा तरीका है वह ठीक है। एक विचार आया; फिर नयी चीज शुरू कर दी, इस बलवन्तराय कमिटी का निर्माण भी उसी विचार धारा के अनुसार हुआ है। मेरा विचार है कि पंचायतें जो आज जिस रूप में हैं, उसी रूप में उन्हें रखना ठीक होगा। क्या पंचायतों को आप शहरों का रूप देना चाहते हैं, क्या आप पंचायतों को विलायत या अमेरिका के शहरों की तरह करना चाहते हैं? अगर ऐसा करते हैं? तो बड़ी गड़बड़ी होगी। आप गांवों को गांव ही रहने देते हैं तो यह ठीक रहेगा। आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, इस प्रकार जब गांव भी शहर का रूप धारण करने लग जायेंगे तो फिर कोई नया तरीका सामने आयगा। मेरा गवर्नमेंट से निवेदन है कि मौजूदा जो ढांचा है उसे ही रहने दिया जाय ताकि योग्य व्यक्ति ही ठीक

(श्री मदनसिंह)

ढंग से चुनाव में आ सकें, ऐसे नियम बनाये जाय। तहसील पंचायतें और पंचायतें, यह ठीक ढंग से है, यह भी बहुत सोच-समझ कर रखा है। अगर इसमें अच्छे आदमी आ पाए तो बहुत डेवलपमेंट के काम होंगे। आज वास्तव में देखा जाय तो सारा डेवलपमेंट का काम इन्हीं के हाथ में है। डेवलपमेंट जो हो रहा है यह तो गांवों के लिए बड़ी भारी सरकार की मदद है और ये सारे काम तहसील पंचायतों के जरिये कराये जायेंगे तो आखिर गवर्नमेंट करेगी क्या? यह तो हम गवर्नमेन्ट को निकम्मी कर रहे हैं। मुझे मेरे इलाके में जो अभी डेवलपमेन्ट के काम शुरू हुए उनको देखने का अवसर मिला है मैंने वहां के अधिकारियों से बातचीत की। डेवलपमेन्ट के जरिये सरकार जनता को मदद करती है। गवर्नमेन्ट डेवलपमेन्ट के जरिये सारी चीजें करती है। उसी के अनुसार सारी चीजें बनती रहती हैं। मौजूदा पंचायतों के अन्दर यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी की गई तो विकास का काम नहीं हो सकेगा। आज हम पंचायतों से डेवलपमेंट का काम लेते हैं, न्याय का काम उनको दिया हुआ है। महात्मा गांधी ने इन चीजों का संगठन किया इसलिये किया कि उनके पास राज्य नहीं था, वे अकेले थे। इसलिये उन्होंने यह संगठन का जरिया बनाया और गांवों के अन्दर छोटे छोटे संगठन बनाये और इस प्रकार से आजादी की लड़ाई लड़ी। यदि इसी प्रकार से सारा काम पंचायतों को सौंप दिया गया तो हमारे मिनिस्टर साहबान क्या करेंगे, क्या वे सोते रहें? आज जनता के अन्दर जाकर उनमें प्रचार करने की आवश्यकता है यह कौन करेगा, आज चाहिए तो यह कि गरीबों को यह काम सौंप दें, होना तो यह चाहिये था कि गरीबों को बैठे बैठे खाना मिलना चाहिए था उनको बैठने के लिये मोटरें और रेडियो आदि मिलने चाहिये थे। आज डेवलपमेंट के जरिये गरीबों को बैठे खाना चाहिये। आज जो हम यहां बैठे हैं जो गरीबों की कमाई खा रहे हैं, हमको गांवों में जाकर जनता को समझाना चाहिये कि किस प्रकार विकास के काम हो सकते हैं, आज हम पंचायतों को सब काम देकर खुद आराम करना चाहते हैं। क्या विधान सभा के सदस्यों का यह काम नहीं कि वे गांव गांव में जाकर विकास कार्यों को समझायें?

अभी अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि बी० डी० ओ० को जीपें नहीं देनी चाहिये, उनको ऊंट और घोड़ों की सवारी दी जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हम एटम युग की बातें करते हैं और दूसरी तरफ हम यह चाहते हैं कि डेवलपमेंट का काम करने वाले अधिकारियों को ऊंट दिये जायं। पांच-दस वर्ष तो उनको ऊंट पर चढ़ना सीखने में ही बीत जाय फिर पांच–दस साल घोड़े की सवारी उनको सिखाओ........

श्री उपाध्यक्ष: क्या इनकी सवारी सीखने में इतना लम्बा अर्सा लगना चाहिये?

श्री मदनसिंह: जहां आप जीपों की जगह ऊंट देने की सोच रहे हैं वहां वे डेवलपमेंट की क्या चीज देंगे, किस प्रकार से वे डेवलप कर पायेंगे। ऐसी रिपोर्ट और भी तैयार हो सकती है इस प्रकार से और भी कई नई चीजें पैदा कर सकते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जो मौजूदा ढांचा है, वही मुझे पसन्द आया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है उसके फंक्शन्स मुझे पसन्द नहीं आये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो फंक्शन्स हैं वे टैक्सेज़ को वसूल करने के हैं वे टेक्स वसूल करके स्कूलें खुलवाते हैं, कुए बनवाते हैं या

(श्री मदनसिंह)

डेवलपमेंट ब्लॉक खुलवाते हैं। अब यह काम तहसील पंचायतों के जरिये हो रहा है। ऐसी हालत में इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट बोर्डस हैं उनको खत्म कर देना चाहिये। जब मैं बचपन में संस्कृत पढ़ता था उस समय उन कहानियों में हम पढ़ा करते थे कि मूर्ख कौन होता है जो पहाड़ों पर कूआ बनवाता हो, या पहाड़ों पर पेड़ उगाता हो। इसी प्रकार की हरकतें आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा होती हैं इसलिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज जो ढांचा है वह बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट के जरिये जितने भी काम हो रहे हैं वे हो ठीक हैं। इसमें तहसील पंचायत और डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ढांचा होगा तो तभी ठीक होगा। इसी माफिक पंचायतें तहसील पंचायतों में काम होगा अगर इन ढांचों को तोड़ कर पचासों ढांचे कर लेंगे तो गालियां गवर्नमेंट को निकलेंगी। जितनी ज्यादा पॉवर हम लोगों को देने की कोशिश करेंगे उतनी ही व्यवस्था ज्यादा खराब होगी। शुरू-शुरू में राजस्थान में सैकड़ों की संख्या में जागीरें थी, बीसियों रियासतें थी उन सब को भंग करके सब रियासतों को एक करके हमने राजस्थान का निर्माण किया। जहां हम राजस्थान को एक करके रहे वहां इस तरह से अधिकारों के टुकड़े-टुकड़े कर रहे हैं इस प्रकार से पॉवर दिये जाते हैं यह ठीक नहीं हैं। हमारे दो तीन पॉवर के ढांचे हैं वे ही अच्छे हैं। यह सब काम तहसील पंचायतों और पंचायतों के जरिये भी हो सकता है और ठीक ढंग से हो सकते हैं। अगर हम अलग अलग पॉवर एक एक आदमी को दे पायें तो कुछ नहीं होगा।

दूसरी बात जो रिपोर्ट में बतायी गयी है वह है १५०० की जनसंख्या पर पंचायतें बनें। इससे क्या होगा आज जो बड़ी इकाइयां हैं वे टूट जायेंगी। जहां हम बड़ी बड़ी इकाइयों का संगठन कर रहे हैं वहां इस प्रकार से छोटी छोटी इकाइयां बनायेंगे तो मैं समझता हूं हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। चार-पांच हजार पर जो पंचायतों का काम है वह ढंग ठीक है और बहुत ठीक है इसको इसी प्रकार से रखना चाहिये। छोटी छोटी इकाइयां करने से प्रजातन्त्र ज्यादा बढ़ेगा यह मैं नहीं मानता। प्रजातन्त्र आगया है वह सब के दिमाग में भी जच गया है। जहां तक पंचायतों के चुनाव का सम्बन्ध है पंचायतों के चुनाव ठीक ढंग से होने चाहिये। इसमें जो गड़बड़ होती है वह नहीं होनी चाहिये। आपके शासन में गड़बड़ नहीं रहे तो आप स्वामी हो जावें। न तब दुख होगा और न गवर्नमेंट को तकलीफ होगी। आइन्दा से लगोटी ले लें और बैठ जावें, अध्यात्म की बातें करें। किसी गवर्नमेन्ट का या मिनिस्टर का कोई विरोध नहीं होगा और इससे आप बहुत ऊंचे आदर्श स्थापित करेंगे तथा हरएक को पॉवर भी मिल जावेगा।

(हंसी)

अन्यथा पंचायतों तक को आप बदल रहे हैं। इसका कम से कम अभी दस–बीस वर्ष तक एक्सपीरिएन्स करते कि क्या होता है? बार बार नई चीज उखाड़ने लगाने से गांव वालों के बीच में उनके दिमागों में ये बातें उतरेंगी नहीं। वे तो यही सोचेंगे कि यह नया प्रपन्च क्या आ गया? क्या कोई नया पोलिटिकल धक्का आ रहा है इस सरकार को या क्या हो रहा है? इस गवर्नमेन्ट के नीचे से तल्ले फिसल रहे हैं या क्या बात है; इसलिये ये नया जमावड़ा लग

(श्री मदनसिंह)

रहे हैं ? तो ऐसी ऐसी चीजों से ये दिक्कतें गांवों में पैदा हो जावेंगी ।

२. ३२ म० प०

(डॉ चन्द्रकला, सभानेत्री, पदासीन)

इसलिये मैं तो सदन को यही निवेदन करूंगा कि यह जो ढांचा है वह आपका ही बनाया हुआ है, उसमें परिवर्तन अभी न करें, अभी उसे जांचें। यह मैं मानता हूं कि मौजूदा पंचायतों में कहीं कुछ अन्याय भी हो जाता है, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं । पर इसका कारण आपकी पार्टीबाजी की भावना है । आप इसके लिये एक काम करें । आप महात्मा गांधी का आदर्श सामने रखकर चलें । वे कहते थे कि स्वराज्य के बाद कॉंग्रेस समाप्त कर दी जावेगी । तो आप कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दें और गांवों में सेवा का काम करें । अगर ऐसा हो तो बहुत जल्दी काम हो, अन्यथा फिर कितनी भी रिपोर्टों को आप लागू करें, कुछ होने जाने वाला नहीं है । आज पंचायतों में यह होता है कि पंच डरते हैं पार्टीबाजी से, इसको सजा दें या नहीं; मिनिस्टर साहब क्या कहेंगे, कहीं किसी नेता का दबाव तो नहीं आवेगा ? इसलिये अगर इसमें कोई खराबी है तो यह है, इसे हम नहीं देख रहे हैं। मैं मानता हूं कि डेवलपमेंट में काम अच्छा करने वाले होंगे तो काम अच्छा हो जावेगा । इस कमेटी की रिपोर्टों से अधिक असर नहीं होने वाला है । यह तो करने वालों पर निर्भर है । अगर करने वाले हैं तो आज जो स्थिति और साधन हैं वे ही इतने पर्याप्त हैं कि हम अपना लक्ष्य–साधन कर सकते हैं । मैं मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी की बात बताता हूं । अभी अभी वहां ब्लॉक खुला है । वहां बड़े अच्छे ढंग से काम हो रहा है, ईमानदारी और सच्चाई से काम हो रहा है और यह इसलिए चल रहा है कि चूंकि मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में कॉंग्रेसी नहीं हैं । अन्यथा तो वहां भी गड़बड़ी होती क्योंकि ये कुछ न कुछ पैसे से लगाव करेंगे, कहीं क्या प्रभाव डालेंगे, कहीं क्या खुराफात करेंगे । पर वहां सब काम ईमानदारी और सच्चाई से चल रहा है । किसान हैं और हम हैं । इसलिए मेरी तो ऐसी राय है कि कम से कम तहसील पंचायतों तक का ढांचा ऐसे ही रहने दिया जाय, इसमें रद्दोबदल न की जाय ।

हां, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की जरूरत नहीं । अगर इनके पॉवर नीचे पंचायतों को दे दिये जावें तो ठीक ढंग से काम चल सकता है और फिर एक बात जो सबसे बड़ी है वह तो यह है, आप कैसी भी अच्छी से अच्छी योजना लाइये या बनाइये जब तक उस पर अमल करने वाले व्यक्ति ईमानदार औह सच्चे नहीं होंगे तब तक न कुछ काम अच्छा चल सकता है न अपनी कोई तरक्की हो सकती है ।

अब हमें यह सोचना है कि यह ईमानदारी और सच्चाई आवे कैसे ? यह आती है शिक्षा से । यह शिक्षा न तो रुपयों से आ सकती है, न चर्खा कातने से, न पार्टीबाजी से और न योजनाएं बनाने भर से । जैसे जैसे धर्म और संस्कृति का प्रचार होगा वैसे वैसे चरित्र का उत्थान होगा और जब चरित्र का उत्थान होगा तब ये चीजें मनुष्यों में पैदा होंगी और तब सारे काम सम्पन्न हो सकेंगे । यह निश्चित बात है । कानून के जरिये से ईमानदारी नहीं आ सकती ।

तो हमारे जिम्मे जो यह काम है विलेजेज़ को कलकत्ता और बम्बई की तरह बनाना,

(श्री मदनसिंह)

तो बड़ी बड़ी पंचायतों से यह कहां बनेगा ! योजना हमारी कुछ ऐसी हो जो निभने वाली हो, जो दूरी तक टिक सके।

इसके बाद महात्माजी जैसा चाहते थे उस तरह से पंचायतों का चुनाव होता है, वहां से तहसील पंचायतों का चुनाव होता है तो यह ठीक तरीका है। इसी तरीके से, मैं समझता हूं, हमारी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। एक प्रणाली आज हमने अपनाई है और उस पर काफी चले हैं, कुछ आजमाया है, उसका आज तक का परिणाम सन्तोषजनक है, तो उसे आगे भी हमें आजमाते चलना है। एक प्रणाली ठीक ढंग से चल रही है और जो आज ठीक चल रही है वह आगे भी ठीक साबित होगी। इस वास्ते इसमें हमें कोई दखल नहीं देना चाहिए और अब तो जल्दी से जल्दी इन पंचायतों के चुनाव सामने आ रहे है व चुनाव ठीक ढंग से करा दिये जाने चाहिये। बलवन्तराय मेहता की इस रिपोर्ट से वे चुनाव रुक रहे हैं। एक बहुत बड़ी आजादी का उपयोग जनता आज पंचयतों के रूप में कर रही है। यह एक बहुत बड़ा हक उसे मिला है, पंचायतों में पूरे हक उसे प्राप्त हैं, और अगर कोई हक बाकी है तो आज जनता जाग्रत है। वे अब समझदार हो गये हैं, जान गये हैं कि हक किस तरह से लिया जाता है। तो इस रिपोर्ट से कोई नया हक उनको मिल रहा है या मिल जावेगा ऐसी बात नहीं है। इसलिये मैं तो निवेदन करूंगा कि मेरी तो यही राय है कि पंचायतों के वर्तमान ढांचे में कोई परिवर्तन न किया जाय। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अगर आप समाप्त करते हैं तो कर सकते हैं; इससे तरक्की होगी और वाकई में हम आगे बढ़ेंगे। ये अपने विचार मैं सदन के सामने रख रहा हूं।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुंदा) : माननीय सभापति महोदय, हमारे सामने जो रिपोर्ट पेश है उस पर कई सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। सभापति महोदय, मैं जहां तक सोचता हूं यह योजना ऊपर से रक्खी गई है जो रक्खी जानी चाहिये थी नीचे से। हमें अपनी योजनाएं ऐसे बनानी चाहिये जो नीचे से चलती हों। यह रिपोर्ट मुझे तब अच्छी लगती जब हम पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत के क्रमसे चलते। मैं समझता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी इसी तरह का खाका हमारे सामने आया था। तो इस रिपोर्ट को बनाते समय उस योजना की प्रगति पर भी विचार किया जाना चाहिये था। वास्तव में यह योजना जितनी सफल होनी चाहिये उतनी नहीं हुई। इसके कुछ कारण हैं। एक तो यह है कि हमारे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कुछ अन्य प्रदेशों से अलग है; कहीं पहाड़ हैं तो कहीं रेगिस्तान। इस विशेष स्थिति का ध्यान नहीं रक्खा गया है। अब सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इसी तरह से इस प्लान को लागू करने से पहले किन किन बातों को किन किन स्थानों को और किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, यह देखना चाहिये। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं। डांगे साहब ने बताया कि ४ हजार की आबादी पर पंचायत होनी चाहिये, यह ठीक नहीं है। बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं यह पंचायत ३ हजार की आबादी पर होनी चाहिये, यह मेरा सुझाव है। इससे लोगों को सहूलियत होगी और उस एरिया में एक ग्राम सेवक एक पंचायत को देना चाहिये।

(श्री लक्ष्मण हीरात)

अब ग्राम सेवक कैसा हो, किस तरह का हो इसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं और रखेंगे भी, लेकिन एक बात जरूर है कि हमारे पंचायतों के सुपुर्द जो ग्राम सेवक हैं वह उसी इलाके का होना चाहिए। हमारा इलाका जैसे कि आदिवासी इलाका है तो उसी आदिवासी इलाके का ही कोई पढ़ा लिखा ग्राम सेवक हो तो वह लोगों को ज्यादा बता सकेगा। वह वहां की भाषा को जानने वाला होगा तो उस समाज के अन्दर जो विकास का काम होता है या वहां के लोगों की जो दिक्कतें होंगी वह अच्छी तरह से बता सकेगा। जो भी उस इलाके में होगा उसमें वह भाग लेने वाला होगा और उसमें वह जायगा और गांव वालों में बैठकर बतायेगा कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह का होगा तो हमारी योजना अधिक सफल हो सकेगी।

गांवों में, सारे राजस्थान में ही क्या सारे भारत में ऐसा वातावरण जरूर है कि श्रमदान होने लगा है। उससे लोगों में जागृति आई है और यह बात पैदा हुई है कि वह अपने गांव का और लोगों का विकास कैसे करें। इतना जरूर हुआ है, लेकिन जो श्रमदान की व्यवस्था है उसमें यह देखना है कि अलग अलग स्थानों में अलग अलग स्थिति है और इसीलिए श्रमदान का भी अलग अलग हिसाब अलग अलग जगह में होना चाहिए। इस मामले में भी सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए।

अब पंचायतों के बाद में तहसील पंचायतें आती हैं। कई माननीय सदस्यों ने बताया कि २०,००० के आसपास की पंचायतें तहसील पंचायतें हों। तो इसके लिए मैं माननीय सभानेत्री, आपके मारफत हाउस को बताना चाहता हूं कि यह भी बहुत ज्यादा संख्या है और ज्यादा संख्या होने की वजह से बहुत से इलाके ऐसे हैं कि उनमें आने-जाने में बहुत दिक्कत होती है और ज्यादा दिक्कत होनी की वजह से हमारी योजना सफल नहीं हो सकेगी।

अब पंचायतों की जो चुनाव-प्रणाली हो उसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने बताया कि चुनाव प्रणाली जो हो वह हाथ उठा कर हो या बॉक्स सिस्टम से हो। लेकिन माननीय सभानेत्री, कई इलाके ऐसे हैं कि जहां पढ़े लिखे लोग ही नहीं हैं वहां तो हाथ उठा कर ही पंचायतों के चुनाव होने चाहिए और अगर बाक्स सिस्टम से ही वहां चुनाव हुए तो इसकी वजह से वहां के लोग नाम तो पढ़ नहीं सकेंगे और उन्हें निशान जहां लगाना होगा वह नहीं लगा सकेंगे और इस तरह से जिस सही आदमी को आना चाहिये वह नहीं आ सकेगा। तो माननीय सभानेत्री, मेरा यही अर्ज करना है कि जैसा जैसा इलाका हो, जहां जहां जैसी जैसी व्यवस्था हो वैसे ही सरकार को व्यवस्था जमानी चाहिये।

अब एक माननीय सदस्य ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर यह विकास-कार्य हों। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ माननीय सभानेत्री, इस हाउस को आपकी मारफत, कि कई निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां दो-दो और तीन-तीन तहसील हैं और इन दो-दो और तीन-तीन तहसीलों का एक ही ब्लॉक हो तो उसके लिए बड़ी डिफिकल्टीज़ होंगी और वे सब जगह नहीं जा सकेंगे। जैसा कि इस रिपोर्ट में है कि विलेज़ वर्कर कितने होंगे और उसमें ब्लॉक आफिसर एक होगा। इस तरह की व्यवस्था है तो इससे क्या होगा कि निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादा हिस्सा होगा तो हमारा प्लान सफल नहीं हो सकेगा। जैसा कि अब

(श्री लक्ष्मण हीरात)

तक मैं समझता हूँ कि कुछ सफलता ही रही है।

एक हमारी सरकार क्या करती है कि बड़ी बड़ी योजनायें बनाती है, लेकिन मैं समझता हूं कि उन बड़ी बड़ी योजनाओं के बनिस्बत छोटी छोटी योजनाएं बनानी चाहिये। जैसे भाखरा नांगल वगैरह बड़ी बड़ी योजनायें हैं, उनमें क्या है कि वह देर से फायदा देने वाली हैं। लेकिन आदिवासी इलाके में बहुत से ऐसे बन्ध वगैरह बन सकते हैं कि जिनसे खेती की उपज ज्यादा हो सकती है और इससे वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। इस तरह से राजस्थान के अन्दर जहां ऐसे इलाके हैं वहां छोटे छोटे बन्ध जरूर बनवाने चाहिए।

अब योजना कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें अलग अलग प्रान्तों का दिया है लेकिन उन्होंने हमारे राजस्थान के बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं की। इसके साथ साथ जिला बोर्ड के बारे में कई माननीय सदस्यों ने बताया कि जिलाबोर्ड कैसे हों; जिला परिषद हों या जिला बोर्ड हों? अब इसके बारे में माननीय सभानेत्री, मैं आपकी मारफत बताना चाहता हूं कि हमारे जिलों में जिला परिषद हैं या जिला विकास समितियां हैं वहां जिला बोर्ड का होना जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं कि वहां जिला बोर्ड हों, यह जरूरी नहीं है कि वहां इस प्रकार की एजेन्सी हो जिसकी मार्फत जो हमारी योजनायें चलती हैं उन योजनाओं को गांवों तक पहुँचने में देरी हो जाय। मैं समझता हूं कि जहां जिला विकास समितियां हैं वहां जिला बोर्डों का होना आवश्यक नहीं है। अब जिला परिषद ही हों तो अच्छा है लेकिन जिला बोर्ड भी हों तो यह दो तरह का शासन चालू हो जायेगा। इसलिये हमारी योजना भी धीरे धीरे चलेगी और जिस मंजिल पर हम पहुंचना चाहते हैं वहां हम जल्दी से नहीं पहुंच सकेंगे।

विकास समितियों के सदस्यों के बारे में हमारी इस योजना में कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि जैसे कि गैर सरकारी सदस्य को जो कि विकास समिति में आते थे उनको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन इस योजना से कुछ टी० ए और डी० मिलेगा। अगर तहसील पंचायत का सरपंच आता है तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है। जैसे कि हम एम० एल० ए० हैं और अगर हम समितियों में जाते है तो बहुत जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन तहसील पंचायत का अगर सरपंच आता है तो उसके लिए बड़ी खराब स्थिति रहती है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब रहती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए और इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

इसके अलावा हमारी योजनाओं के सफल होने में जो जो दिक्कतें आ रही हैं वह दूसरे डिपार्टमेन्ट्स की आ रही हैं। जैसा कि एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट है इसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने बताया है। इसके अन्दर हमें कभी साफ साफ नहीं मालूम होता कि हमारी जो पाठशालायें हैं वे किस ढंग से चलनी चाहिए; एज्युकेशन के द्वारा चले या जिलाधीश की मार्फत चलें। इसमें मेरी राय है माननीय सभानेत्री, कि जो एज्युकेशन की पाठशालायें चलें वह कलेक्टर के मार्फत चलनी चाहिए। ब्लॉक एरिया में जो जो सारी चीजें चलें वह कलेक्टर के मार्फत ही होनी चाहिए क्योंकि अगर वह कलेक्टर के मार्फत नहीं होती हैं तो बहुत खराबी होती है। ब्लॉक वाले कहते हैं कि यहां करो और

(श्री लक्ष्मण हीरात)

फिर गांव वाले कहते है कि यहां करो। उनसे कहा जाय कि बच्चे नहीं आते हैं तो भी वह कह देते है कि चाहे स्कूल में एक बच्चा आयेगा तो भी हम यहां पर रखेंगे। इस तरह की जो टेकनीकल डिफिकल्टीज़ होती हैं तो उनको दूर करने के लिए जिलाधीश के अन्दर में ही यह रखनी चाहिए। जैसे कि ब्लॉक आफिसर भी जिलाधीश के अण्डर में होता है उसी तरह से यह होना चाहिए; तभी हम जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

एक बात और कहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा कि हम कैसे करें, क्या करें; हम एक प्रयोग करें राजस्थान में कि क्या करें। इसके बारे में मेरा एक विचार है कि हम राजस्थान को २–३ ब्लॉकों में बांट दें। पांच डिविज़न है तो एक एक डिविज़न में एक एक ब्लॉक को रख लें और उसमें एक्सपेरीमेंट करें। उसमें सब प्रवृतियां कलेक्टर के पास में हों तभी जाकर ज्यादा से ज्यादा कार्य हो सकता है। एक साल के अन्दर ऐसा कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। उसमें सारे के सारे अधिकार कलेक्टर को दे दें और कलेक्टर एक साल में देख ले कि सारे के सारे हिसाब में कहां से कहां तक प्रगति हुई है। तो तब जाकर हम कुछ कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव है कि पांच डिविजनस में पांच ब्लॉक होने चाहिए, और इस तरह से ब्लाक में प्रयोग करना चाहिए कि सारी प्रवृत्तियां ब्लॉक के मार्फत चलाएं; वे उसी कलेक्टर के मार्फत चलाएं। अब ब्लॉक ऑफिसर की जीप के बारे में माननीय सदस्यों ने अलग अलग रायें सुझाई। जीप के बारे में ऐसा है कि वास्तव में देख लें कि जीप वहां पर बेकार है या नहीं। जो ब्लॉक के अन्दर पैसा है, उस ब्लॉक के हैड में से रकम मिलती है, जीप के पैट्रोल पर जो अधिक खर्च होता है; लेकिन एक समस्या हमारे सामने यह है कि जहां बहुत दूरी का इलाका हो, पहाड़ी इलाका हो, ज्यादा ग्राम-सेवक हों, जिस ब्लॉक आफिसर के अन्दर में, उसका क्या होगा? अगर उसको एक ऊंट दे दिया जायगा तो ऊंट से आने जाने में बहुत दिक्कत होगी। ऊंट पर चढ़ना सीखने के लिए उसको काफी टाइम चाहिए। तो इस वजह से हमारी योजना बहुत धीमे चलेगी, और धीमी चलने की वजह से जितनी प्रगति करना चाहिए उतनी नहीं कर सकते हैं। पहले यह कहा गया कि जीप नहीं देनी चाहिए। जीप उनके ही उपयोग में आती है, ऐसी बात नहीं है। वह इतनी जरूरी है कि वह गांवों में जाकर ग्राम सेवकों को देख लेते हैं कि वह ड्यूटी पर हैं कि नहीं, अपने क्षेत्र में हैं या बाहर हैं, कहीं घर पर तो नहीं चला गया है; इस तरह की बात देख लेते हैं। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो तो गलत बात है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे इलाके के अन्दर जीप होनी चाहिए। मगर एक बात जरूर है कि हमें यह देखना चाहिए, माननीय सभानेत्रीजी, आपके द्वारा इस हाउस को निवेदन करना चाहता हूं, कि जैसे मैंने पहले विचार बतलाये, जैसा जैसा इलाका हो उस तरह से जीप आदि की व्यवस्था हो सकती है। जहां जीप की आवश्यकता हो वहां जीप दी जाय और जहां ऊंट की व्यवस्था ठीक हो वहां ऊंट दिया जाय। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार को करनी चाहिए।

माननीय सभानेत्रीजी, कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, और मैंने अपने दो तीन सुझाव रख दिये हैं। एक बात और

(श्री लक्ष्मण हीरात)

पंचायतों के बारे में जोर देकर कहना चाहता हू कि जहां पर पंचायतें मजबूत नहीं हैं वहां पर पंचायतों को सारे के सारे पॉवर्स दे देते हैं तो वहां पर पूरे का पूरा नहीं चल सकेगा, वे असफल हो जायगी पंचायतें । तो फिर क्या होगा कि आगे जाकर हमारे जो शासन का ढांचा है वह चलेगा नहीं, और न ब्लॉक ही आगे जाकर सफल होंगे । इस वजह से हमारे इलाके की पंचायतों के पंच पढ़े लिखें नहीं होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि अंगूठा लगाते हैं, एकाध पढ़ा लिखा होता है । तो जैसा जैसा इलाका हो उस उस इलाके में वैसी वैसी व्यवस्था करनी चाहिए ।

फिर एक बात अंत में और कहना चाहता हूं, माननीय सभानेत्री जी, आपके मार्फत इस हाउस को, कि वैसी व्यवस्था गवर्नमेन्ट को जमानी चाहिए ।

एक बात अंत में आपके मार्फत मिनिस्टर महोदय को, सुलभ हो वैसी व्यवस्था, कहना चाहता हूं कि जहां आदिवासी इलाका है वहां सब आदिवासी इलाके में ब्लॉक होने चाहिए । यह मेरी अंतिम मांग है । जितने ब्लॉक आदिवासी एरिया में सफल हो रहे हैं उतने सफल और कहीं नहीं हो रहे हैं । राजस्थान का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां कि ब्लॉक सफल हुए हों । अन्य इलाके के बी० डी० ओज़० गलत श्रमदान के आंकड़े पेश करते हैं । हम लोग जहां कि आधा पैसा लगाने को तैयार हैं, ऐसे इलाकों को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए और जो रिपोर्ट माननीय सभानेत्री जी, मैंने पढ़ी उसमें भी है कि जहां इस तरह के लोग हों और जहां ज्यादे से ज्यादा सफल हों ऐसी कोशिश हमारी सरकार को करनी चाहिए ।

अंत में इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म कर देता हूं ।

(श्री श्रीभानसिंह एवं अन्य माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्रीमती सभानेत्री : श्री श्रीभानसिंह ।

श्री श्रीभानसिंह : मेडम, ...

एक माननीय सदस्य : हिन्दी बोलिये ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : हम कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको डिस्कस करें उससे पहले हमको जो आज एक्चुअल स्थिति है, जिसमें कि हमारे सी.डी. ब्लॉक्स और एन. इ. एस. ब्लॉक्स काम कर रहे हैं उस स्थिति को देखना होगा और उसको देखकर उस लाइट के अन्दर उस पर्सपेक्टिव के अन्दर हम, जो रिपोर्ट हैं, उसकी आलोचना या उसका समर्थन कर सकते हैं । यह देखना होगा कि जो उम्मीदें या जो आशाएं या जो एक्सपेक्टेशन्स हमने ६ साल पहले सी. डी. ब्लॉक्स को खोलते वक्त की थी वह एक्सपेक्टेशन फुलफिल की गई या नहीं ? आज अगर हमारे एक्सपेक्टेशन्स फुलफिल नहीं किये गये तो हमको जो इन्स्टीट्युशन्स हैं, जो बोडीज़ हैं, और जो पर्सोनल हैं, जिनके थ्रू हम एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनको रिओरियेन्ट करना पड़ेगा, उनके अन्दर एक रद्दोबदल, एक चेन्ज लानी पडेगी । इसलिए मैं यह कहूं कि जिन एक्सपेक्टेशन्स से हमने यह शुरू किया था, व एक्सपेक्टेशन्स इन्होंने फुलफिल नहीं किये । हमारा एक ध्येय था कि ग्राम, एक तहसील या एक ताल्लुके का जो इकोनोमिक और social ट्रान्सफोर्मेशन इन कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के जरिये से लाया जाय, अगर वह ट्रान्सफोर्मेशन नहीं हुआ । जो ऑब्जेक्ट्स

(श्री श्रीमानसिंह)

रखे थे, वे ऑब्जेक्ट्स फुलफिल नहीं हुए। हमारे जो ऑब्जेक्ट्स थे इन्क्रीज़्ड प्रोडक्शन के, इन्क्रीज़्ड एम्प्लॉयमेंट के, वे जहां तक हम देखते हैं कि कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के अन्दर न तो प्रोडक्शन बढ़ा और न इन्क्रीज़्ड एम्प्लॉयमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार ने एक आर्बिट्रेरी टारगेट फिक्स कर दिये और उनको प्रोजेक्ट्स के ऊपर या सी. डी. ब्लॉक्स के ऊपर थोप दिया। नतीजा यह हुआ कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल था प्रोडक्शन का वह फुलफिल नहीं हुआ।

दूसरा हमारा उद्देश्य था कि सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिलायन्स या स्प्रिट ऑफ कोऑपरेशन हम जनता के अन्दर जिस जगह सी. डी. ब्लॉक्स खोलते हैं उस जगह जेनरेट करें। मगर मैं यह कहूं कि न तो सेल्फ हेल्प, न कोऑपरेशन और न सेल्फ रिलायन्स; इन चीजों को हम जेनेरेट नहीं कर सके हैं। उसका नतीजा क्या हुआ कि कोऑपरेशन की जगह एक तरह के डिविजन, कास्ट सिस्टम, रिलीजियन, इनको प्रोत्साहन मिला। यह क्यों? क्योंकि हमने जो आफिसर बिठाये उन आफिसर्स का कास्ट, रिलीजियन एक narrow approach है, जब तक हम उसको क्योर नहीं करेंगे तब तक सेल्फ रिलायन्स, कोआपरेशन, जिसकी हम उम्मीद करते हैं, उसको हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं।

तीसरा हमारा उद्देश्य था कि एक इनीशियेटिव देकर जो हमारी लेबर पॉवर है. जो विलेजर्स के ऊपर है उसको युटिलाइज़ करें। नतीजा क्या होता है कि जहां विलेजर्स कन्ट्रीब्युट कर देते हैं. सरकार का कन्ट्रीब्युशन नहीं पहुंचता है। जहां सरकार का कन्ट्रीब्युशन पहुंचता है वहां पर विलेजर्स का कन्ट्रीब्युशन नहीं आता है, क्योंकि जो बी. डी. ओज़ बनाये हैं वे इस दृष्टिकोण से बनायें कि वे अनट्रेन्ड थे। जो हम चाहते थे फुलफिल कराने को वे फुलफिल नहीं कर सके। वे एक मास के अन्दर जो इनिशियेटिव, जो एन्थुज़ियाज़्म इवोक कर सकते थे वे इवोक नहीं कर सके हैं।

इन तीन ग्राउन्ड्स पर जब सी. डी. ब्लॉक्स फेल हुए हैं तो सोचना है कि किस तरह से उनको रिऑर्गेनाइज़ करें। यह गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पोलिसी का सवाल है। गवर्नमेंट ने बिनां सोचे समझे सी. डी. ब्लॉक्स खोल दिये। एक उदयपुर के अन्दर, एक जैसलमेर के अन्दर, एक बीकानेर के अन्दर, एक भरतपुर के अन्दर, मगर सब जगह यह नहीं देखा कि उस जगह की पोपुलेशन क्या है, ज्योग्राफिकल सर्कम्स्टान्सेज़ क्या हैं? जो जैसलमेर के अन्दर ब्लॉक खोलते है वहां देखना पड़ेगा कि डेन्सिटी ऑफ पोपुलेशन क्या है? हम भरतपुर के अन्दर ब्लॉक खोलते हैं तो हमें डेन्सिटी ऑफ पापुलेशन को देखना पड़ेगा। जहा पर सिक्स पर्सेन्ट पर स्क्वायर माइल्स पोपुलेशन है और एक जगह २६० पर्सन्स पर स्क्वायर माइल्स हैं उस जगह भरतपुर के पेटर्न को जैसलमेर में रखते हैं और जैसलमेर के पेटर्न को उदयपुर रखते हैं तो आपकी पोलिसी अच्छी पोलिसी नहीं है और वह सही माने में पीपल कंसर्न्ड को इकोनोमिक आधार पर नहीं ले जा सकती।

फिर हमने पंचायतों को कांस्टिट्यूट किया, और उनके जरिये डेवलपमेंट का काम शुरू किया। लेकिन मैं यह कहूं कि राजस्थान सरकार ने एक पंचायत ऑफिसर पर जो फेबुलस अमाउन्ट वेस्ट किया वह इसलिये किया कि वह डेवलपमेंट प्लान्स को सेबोटेज करे। उसका नतीजा यह हुआ कि पंचायतों का जो सर्कल और ग्रूपिंग हुआ वह गलत तरीके से हुआ।

(श्री श्रीमानसिंह)

उसमें कास्टिज़्म आया, रिलीजियस एप्रोच आया। आज पंचायतों के लीडर्स को जिस दृष्टिकोण से देखना चाहिये था उस तरह से देखना छोड़ दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि कॉम्युनल दृष्टि से देखने लगीं, इसलिये वे फेल होंगी। फेल इसलिये होंगी कि हमने उस ओफिसर को रखा जो कास्टिज़्म का हामी था। We paid him fabulously to sabotage democracy नतीजा क्या हुआ? जो नतीजा हुआ वह ब्लॉक एडवाइज़र कमेटीज़ में देखिये। हमारे यहां नदबई और रूपवास में आपने ब्लॉक एडवाइज़री कमेटियां कायम की हैं। वे क्या चीज रिफलेक्ट करती हैं? वहां सर्विसेज़ इन्टिग्रिटी, वर्क आदि का क्राइटेरिया नहीं है; लेकिन वेल्थ, स्टेटस का, कास्ट का क्राइटेरिया है और जो सबवर्सिव एक्टिविटीज़ हैं उनको रिप्रजेन्टेशन दिया है। ब्लॉक एडवाइज़री कमेटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से चलता है और फिर आप चाहते हैं कि ये एडवाइस करें और उनके आधार पर इकोनोमिक प्रोग्रेस कर लें, यह नहीं हो सकता। इस आधार पर आप पीपुल का इनिशियेशन और प्रोग्रेसिव एटीट्यूड चाहते हैं, उनका बैटर आउटलुक चाहते हैं, कास्ट सिस्टम का अभाव चाहते हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह की टेन्डेन्सीज़ को लाते हैं तो कैसे सफल हो सकते हैं? हमारी इस पोलिसी को देखते हुए लगता है कि हमारा इनिशियेटिव फेल होगा। लेकिन मैं डिसेन्ट्रलाइज़ेशन के प्रिंसिपल को सपोर्ट करता हूं। इस रिपोर्ट में जो प्रिंसिपल्स रखे हैं उनको सपोर्ट करते हुए देखना होगा कि जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें कोर्डिनेबल पॉवर्स कहां वहां रखी हैं। मैंने कमेटी की रिपोर्ट में कनफ्यूजन देखा एक तरफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को एबोलिश करना चाहते हैं और उसको एबोलिश करने की रिकमन्डेशन करते हैं और दूसरी तरफ इकोनोमिक डेवलपमेंट पंचायतों के जरिये से करना चाहते हैं, तीसरी तरफ जुडिशियरी में थोड़ा सेन्ट्रलाइज़ेशन चाहते हैं। आज जनता की माँग है कि चीप एण्ड क्विक जस्टिस मिले, लेकिन अगर इस रिपोर्ट को इम्पलीमेंट करते हैं तो वह नहीं मिल सकेगा। इसका कारण यह है कि इसमें लेजिस्लेटिव, एग्ज़ीक्यूटिव, जुडिशियल इन चारों फंक्शन्स को सेपरेट बोडीज़ करेंगी तो उनका किस तरह से कोआर्डिनेशन होगा, यह कमेटी की रिपोर्ट में नहीं है। उसके लिये कमेटी का रोंग एप्रोच रहा है। कमेटी द्वारा वह सोचना हियरार्की ऑफ इन्सटिट्यूशन है। लेकिन डिसेन्ट्रलाइज़ेशन का मतलब हियरार्की ऑफ इन्सटिट्युशन नहीं है।

दूसरा कमेटी की रिपोर्ट को फाइनेन्शियल पोइन्ट ऑफ व्यू से देखना चाहता हूं। कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को एबोलिश करने की रिकमन्डेशन की। मैं इसको सपोर्ट करता हूं। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ने प्रोपरली किस तरह से नहीं किया और ये किस तरह से डिफेक्टिव रहे क्योंकि ऊपर की पॉवर स्टेट गवर्नमेंट ने ली और नीचे की पॉवर्स पंचायतों को दे दी। कमेटी ने कहा कि उन्होंने कोई ट्रेडिशन्स कायम नहीं की। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि ट्रेडिशन्स तब कायम होंगे जब उनको अच्छी तरह से फंक्शन करने का मौका देंगे। आज तक ब्रिटिश गवर्नमेन्ट से लेकर अब तक किसने उनको डेवलपमेंट फंक्शन्स दिये और फंक्शन्स दिये तो रिसोर्सेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को किसने दिये। उसका मेन फंक्शन एग्ज़ीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट सेस का था। जहां तक रिसोर्सेज देकर मदद देने का सवाल

(श्री श्रीमानसिंह)

था, ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने उनके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेन्ट किया। यदि गवर्नमेन्ट चाहती तो उनसे फुल रोल प्ले करवा सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं करने दिया इसीलिये वे स्टेबल नहीं हो पाई।

उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के पॉवर्स हमने पंचायतों को दिये। लेकिन हमें देखना है कि जो हमने फाइनेन्शियल पॉवर्स दिये हैं वे एडिकेट हैं क्या ? इनिशियली पंचायतें हैं वे फाइनेन्शियली रिहेबिलिटेट हो जायेंगी क्या ? कमेटी की सिफारिश की सबसे बड़ी Financial दलील गलत है ? वह यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड्स के पास सब तरह के साधन होने के बाद भी Octroi का कलेक्शन नहीं कर सकते और आज कमेटी चाहती है कि वही Octroi पंचायत Levy करे और Octroi के बजाय Local tax कलेक्शन की Powers होनी चाहिये। उसको develop करें पंचायतें। दूसरा आता है हाउस टैक्स। यह एक ऐसा टेक्निकल Tax है और सोर्स है जिसका इवेल्युशन easily नहीं कर सकते। पंचायतों के पास इसके लिए मशीनरी नहीं है, तीसरा अधिकार दिया है रजिस्ट्रेशन फीस on Cycles, Carts & animals एनिमल्स वगैरह के सेल का। तो ये जो Resources हैं उनको पंचायतें Collect या एसेस नहीं कर सकती तो फिर कैसे डेवलपमेंट वर्क को ठीक और अच्छी तरह से कर सकेंगी ? जब उनके पास इनिशियल इन्कम नहीं है तो केसे करेंगी। लोकल बोडीज़ फेल्योर इसलिए रहीं कि उनके पास फण्ड्स नहीं हैं।

ग्रुप डेवलपमेंट करने का जहां तक सवाल है, पंचायत समितियों को टैक्सेज़ वसूल करने के पॉवर्स दिये हैं, लैण्ड Tax वसूल करने के पॉवर्स दिये हैं, जो Less या सरचार्ज आदि की पॉवर्स इनको नहीं होनी चाहिये क्या वह एप्रोप्रियेटली पंचायतों को बिलोंग करती हैं ? अब सवाल यह आता है कि इनिशियली यह Bodies taxes यदि लागू करेंगी और ये बोडीज़ इनिशियली अपनी लाइफ इनसे स्टार्ट करें तो They are deemed to be failure. क्योंकि प्रश्न यह है कि जनता और पंचायतों में रहने वाले आदमी Contribution तब देंगे जब वे पंचायतें इनिशियल यूज़फुलनेस को उस क्षेत्र में एस्टेब्लिश कर देंगी और यदि इसको ऐस्टेब्लिश नहीं किया और टैक्सेशन पहले से लगाना शुरू कर दिया तो कोई आदमी उनको सपोर्ट नहीं करेगा। तो गवर्नमेन्ट को सब से पहले कम से कम तीन साल के लिये इनीशियली उनको फाइनेन्स प्रोवाइड करना पडेगा और तीन साल बाद टैक्सेशन के पॉवर्स देने पड़ेंगे जिससे कि ग्रेज्युअली डेवेलपमेन्ट कर सकें। तो क्या गवर्नमेन्ट के पास इतने रिसोर्सेज़ हैं कि जिसमे इनीशियली इनको फाइनेन्स देकर रिहेबिलिटेट कर दे ? यह गवर्नमेन्ट को सोचना होगा। फिर एक मशीनरी का सवाल आता है, आखिर टैक्सेशन की एक मशीनरी होगी। इस रिपोर्ट के अन्दर यह सजेस्ट नहीं किया कि टैक्सेज़ का असेसमेंट कौन करेगा, टैक्सेज़ को केलकुलेट कौन करेगा। यह अगर पंचायत करती है तो पंचायत को मशीनरी रखनी पडेगी, अगर पंचायत समिति करती है तो पंचायत समिती को मशीनरी रखनी पडेगी, और अगर पंचायत या पंचायत समिति मशीनरी रखती है तो टैक्सेज़ का केलकुलेशन कोस्टली होगा, वह हेवी होगा और जो रेवेन्यू उससे होगी वह कम होने की है। अगर पंचायत समिति मशीनरी रखती है तो उनके सामने भी सीमिलर प्राब्लम है, आखिर जो enter-

(श्री श्रीभानसिंह)

tainment टैक्स हैं, ट्रेड टैक्स हैं, इनका वेल्यूएशन करना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेन्ट को सोचना होगा कि कोई सेन्ट्रल वेल्यूएशन डिपार्टमेंट रखेगी क्या, अगर रखती है तो फिर सेन्ट्रलाइज़ेशन हो जायगा और डिसेन्ट्रलाइज़ेशन की बात रह जायगी। तो गवर्नमेंट को इस प्रॉबलम पर सोचना होगा, इसको कमेटी ने अनूटेकल्ड छोड़ दिया है। फिर टैक्सेज़ की बात करते हैं तो कमेटी ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया है कि आज के युग के अन्दर सबसे ज्यादा इम्फेसिस नॉन टैक्सेज़ रेवेन्यू पर भी दिया जाता है, इसलिए पंचायत या पंचायत समिति को नॉन टैक्सेज़ रेवेन्यू को डेवलप करने की पॉवर देने की बात अगर कहें, तो, डेवलपमेंट कौन करे, इस पर कमेटी बिल्कुल साइलेन्ट है। मैं समझता हूं फाइनेन्सियल पोइन्ट ऑफ व्यू से बेसिक इन्सटीट्यूशन है पंचायत, तो बेसिक रिहैबिलिटेट करने के लिए पंचायत को टैक्सेशन की पॉवर ज्यादा देनी होगी। उनके पास रिसोर्ड Resources हों, जिनके आधार पर वे डेवलपमेंट वर्क को एफीशियेन्टली डिस्चार्ज करें। इसके लिए हमें टैक्सेशन के रिसोर्सेज़ की ग्रान्ट देनी होगी। कमेटी ने टैक्सेज़ के रिसोर्सेज़ दिये हैं, वे बिल्कुल टैक्सेशन के प्रिन्सिपल्स हैं, उनको वायोलेट करते हैं। उसने ऐसे टैक्सेज़ दिये हैं जिनसे कोई रेवेन्यू नहीं हो सकती है।

अब जब कि हम डिसेन्ट्रलाइज़ेशन की बात करते हैं तो दूसरी तरफ कमेटी यह कहती है कि हमें पॉवर ऑफ सुपरसेशन भी देना चाहिए। मैं मानता हूं कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट के अन्दर एक पंचायत को सुपरसीड कर दें मगर जब डिसेन्ट्रलाइज़ेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लाइज़ करना चाहते हैं, तो हमें देखना होगा कि क्या हम रेफरेन्डेम को भी काम में ला सकते हैं या नहीं। आज बड़ी बड़ी म्युनिसिपेलिटीज़ के अन्दर, लेजिस्लेचर्स के अन्दर भी रेफरेन्डम को काम में नहीं लाया जा सकता है। इसके पहले कि कलेक्टर पंचायत को सुपरसीड करे, मैं यह चीज जरूरी समझता हूं कि रेफरेन्डम लागू करें। अगर रेफरेन्डम लागू नहीं करना चाहते हैं तो कलेक्टर को, गवर्नमेन्ट को कोई ऑथोरिटी नहीं है कि वह पंचायत को सुपरसीड कर सके। जब आप लोगों को डेमोक्रेसी टीच करना चाहते हैं, Democratic मेथड्स Teach करना चाहते हैं, तो कमेटी को सोचना चाहिए था कि अगर पंचायत को सुपरसीड करना चाहते हैं तो उससे पहले जनता के वोट लेने चाहिए। आखिर १०००, ५०० आदमियों से रेफरेन्डम लेना कोई कॉम्प्लीकेटेड चीज नहीं है।

आगे कमेटी ने सजेस्ट किया है कि ग्राम सेवक को ही डेवलपमेंट सेक्रेटरी रखा जाय। ऑलरेडी श्री बी. जी. राव ने जो नोट ऑफ डिसेन्ट रखा है, उसको मैं सपोर्ट करता हूं क्योंकि जब डवलपमेंट सेकेट्री उस ग्राम सेवक को रखेंगे तो एक तरफ तो आप चाहेंगे कि ग्राम सेवक डेवलपमेंट वर्क को एग्ज़ीक्यूट करे और दूसरी तरफ आप चाहेंगे कि पेपर वर्क भी करे। अगर वह डेवलपमेंट सेक्रेटरी रहे तो डेवलपमेंट वर्क विद्हेल्ड हो जाता है और अगर वह पेपर वर्क में बिज़ी हो जाता है तो डेवलपमेन्ट वर्क छोड़ देगा और अगर डेवलपमेंट वर्क करे तो Desk वर्क को छोड़ देगा। इसलिए हमें कोई दूसरा सेक्रेटरी रखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि ग्राम सेवक अच्छी तरह से काम करे तो जैसा कमेटी ने रखा है कि वही डेवलपमेंट सेक्रेट्री

(श्री श्रीमानसिंह)

रहे, उस पर फिर सोचना होगा, क्योंकि यह अच्छी तरह से हमारा पर्पज़ सर्व नही करता है ।

मैं इस सजेशन को सपोर्ट करता हूं कि १० हजार से कम की म्युनिसिपेलिटी हैं उनको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इनको न तो ब्लॉक में फायदा मिलता है और उनकी रेस्पोन्सिबिलिटीज़ हैं वे इतनी ज्यादा हैं कि वे मीट आउट नहीं कर सकती हैं। जो जो ऐसी म्युनिसिपेलिटीज़ के सामने डिस-एडवान्टजेज़ है, उनको वे भुगतनी हैं और जो एडवान्टेजेज़ हैं म्युनिसिपेलिटी रहने के, उनको वे ले नहीं सकती, इसलिए उन्हें पंचायत में टर्न कर देना चाहिए ।

३.१३ म० प०

अब राजस्थान का सवाल आता है। हमने देखा है कि यहां का मिनिस्टीरियल सेट अप कैसा है । यहां पर लोकल सेल्फ मिनिस्टर दूसरे हैं, कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट मिनिस्टर दूसरे हैं, वेलफेअर मिनिस्टर दूसरे और कोऑपरेटिव मिनिस्टर दूसरे हैं । यानी हमारे यहां कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट, इकोनोमिक डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, सोश्यल वेलफेअर चार मिनिस्टरों में बटा हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता कि अब तक रेशा-नल प्लानिंग मिनिस्ट्रीज़ का क्यों नहीं हुआ है, जो लोकल सेल्फ मिनिस्टर हैं, उनके पास कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिनके पास कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट हो, उनके पास सोशियल कॉपरेटिव विभाग होना चाहिए, जिसके पास कोऑपरेटिव विभाग हो, उसके पास डेवल-पमेंट विभाग होना चाहिए और जिसके पास को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट विभाग हो, उसके पास एग्रीकल्चर विभाग भी होना चाहिए । ये सब पोर्टफोलियोज़ कम्बाइन्ड होने चाहिए। ये सब विभाग चार मिनिस्टरों में बांट दिये हैं, मैं नहीं समझता कि वे किस तरह को-ऑर्डिनेट करते हैं लेकिन जिस प्रकार को-ऑर्डिनेट करते हैं उसका यह नतीजा है कि इसका इफेक्ट कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पर पड़ रहा है ।

इन सब बातों को बताते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें देखना है कि जो हम फाइने-न्सियल पॉवर्स दे रहे हैं, उससे वे गांवों को रिहेबिलिटेट करते हैं या नहीं, नई बोडीज़ बनाते हैं, वे बताते हुए वर्क को एग्ज़ीक्यूट करती है या नहीं, जो कोऑर्डीनेशन हम चाहते हैं वह होता है या नहीं, जो जिला परि-षद् का सजेशन है, मैं समझता हूं कि यह एक डिफन्क्ट बॉडी का सजेशन है, मैं इसके क्रिएशन का कुछ मतलब नहीं समझता। अगर यह कोई इलेक्टिव बोर्ड होता तो माना जा सकता था कि यह कोई पर्पज़ सर्व करेगा। ऐसी परिषद् को डिस्ट्रिक्ट के अन्दर बैठा दे, तो उसका फायदा क्या, सिवाय इसके कि वह सिर्फ बजट एप्रूव करे। अगर किसी पंचायत का बजट मेरे से एप्रूव कराये, जिसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं हो, तो क्या फायदा। जिला परिषद् के पास न तो कोई पॉवर है, यह एक अन्नेसेसरी बोर्ड है, जिसको उन्होंने क्रियेट किया है, उसकी जरूरत नहीं है ।

आज हमने यह देखा है कि एक तरफ तो जागीरदारी अबोलिश कर दी है, लेकिन लैंड रिफोर्म अभी तक सक्सेसफुली एमप्ली-मेंट नहीं हो रहे हैं। आज जो कलेक्टर और एस. डी. एम. हैं वे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लैंड रिफोर्मर्स अगर सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो लेमैन ओपीनियन को और जुडिशियल ओपीनियन को कोऑर्डीनेट करना

(श्री श्रीमानसिंह)

चाहिए और यह एक इम्पोर्टेन्ट फंक्शन है उसे हमें देना होगा कि पंचायत, तहसील पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रेवन्यू लॉज़ के इम्पलीमेन्टेशन में एसोसियट करना पड़ेगा। अगर आपको देश में रद्दोबदल करनी है, सोशियल एण्ड एकोनोमिक ट्रान्सफोरमेशन विलेजेज़ में लाना है और यह गवनमेंट की पोलिसी भी रही है तो पंचायत या लेजिस्लेचर्स एस्टेब्लिश करने से नहीं हो सकता है। आज विलेजेज़ में सोशियल एन्ड इकॉनामिक ट्रान्सफोरमेशन हो, वह नहीं हुआ है। आज जिस के पास धन है उसके पास धन पहुंच रहा है, जो स्ट्रोंग है, उसको और स्ट्रोंग करते जा रहे हैं और जो वीक है उसे और वीक करते जा रहे हैं। तकावी लोन भी उनको दिया जाता है जो वेल अप आदमी हैं और जो इकॉनामिकली वीक हैं, उससे तकावी लोन नहीं दिया है। अब जब आप डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन सेट अप करते हैं तो उसके अन्दर इकोनोमिकली वीकर आदमी कैसे आ सकता है, आपकी पंचायतों में, पंचायत समितियों में वीकर आदमी कैसे आ सकेगा? हम अगर मास ऑर्गेनाइज़ेशन चाहते हैं और मास ऑर्गेनाइज़ेशन के द्वारा विकास में कोऑपरेशन चाहते हैं गांवों का विकास करना चाहते हैं, तो जो तकावी लोन की पॉलिसी रही है, चाहे ब्लॉक्स में, चाहे जनरल to rehabilitate the stronger, जैसा मैं कहूं कि weak or strong की लडाई के लिए एरिना क्लिअर कर दिया है with the rules of the game heavily weighted in Favour of the stronger तो फिर वीक आदमी कैसे सक्सेज़फुल हो। जब लीडरशिप का कम्पेन चालू होता है तो जो व्यक्ति गवर्न करता है, जो रूल करता है, वही लीडरशिप ले लेता है। हमें एक तरह से ऐसा एटमोस्फिअर क्रियेट करना है जिससे वीक आदमी का विकास हो, वे ऊपर आयें और स्ट्रोंगर सबड्यूड रहें। लीडरशिप से जो मिस बेनीफिट उनको मिलता है, वह उन्हें न मिले और वे भी बेनीफिट ले सकें। आज जो लीडर आये हैं वे पर्सनल बेनीफिट पहुंचाते हैं।

तीसरे अगर आप विलेजर्स को रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं तो आज-कल जो ल्योर ऑफ सिटीज़ चल रहा है कि गांव का आदमी शहर की तरफ भाग रहा है क्योंकि वहां उसे एक एम्प्लायमेंट मिलता है, एमिनिटीज़ मिलती हैं, तो हमें ल्योर ऑफ सिटीज़ को किल करना पड़ेगा और ल्योर ऑफ विलेज को विलेजर्स में क्रियेट करना पड़ेगा जिससे कि पोपुलेशन का माइग्रेशन जो सिटीज़ की तरफ हो रहा है, जो विलेजर्स में गांव का इन्ट्रेस्ट है, वह कम होता जा रहा है, उसको रिहेबिलिटेट करना होगा, उसके लिए उन्हें चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जिससे कि उनकी इच्छाएं फुलफिल हों। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर एमिनिटीज़ नहीं हैं, तो विलेजर्स शहर की तरफ आते हैं। अगर ये सब चीजें विलेज में कर देते हैं तो निश्चय ही वीक को strong करते हैं, rules of game should be weighted in favour of the weak. इससे पहले कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, पंचायतें क्रियेट होनी चाहिये, पंचायत समिति होनी चाहिये, उनको पॉवर्स देने चाहिये, जुडिशियल पॉवर्स देने चाहिये, पर उन्हें इस तरह रिहेबिलिटेट करें कि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। डिसेंट्रलाइज़ेशन के पहले हम यह खयाल करें कि अगर हम राजस्थान में होलसेल इसका इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे तो कह नहीं सकता कि इसमें हमें सक्सेस हो, शायद सक्सेस नहीं हो सके। इसलिए हमें एक डिस्ट्रिक्ट लेनी होगी, वहां एन. ई. एस. ब्लॉक ले लें और

(श्री श्रीमानसिंह)

डिस्ट्रिक्ट्स में धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन में लायें तो हम अनुभव कर के जो कमियां हैं उनको करेक्ट कर के सक्सेसफुल बन सकते हैं। इसमें जो ड्रॉ बैक हैं उनमें से पहला ड्रॉ बैक यह है कि होल सेल राजस्थान में इनको इन्ट्रोड्यूस नहीं किया जाय, पर जहां तक पॉवर का सवाल है, इनको इन्क्रीज़िंगली पॉवर्स दिये जायं। यह नहीं देंगे तब तक रेसपोन्सिबिलिटीज़ फील नहीं करेंगी। इस कमेटी ने जो अपनी रिकमन्डेशन्स में कहा है इनके पॉवर्स को उसने लिमिट कर दी है।

तीसरा ड्रॉ बैक इस कमेटी की रिपोर्ट में दिखता है वह यह है कि कहीं नहीं बताया कि पंचायतों के, पंचायत समिति के जो अफसर काम करेंगे वे किस तरह फंक्शन करेंगे। अगर उनका स्टेट केडर कर देते हैं तो वे हमेशा स्टेट की तरफ देखेंगे, स्टेट से इन्स्ट्रक्शन्स लेंगे, तो फिर पंचायतों के सबोर्डिनेशन का कुछ भी नहीं रहता, न पंचायतों को उन्हें एपोइन्ट करने के पॉवर्स हैं, न सस्पेन्ड करने के पॉवर्स हैं, न डिसमिस करने के पावर्स हैं, तो फिर पंचायतों का, पंचयात समितियों का कन्ट्रोल सर्विसेज़ पर क्या होगा ? जो सर्विसेज़ को पंचायतों और पंचायत समितियों के सबोर्डिनेट बनाना है तो अपोइन्टमेंट के पॉवर्स देने होंगे, एपोइन्टमेंट के नहीं तो डिसिमसल के या कम से कम सस्पेन्शन के पॉवर्स तो देने ही पड़ेंगे। शायद इसे ऑफीसर्स लाइक नहीं करें पर जब यह मानते हैं कि हम एक चीज की सुप्रीमेसी मानते हैं, जितनी रिप्रेज़ेन्टेटिव बोडीज़ हैं उनकी सुप्रीमेसी मानते हैं, पंचायत सुप्रीम है, उसके ऊपर पंचायत समिति सुप्रीम है, सुप्रीम है तो सर्विसेज़ पर उनका कन्ट्रोल रखना जरूरी है, ओफिसर्स का स्टेट कैडर रखिये पर उन पर कन्ट्रोल पंचायतों का, पंचायत समितियों का रखिये।

जहां डिसेंट्रेलाइज़ेशन और डेमोक्रेसी को स्टेबिलिटी देने के लिये यह खामियां मुझे दीखीं उनको जरूर रेक्टिफाई करना चाहिये। फेडरल प्रिंसिपल्स को हमने मान लिया है तो सोसाइटी के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ फेडरल ओर्गेनाइज़ेशन लागू करना होगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने को खड़े होने पर)

श्रीमती सभानेत्री (डा० चन्द्रकला) : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि अगर वे समय का ध्यान रखेंगे तो अधिक से अधिक सदस्य बोल सकेंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय अध्यक्षा महोदया, क्योंकि मैं सबसे पीछे बोल रहा हूँ इसलिए मुझे कम समय मिलेगा ...

श्रीमती सभानेत्री : यह आपने कैसे मान लिया कि आप सबसे पीछे बोलने वाले हैं ?

एक माननीय सदस्य : अभी तो बहुत से बोलेंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं यह निवेदन करूंगा कि, मेरा यह विचार है कि बोलने वालों को अपनी ओर से बाज़ वक्त यह भी सवाल रहता है कि वे एक पार्टी की तरफ से बोलते हैं, पर हमेशा आदमी को खयाल रखना चाहिये कि जो वाज़िब और ठीक बात है उसी पर अपनी विचार–धारा को केन्द्रित करें।

मेरा तो विचार है कि जिस प्रकार काश्मीर के अन्दर जो वृक्ष हैं वे राजस्थान में

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

वाज़वक्त पनप नहीं सकते, इसी तरह यहां का बबूल काश्मीर या विलायतों में पनप नहीं सकता। यहां जो हमारे महामना बापू महात्मा गांधीजी के विचारों से प्रेरित पहला कांग्रेस का विधान है, इसके अतिरिक्त यह डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और दूसरी जितनी चीजें हैं ये बहुत कुछ पाश्चात्य प्रणाली को लेकर चलती हैं, वे चीजें भारत और राजस्थान में कहां तक पनप सकती हैं, यह सवाल बड़ा विकट और सोचने काबिल है।

मैं समझता हूं इन बातों में कई मेरे साथी सज्जन शायद एग्री नहीं करें पर इसके मूल सिद्धान्त को, मूल रूप को देखा जाय तो यह जरूरी होगा कि इसके वास्ते किस प्रकार के यहां साधन होने चाहिये और हम किस प्रकार से इस दिशा में आगे बढ़ें। मैं हाट से लेकर झोंपड़े तक और राजमहल से लेकर हवेली तक और सेक्रेटेरियेट से लेकर असेम्बली तक, जहां मैं और आप सब सज्जन बैठे हुए हैं जानते हैं कि जिस तरह इसका प्रसरण हो रहा है, सबके विचार से ज्यादा कोई लाभप्रद चीज नहीं हो सकी है और सब समझते हैं कि करोड़ों—अरबों की धन—राशि खर्च होती है उसका चाहिये उतना सदुपयोग हो रहा है कि नहीं, यह विचारणीय है। देखा जाय तो ये तीनों-चारों पोइन्ट सामने आये, एक तो डवेलपमेंट डिपार्टमेंट है और इससे भी अधिकतः दूसरे उद्योगों का प्रश्न है, उनमें हमारे पुराने तरीकों का थोड़ा बहुत समावेश रहे, यहां तक सह सकते हैं। देखा जाय तो यह सवाल आता है कि पाश्चात्य प्रणाली से प्रेरित होकर जो चीजें चलती हैं, वे ज्यादा नकल करने की चीजें नहीं होतीं।

क्रॉमवेल के समय से गणतन्त्र, गणराज्य को पाश्चात्य सभ्यता में समझा गया कि पहला समय था पर भारत की पुरानी प्रणाली को देखा जाय और यहां की सभ्यता पर नजर डाली जाय तो मालूम होगा कि जितना भारत पुराना है और जितना राज्य राजसत्ता पुरानी है उतना ही पुराना यहां गणतन्त्र है, यहां महाभारत के वक्त में द्वारका आदि का यादवों का गणतन्त्र था, मालव थे, इसके अतिरिक्त जिस समय आगे बढ़ें तो महात्मा बुद्ध के समय में वज्जि, लिच्छवी और मल्लों के गणतन्त्र थे। बीकानेर में कहा जाता है हजार-हजार, आठ-आठ सौ गांवों के गणतन्त्र रहे हैं, गोधारा पूनियां जैसा वहां रहने वाले लोगों के गणतन्त्र वहां रहे हैं। तो इन सब पुरानी बातों से सिद्ध होता है कि गणतन्त्र आज की चीज नहीं है। इसके अलावा गांव की चौपाल पर बैठ कर पटेल, मन्दिर के पुजारी, चौकीदार, मीणों और जागीदार ये पांच-सात बैठ कर जिस प्रकार अपनी चीजों को आगे बढाते थे, यह चीज भी कम अनुकरणीय नहीं रही और मेरा यह निवेदन है अध्यक्ष (सभानेत्री) महोदया, आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए मुझे अत्यन्त खेद होता है कि जिस चीज के लिये और जिस प्रकार से यह धन व्यय किया जारहा है उसका कतई सदुपयोग नहीं होता है। यह नई चीज नहीं है। मैंने भी अपनी आयु पब्लिक की सेवा में बिताई है और राज्य का शिक्षा मंत्री का कार्य किया है और दो तरह की परिपाटी हैं उनको आंखों से देखा है और कभी जनता का इसमें कोप-भाजन और कभी कृपा-भाजन भी हुआ हूं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से जो कुछ व्यय हो रहा है उसको मैं आत्मघात की नीति समझता हूं किसी खास चीज के लिए यह कहा जावे कि उसकी नुकताचीनी

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

की जावे आज की जो सरकार है, क्या यहां की और क्या सेन्टर की, जो राज्य सत्ता में कार्य कर रहे हैं उनसे मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि जो कठिनाइयां उनके सामने हैं उन को देखते हुए वे दया के पात्र हैं और खुद अपने लक्ष्य में मानते हैं कि सभी लोग उनके लिए जो कटाक्ष कर रहे हैं वह सही हैं और जिस चीज पर ये खर्च बढ़ा रहे हैं उनमें वे कामयाब हो रहे हैं या नहीं। मेरा खयाल यह है कि उनके लिए जो बड़ी समस्या है उसका उनके अस्तित्व पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और वह समस्या यह है कि अगर हम कुछ न कुछ कम नहीं करेंगे, लाखों और करोड़ों रुपया खर्च नहीं करेंगे तो हमारी उस मछली की तरह से दशा हो जावेगी जिसे छिछले पानी में सांस लेना मुश्कल हो जाता है। इसलिए उनको यह सब होते हुए और विचार करते हुए भी धन-व्यय करना पड़ता है, यहां तक कि हाथ पसारना पड़ता है, अमेरिका और दूसरे उन अत्याचारियों के सामने, ये शब्द कहने ठीक नहीं हैं, लेकिन दुनिया कह रही है कि इन लोगों के सामने, हाथ पसारना पड़ता है, क्योंकि धन जो होता है वह किसी खंभे में से या किसी खेत में से नहीं निकलता; तो एसी सूरत में मेरा यह निवेदन है कि किसी न किसी तरह से वह चीज आगे बढ़े और उसके लिये धन की जरूरत पड़ती है और उसको काम में लिया जावे।

यहां की कृषि समस्या भी बहुत जटिल है। इसने भी राजाओं के जमाने से और बादशाहों के जमाने में पददलित होकर दुख सहे हैं। इन दूसरी जातियों से जिसे आपने सो कॉल्ड हरिजन हैं और दूसरे भाई हैं, उनको उठाने में बडी दिक्कत पैदा हुई है और उनको आगे बढाने के लिये इस चीज की फिर भी आवश्यकता है कि उनके लिये कोई ठोस कार्य हो। शिक्षा का सवाल हमारे सामने भी था, पर हमारे पास उस समय मामूली धन था और मामूली साधन मिलते थे। मैं १५ वर्ष शिक्षा मंत्री रह चुका हूं...

श्री सोहनलाल : माननीय सदस्य क्या रिलेवेन्ट बोल रहे है ?

श्री नरेन्द्रसिंह : थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट है उसको आपके सामने रख रहा हूं, उसका विवरण किये बिना समझ में नहीं आता। आप लोग बोल रहे थे उनका ...

श्रीमती सभानेत्री : सदन के माननीय सदस्य आपस में बातें न करें और आपस में बातें करके विघ्न न डालें।

श्री नरेन्द्रसिंह : अगर मेरी कोई गलती हो तो आप जरूर कहें। मैं तो, आप लोगों ने जो कहा और कांग्रेस की जो नीति है, उसका प्रतिपादन कर रहा हूं। मुझे तो धन्यवाद मिलना चाहिये था....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य चैअर को एड्रेस करें।

श्री नरेन्द्रसिंह : तो मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसी सूरत में जैसा मेरा यहां सजेशन है, यदि देखा जावे तो शिक्षा के लिये जितना आगे बढ़ने की कोशिश की जावे, हम लोग भी करते थे और पहले भी करते थे कि जितनी नोर्मल और मोडल स्कूल थे वहां टीचर्स को ट्रेनिंग मिला करती थी और उसके बाद विद्यार्थियों को शिक्षण होता था। बुरी शिक्षा से अशिक्षा को मैं बहुत अच्छी समझता हूं और बहुत से लोगों की भी यही भावना है। आज कल विद्यार्थी

Page No.84

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

अध्यापकों को और नीचे से लेकर ऊपर तक जैसा आदर करना चाहिये अपने बड़ों का और गवर्नमेंट का, वैसा नहीं कर रहे हैं । पहले तो यह चीज भी होती है कि जहां तक हो शिक्षा ऊंचे दर्जे की हो और इस समय जो इसके लिये गवर्नमेंट कर रही वे वह कोई कम गौरव की बात नहीं है, यह सराहनीय है । इसमें जहां तक हो धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये, जैसे पहाड़ पर बरसा हुआ पानी बह जाता है और किसी काम में नहीं आता; मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मनोनीत सदस्य रहा हूं और मैं जानता हूं कि वहां पर कितना ठोस कार्य होता है और मैं यह कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जिस प्रकार कार्य होना चाहिये था वह नहीं हो रहा है । गवर्नमेंट के अधिकारी इसको लें या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ले या कलेक्टर ले या डिपार्टमेंट ले कोई एक ले । मगर मेरी खुद की धारणा है और मेरी व्यक्तिगत राय है कि जहां तक हो सकता है, जो डिपार्टमेंट शिक्षा के लिये है वही स्कूलों को रन करें तो ज्यादा अच्छा होगा । एक समय ऐसा था जब इसकी सहायता के लिये सेस और रेवेन्यु के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आवश्यकता थी और जो जागीरदारों, काश्तकारों से लेने का प्रश्न भी था मगर वे परिपाटियें अब खत्म हो चुकीं । ऐसी हालत में यह निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं उनका अन्त हो जाना चाहिये, ये निकम्मी और बेजरूरत की चीजें हैं । यह भी मदरसे खोलती हैं और सरकार भी मदरसे खोलती है और कहीं कहीं मैंने देखा है कि एक ही जगह एक गांव में दो तीन जगह मदरसे खुल गये और इससे धन का अपव्यय होता है और कोई ठोस कार्य नहीं होता है । यह जो रिपोर्ट है इसका मैंने अवलोकन किया और उन्होंने बहुत ही मेहनत करके और सब जगह फिर कर और हर एक पहलू पर अपनी विचार-धारा के विचार रखे ।

इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि जहां तक हो सके डेवलपमेंट बोर्ड में कार्य करने वालों को, जहां तक की मेरा विचार है और जहां तक मैं समझता हूं यह चीज आज कल बहुत हो रही है उससे कोई काम ठीक नहीं हो सकता कि किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी शिक्षक को या किसी डाक्टर को या चिकित्सक को, आज भी यह हिसाब रहा है कि उसकी स्थिरता नहीं है । वह एक महीने में यहां है तो दूसरे महीने में जैसलमेर और तीसरे महीने में झालावाड़ और चौथे महीने में भरतपुर बदल दिया जाता है । मेरा निवेदन यह है कि जहां तक हो आस-पास के आदमी हों, वही काम करने वाले हों और वे उसी तहसील के हों, वे जितना सिद्धान्त से काम कर सकते हैं दूसरा नहीं कर सकता और जितने डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के काम हों, चाहे बी. डी. ओज़ भी हों वे आस पास के ही होने चाहिये क्योंकि जिस जलवायु का, जिस स्थान का उनको बिल्कुल ही अनुभव नहीं है और फिर वे वहां पर एक महीना रह कर दूसरी जगह चले जाते हैं और बदल दिये जावें, यह उचित नहीं है । यह परिपाटी ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी और उसकी आज हम नकल कर रहे हैं । उस समय अंग्रेजों के आदमी थे वे यह समझते थे कि अगर कोई कार्यकर्ता एक जगह रख दिया गया तो हमारे पॉवर को कहीं उथल न दे । मेरा तो यह विचार है कि जहां तक हो उनकी सर्विसेज़ में स्थिरता रहे । वे जहां हों वहां से बार बार बदले न जावें ताकि वे वहां पर रह कर ठोस काम करके दिखा सकें ।

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

तो एक यह भी निवेदन था ।

इसके अतिरिक्त एक बड़ी जबरदस्त क्रान्ति के बाद में जब स्वतन्त्रता का उदय हुआ है, हम सब लोग यही चाहते हैं, इधर बैठे हुए और उधर बैठे हुए, सब ही सज्जनों का यह खयाल है कि यह बड़ी मुश्किल से प्राप्त स्वतन्त्रता इसी प्रकार से अक्षुण्ण बनी रहे और उसमें किसी प्रकार की कमी न पड़े । इसके लिए जो व्यय हो वह बड़ी समीचीन रूप से और इस प्रकार से हो कि जिसमें किसी प्रकार की कमी न पड़े ।

दूसरी बात यह निवेदन करूंगा कि इसमें उन सर्वोच्च भावों के अन्दर कुछ पोलिटिक्स का, रजनीति का टिन्च या बू है वह न रहे और उसके अलावा प्योर मेरिट्स पर काम किये जांय । आप लोगों की दिक्कतें हैं उनको भी मैं जानता हूं । डेवलमेन्ट के कामों की दिक्कतों को मैं भी जानता हूं और अनुभव करता हूं क्योंकि इतने बड़े मुल्क के अन्दर कई बातों की दिक्कतें आया करती हैं, लेकिन हम पक्का विचार करके इस धारणा पर चलें कि जहां तक हो सके पक्का ठोस कार्य होकर भारतवर्ष को फायदा हो; बहुत सी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो हमारे सामने आती हैं, जो पारिपाटी और तरीका युरोप और दूसरे देशों में काम में लाया जाता है, अथवा हमारे देश के अन्य प्रान्तों में आसाम, बम्बई, बंगाल, मद्रास और अन्य प्रान्तों में काम में लाया जाता है वे परिपाटियां और धारणायें ज्यादातर हमारे राजस्थान के लिए कई अंशों में अनुपयुक्त भी हो सकती हैं । इसलिए वास्तविक कार्य करने के लिए धीरे धीरे इस तरह से बढ़ा जाय कि जहां धन बहुत ही ज्यादा मिकदार में व्यय होता है तो वहां चाहे उन योजनाओं को पांच के बजाय १० वर्षों में, दो के बजाय चार वर्षों में, पंचवर्षीय योजना में वह खर्चा हो तो लाभ होगा , आपका जो यह कार्य है, मेहता साहब की जो रिपोर्ट है, इसके अक्षर अक्षर से, इस से मेरे हार्दिक विचार हैं और जिस खूबसूरती के साथ मान्यवर मुख्य मंत्रीजी ने इसको रखा है और जिस तरह से इसके लिए उनका यह प्रयास है उसको मैं स्तुत्य समझता हूं ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीया श्रीमती गंगादेवी डाटा ।

श्री धर्मपाल : महिला के बाद हरिजन का चान्स है ।

(हंसी)

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर यहां बहस चल रही है, मैं उस पर कुछ निवेदन करना चाहती हूं । यह रिपोर्ट है वह एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और वह सारे हिन्दुस्तान के लिए रिपोर्ट समझी जानी चाहिए । उस रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं और जो तथ्य रखे गये हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया कि इतने बडे आंकड़ों के होते हुए यह रिपोर्ट इंग्लिश में है । हिन्दुस्तान में ३६ करोड़ इन्सान हैं, उनमें कितने लोग इंग्लिश जानने वाले हैं और कितने इससे फायदा उठा सकेंगे । इसलिए मेरा अनुरोध है, अध्यक्ष महोदया, कि सरकार इस ओर ध्यान देकर, इसकी हिन्दी में प्रतियां छपवाने की कृपा करे जिससे आम जनता इसका फायदा उठा सके । क्योंकि आम जनता से सम्बन्धित बातें हैं ।

(करतल-ध्वनि)

विकास कार्यों की चर्चा आई है इसलिए मैं आपके सामने गावों के आइडिया को पेश

(श्रीमती गंगादेवी डाटा)

करना चाहूंगी। जब विकास कार्यों की ओर गांवों में सरकार धन देती है तो दो हिस्सा गांवों का और एक हिस्सा सरकार द्वारा लगाने की बात सामने आती है और वह डेवलपमेंट कमेटियों और इस तरीके से वितरण होता है। लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आता है कि यह नहीं देखा जाता है कि गांवों के लोग कितना पर्सेन्ट लगान देते हैं और शहरों के लोग कितना पर्सेन्ट कर देते हैं। इसके आंकडे नहीं दिये हैं, लेकिन उनको देखा जाय तो मालूम होगा कि गांवों के लोग ज्यादा कर देते हैं, फिर क्या कारण है कि डेवलपमेन्ट के कार्यों में गांवों की जनता से कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाय और शहरों में वह न लिया जाकर उनका आसानी से काम कर दिया जाता है।

(करतलध्वनि)

इसलिए दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्वराज्य आने पर हमने यह कामना की थी कि स्वराज्य के दीप शिखा की रोशनी गांव गांव में फैलेगी लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता है कि वह रोशनी कहां तक गांव गांव में फैली है, विधान सभा की सभानेत्री महोदया और माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे। आपने विचार दिये हैं, और भी साथी बोलेंगे उसपर ध्यान देकर कुछ न कुछ आइडियाज़ रखेंगे।

मेरा कहने का मतलब यह है कि जो विकास कार्य होते हैं, कम से कम गांवों की ओर तवज्जह दी गई है क्योंकि गांवों के रास्ते, गांवों के दुख, गांवों की तकलीफें आज जो हैं वैसी हैं और हम शहर में रहने वालों को उसके लिए बहुत कम मालूम है। कई बार लोग इलेक्शन के वक्त जाते हैं, तब उनको मालूम पड़ता है कि गांवों में किस तरह के रास्ते हैं, क्या क्या कष्ट है, क्या क्या बीमारियां है, किस तरह से आती हैं और किस तरह से मुसीबत में पिसते रहते हैं और उनका बहुत अच्छा इलाज न होकर मुसीबत में पड़े रहते हैं। जब इलेक्शन के वक्त जाते हैं तो गांव वालों से कहा जाता है कि तुम्हारे यहां डाक्टर आयेगा, स्कूल खुलेंगे। लेकिन उसके बाद जब स्कूल खोलते हैं तो जनता से, गांवों के लोगों से कॉन्ट्रिब्युशन मांगते हैं जब कि सिटी के लोगों से नहीं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

३.४८ म० प०

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आंकड़ों को देखकर इस पर विचार विमर्श करना चाहिये। इसलिए मैं अनुरोध करती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिलों में डेवलपमेन्ट कमेटियां होती हैं, वे प्रस्ताव पास करती हैं, और रकम आती हैं वह बंट जाती है। लेकिन होता क्या है ? होता यह है कि जो कस्बे कॉन्ट्रिब्युशन देते हैं वहां पर भी विकास कार्य न खुलकर दूसरी जगह वह रकम पहुंच जाती है और जहां रकम देने की वास्तविकता है, लोगों को विकास के कार्य की आवश्यकता है, वहां के लोग गरीब हैं, वहां वह रकम नहीं पहुंचती है, तो इस प्रकार के डेवलपमेन्ट कार्य से क्या फायदा ? विकास कार्य का जहां तक सम्बन्ध है वह हमें देखना चाहिए कि विकास कार्य जो हो रहे हैं वे कहां तक सही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हम रिपोर्ट पर बोल रहे हैं, यह ध्यान रहना चाहिये।

श्रीमती गंगादेवी : (जारी रखते हुए) उपाध्यक्ष महोदय, यह अंग्रेजी में है

(श्रीमती गंगादेवी)

इसलिए मुझे कुछ इस पर बोलना नहीं है, इसका निष्कर्ष निकालना ही है। जहां तक विकास के कार्य–क्रम का सवाल है उस ओर मैं ध्यान दिलाऊंगी। लोगों को जो विकास कार्य में दिक्कतें हैं उनको सामने लायी जानी चाहिये। जहां प्रोजेक्ट एरिया है उस सम्बन्ध में आंकड़े हमारे सामने रखे जाते हैं। वास्तव में हमें देखना यह है कि उन आंकड़ों से हम कितना फायदा उठाते हैं। इसके बारे में मेरा एक दृष्टिकोण है। कम से कम आम जनता के लोग भी यह चाहते हैं कि जो जीपें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास रहती है उनका दुरुपयोग बहुत होता है, उन पर पेट्रोल का खर्चा भी काफी आता है। उसके आंकड़े उठा कर देखें तो हमें पता चलेगा कि कितना काम डेवलपमेंट का इन जीपों पर खर्चा करके होता है। इस तरह से मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि इस पर विचार करेंगे।

(अनेक मा. सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : (एक माननीय सदस्य की ओर संकेत करके) Second turn will be allotted to you. Shri Sardar Singh.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बलवन्त राय मेहता कमिटी की रिपोर्ट जो सदन में विचारार्थ आयी है उस पर कई माननीय सदस्य अपने अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। मैं भी इस पर टूटे फूटे सजेशन्स पेश करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : ठोस हों तो पेश करें।

रावराजा श्री सरदारसिंह (जारी रखते हुये) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री बलवन्तराय कमेटी की जो रिपोर्ट पेश हुई है उसका मैं स्वागत करता हूं। स्वागत करते हुये इतना निवेदन करना जरूरी समझता हूं कि जिस प्रकार जिला कमेटी का निर्माण हो रहा है, तहसीलों का निर्माण होगा। गांव जो इधर उधर मिलाये जाने वाले हैं, उसकी रिपोर्ट भी अगर साथ में पेश हो जाती तो इस रिपोर्ट में चार चांद और लग जाते।

इस वजह से पंचायतों के संगठन में बड़ी भारी सुविधा होती। पंचायतों का जो संगठन होने जा रहा है, जब तक पंचायतों को यह मालूम नहीं हो कि कौन कौन सी तहसील और कौन कौन से गांव उनके अन्दर में रहेंगे, तब तक वे सुचारु रूप से काम नहीं कर सकते। आज जिलों का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं इसमें कितनी छोटी तहसीलें बनानी हैं, कितनी बड़ी आदि, ये सब बातें यहां आ जाती तो बहुत अच्छा होता। इस कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि १५०० की पोपुलेशन पर पंचायतें रहनी चाहिये, लेकिन मेरा यह निवेदन है कि चार हजार की पोपुलेशन पर पंचायतें रहनी चाहिये। बहुत अच्छा होता इससे डेवलपमेन्ट ब्लॉक के कार्य अच्छे होते।

डेवलपमेन्ट ब्लॉक के लिए मैं अर्ज कर दूं। डेवलपमेन्ट ब्लॉक के भी कुछ आधार होने चाहिये। आधार न होकर के डेवलपमेन्ट ब्लॉक ज्यादातर मिनिस्टरों की कॉन्स्टिट्यूएन्सी में खोले जाते हैं....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे तो पांच सात साल हो गये मिनिस्टरी में रहते मेरी कॉन्स्टीट्युएन्सी में तो डेवलपमेंट ब्लॉक खुला नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : (जारी) पांच, सात, आठ बरस हो गये मेरी कोन्स्टी-

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

ट्यूएन्सी की दो तहसील, दूनी-उणियारा में कौनसा डेवलपमेन्ट ब्लॉक है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्नों का समय नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बड़ी ताज्जुब की बात है कि आज तक कोई डेवलपमेन्ट ब्लॉक नहीं खुला....

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे यहां भी कोई ब्लॉक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : धीरे धीरे कार्यवाही चल रही होगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं अगर मेरे यहां डेवलपमेन्ट ब्लॉक नहीं है ताहम भी मैंने जल बोर्ड का कार्य देखा है और भी डेवलपमेन्ट ब्लॉक के कार्य देखे हैं। डेवलपमेन्ट ब्लॉक के कार्य इतने धीमे चल रहे हैं कि मैं क्या अर्ज करूं।

श्री उपाध्यक्ष : इन सब बातों को बजट के समय ले लिया जायगा आगे भी बड़े बड़े विषय आने वाले हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कुछ तो मुझे कहना ही चाहिये; डेवलपमेन्ट का कार्य देखने जाने के लिये जीपों को नहीं रखने का इसमें प्रोवीजन है इसका मैं स्वागत करता हूं। पंचायतों के बारे में मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि उनका संगठन होना चाहिये, पंचायतों के संगठन के साथ साथ इलेक्शन की पद्धति भी बदलनी चाहिये। आज कल की जो पद्धति है उसमें ऐसा होता है कि धनाढ्य लोग जो होते हैं या जिनके लिये ऊपर से दबाव आता है उनके पचास वोट आने पर भी उनको पांच सौ वोट कहकर उनको जीता दिया जाता है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि सीक्रेट वोट डाले जाने चाहिये। बड़े आदमियों के डर के मारे सीक्रेट बैलट हो तो गरीब आदमी भी अपना वोट दे सकता है। गरीब आदमी भी आवे तो डेवलपमेन्ट के कार्यों में बहुत दिलचस्पी लेगा। मैंने इतना अर्सा हुआ कभी पंचायत के चुनाव देखे नहीं हैं। अभी मैंने नगर में पंचायत का इलेक्शन देखा, वहां पंचों का इलेक्शन हो गया, उसके बाद सरपंच का इलेक्शन होने का मौका आया। उसमें दूसरे अपोजिशन के दो-एक आदमी खड़े हुए रिटर्निंग ऑफिसर जो थे उन्होने बिना हाथ खड़े करवाये ही कह दिया कि इनके ५०० वोट आ गये इसलिये ये जीत गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन आये यह तो बता दीजिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैंने उनसे कहा, क्यों यह अन्याय कर रहे हो....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो सदन के बाहर की बातें हैं इससे रिलेवेन्ट नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : (जारी रखते हुए) इसीलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं, हमें इलेक्शन की पद्धति को जरूर बदलना चाहिये।

दूसरा निवेदन करने का मतलब यह है कि जो दो प्रकार की पंचायतें बनायी गई हैं उनमें एक तो जुडिशियरी के लिये है और दूसरी डेवलपमेन्ट के लिये। जुडिशियल पंचायतों का जो फैसला होगा उसकी मजिस्ट्रेट के पास जायगी ....

श्री उपाध्यक्ष : जायगी या नहीं, यह आपको विश्वास है क्या ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : पंचायतों को डेवलपमेन्ट का काम दिया जायगा तो उनके पास पूरे साधन और पॉवर होने चाहिये और उसमें अच्छे अच्छे आदमी होने चाहिये क्यों कि हमने देखा है कि जब तक पॉवर नहीं होते उनको बड़ी मुश्किल आयी हैं, जैसे हाउस टैक्स आदि लगाना, वे लगा नहीं पाये हैं। अभी जो डेवलपमेन्ट कमेटीज़ हैं वे टीक नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं रिपोर्ट का स्वागत करता हूं लेकिन इलेक्शन की पद्धति को आपको जरूर बदलना चाहिये।

(अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : The Hon. member on my right side.

(अन्य माननीय सदस्य की ओर संकेत कर) You will excuse me. It is a very hard duty.

४ म० प०

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर आज सवेरे से बहस हो रही है। कई सदस्यों ने कहा कि जिला स्तर पर जिला बोर्ड नहीं रहना चाहिये और यह भी कहा कि जिला बोर्ड बहुत पुराने जमाने की चीज हो चुकी। यह भी कहा कि ये जिला बोर्ड इस कारण असफल रहें कि पूअर फाइनेन्स उनके पास रहा। मैं इस पर से अब मुख्य मुद्दे पर आता हूं।

मेहता कमेटी की रिपोर्ट खास तौर से कम्युनिटी प्रोजेक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन पर है। विकास कार्यों में प्रमुख रूप से उसने दिलचस्पी ली है और उसमें अधिक से अधिक जन-सहयोग किस तरह लिया जाय, इस पर विचार किया है। इस व्यू पोइन्ट को लेकर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

हमारे सामने इस वक्त समस्या यह है कि राजस्थान में स्वायत्त शासन संस्थाओं का स्वरूप क्या हो, इस कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर ? इसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायतें रहनी चाहिये और यह भी कहा कि कुछ गांवों के समूह को लेकर ग्राम पंचायतें बनानी चाहिये। मैं समझता हूं कि जिस तरह की ग्राम पंचायतों का जिक्र इस रिपोर्ट में है वैसी पंचायतें यहां हैं।

इसमें एक बात प्रमुख है, पंचायतों का चुनाव सीक्रेट बैलट से करने की बात रिपोर्ट में कही है। राजस्थान में अभी ऐसा नहीं हो रहा है, यह कर दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त और सब व्यवस्था ठीक है। आज जो पंचायतें यहां हैं उन्होंने विकास कार्यों में में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। इस वक्त जो कहीं कहीं थोड़ी पार्टी बाजी दिखाई देती है वह इस सीक्रेट बैलट सिस्टम के इन्ट्रोड्यूस हो जाने पर समाप्त हो जावेगा, इसके बाद हमारी पंचायतें सबसे अच्छी हो जावेंगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तहसील लेबल, या ब्लॉक लेबल पर इलेक्टेड बोड़ी हों, जिला स्तर पर भी हो सकती हैं, यह भी कहा गया। पर उस मुद्दे पर कमेटी ने अपनी राय साफ नहीं की। इसके बारे में उनके दिमाग भी साफ नहीं मालूम होते हैं। इस वक्त हमारी जो व्यवस्था है हमारे यहां ब्लॉक एरिया में पंचायतों के सरपंच सदस्य नोमीनेटेड होते हैं और बी.डी.ओ., चैयरमैन और जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है इससे भी ऐसा मालूम होता है कि ब्लॉक लेवल पर पंचायत होनी

(श्री भीमसेन)

चाहिये और वह पंचायतों द्वारा नोमीनेटेड होनी चाहिये। यह इसी प्रकार की व्यवस्था है जो हमारे यहां इस वक्त है। रिपोर्ट की भावना इससे यह मालूम पड़ती है कि ब्लॉक लेवल पर पंचायतों का सहयोग प्राप्त हो वह हमारे यहां अनुपलब्ध है।

अब जिला स्तर पर क्या हो, इसका प्रश्न रहा। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दो ऑल्टरनेटिव दिये हैं। एक तो यह कि सारे पंचायत कमेटीयों के चैयरमैन इसके मेम्बर हों; एम. एल. ए. एम. पी. डिस्ट्रीक्ट लेवल के सारे सरकारी अधिकारी इसमें हों। इसे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का नाम दिया है।

दूसरा ऑल्टरनेटिव यह दिया है कि अगर इलेक्टेड बोड़ी हो और वह सारे ब्लॉकों के काम का सुपरविज़न करे और जितना सरकार का सहायता कोष इन्हें दिया जाता हो वह सब इसके मार्फत दिया जाय और इस समिति को अधिकार हो कि वह सारा रुपया जिले के विकास कार्यों पर खर्च करे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे राजस्थान में कई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स काम कर रहे हैं। वे जिला स्तर की बोडीज़ हैं। मैं समझता हूं कि इसी इलेक्टेड बोडी को थोड़े अधिकार और दे दिये जावें और इसका स्वरूप इसके अनुरूप कर दिया जाय तो यह जिला स्तर की कौंसिल का काम कर सकेगी।

इस वक्त जो स्थिति है वह यह है कि विकास कार्यों में जिला बोर्डों का बिलकुल सम्बन्ध नहीं है। अगर कानूनी शक्ल हम इसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को न देकर जिला पंचायत की की दे दें तो यह उचित ही होगा, क्योंकि ग्रामीण जनता "पंचायत" शब्द को बहुत पहचानती है। यह बहुत पुराना प्रचलित शब्द है। तो इसके मार्फत जिले के सारे विकास हों तो वहां की जनता का पूरा सहयोग भी मिल सकेगा, ऐसा मैं समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां इस समय ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत और जिला बोर्ड काम कर रहे है, ग्राम पंचायत और तहसील पंचायतों को जो काम दिया गया उसमें वे सफल रहे हैं। हां, इनके कामों में कुछ कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है जिसे राज्य सरकार को ध्यान देकर दूर करना चाहिये।

ग्राम पंचायतों के सामने सबसे मुख्य समस्या आती है अपनी आबादी के विकास की। जैसे स्कूलें कायम करने के लिये जमीन चाहिये और काफी दिक्कतें महसूस की जाती हैं, प्रमुखतया रेवेन्यु विभाग से संबंध रखने वाली। तो इनको हल करने के लिये उचित यह है कि पटवारियों को ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत दे दिया जावे और रेवेन्यु कलेक्शन का काम भी उनके सुपुर्द कर दिया जावे तो इससे अधिकतर दिक्कतें दूर हो जावेंगी। उनको अधिक अधिकार देने का प्रश्न है, लेने का तो प्रश्न ही नहीं। जहां उनको दिक्कत आए वहां सरकार का फर्ज है कि वह उन्हें दूर करे।

कमेटी ने कहा है कि सरकार धीरे धीरे अपने पॉवर्स लोकल बोडीज़ को डिवोल्व कर दे। तो अगर सरकार ने ऐसा किया तो ये लोकल सैल्फ बोडीज़ अपने हल्कों में अच्छा काम कर सकेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कइयों ने यह भी कहा कि जो छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटियां हैं वे

(श्री भीमसेन)

डिज़ोल्व कर दी जानी चाहिये और वहां ग्राम पंचायतें स्थापित कर दी जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि इसका हल इस कमेटी ने सुझाया है। कमेटी ने यह कहा है कि ऐसी म्युनिसिपैलिटीज़ जो रूरल इन कैरेक्टर हों अर्थात् वहां के निवासी अधिकतर खेतिहर हों तो वहां ग्राम पंचायतें स्थापित की जा सकती हैं, पर ऐसे कस्बे जहां के निवासी नौकरीपेशा अधिक हैं या अधिकांश में व्यापारी वर्ग हैं, वहां म्युनिसिपैलिटी ही रहनी चाहिये। तो इस तरह से हम अगर इन सुझावों से अपना काम करना चाहें तो हमारे इस समय स्टेट के अन्दर जो ग्राम पंचायतें हैं, जो तहसील पंचायतें हैं, वे वैसी ही मौजूद रहनी चाहिए और जिला बोर्ड का जो रूप है उनके सामने आज जो फाइनेन्स की डिफिकल्टी है अगर उनकी यह दिक्कत दूर हो जाय और जो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ काम करती हैं वे अगर जिला बोर्ड को सुपुर्द हो जायें तो मैं समझता हूं कि जिलाबोर्ड भी अपने आप सेल्फ सफिशियेन्ट हो सकते हैं। उन ग्राम पंचायतों के साथ स्थापित किया जाय तो जिला लेवल पर ऐसी बोडी हो सकती है जो कि जिले के स्तर पर अपना सारा काम कर सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपाल पंवार।

श्री धर्मपाल पंवार (नोहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह रिपोर्ट आई है बलवन्तराय मेहता कमेटी की तरफ से इस पर माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में इसमें बताया गया है कि चुनाव प्रणाली जो हो वह किस प्रकार की होनी चाहिये। जहां तक मैंने यह देखा है ग्रामों के अन्दर जो चुनाव का हमारा पहला तरीका है वह ठीक नहीं है। इससे बहुत से गरीब आदमी जब कि पंच लोग चुनने के लिए खड़े होते हैं, बड़े बड़े मालदार आदमी होते हैं तो उनके साथ ये में वह दब जाते हैं और स्वतन्त्रता से अपने सही प्रतिनिधि को नहीं चुन सकते। इसलिए यह जो पहले वाली प्रणाली है यह न होकर गुप्त मतदान की प्रणाली ही बहुत उपयोगी साबित हो सकती है और तब ही ग्रामों के अन्दर पंचों और सरपंचों का चुनाव सही माने में हो सकेगा।

दूसरी बात इसमें एक और बताई गई है जिला बोर्डों के सम्बन्ध में। जिला बोर्ड ही एक ऐसी संस्था है जिसमें ग्राम के लोगों का सही माने में प्रतिनिधित्व होता है। यदि जिला-बोर्डों को हम तोड़ देंगे तो ग्रामीण जनता के अन्दर एक प्रकार से राजनैतिक शिथिलता आ जायेगी और वह राजनैतिक तौर-तरीके को समझने में बहुत पिछड़ जायेगी, इसलिए जिला बोर्डों का रहना बहुत आवश्यक है। फिर भी जिला बोर्डों में कुछ संशोधन जरूर होने चाहिये कि इस समय जो अधिकार दिए हुए हैं उनमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, जैसे स्कूलों का है। स्कूलों की व्यवस्था जिला-बोर्ड अच्छी तरह से नहीं चला सकते हैं तो शिक्षा सम्बन्धी जो भी कार्य हैं वे एजुकेशन डिपार्टमेंट के मातहत ही चलने चाहिये, वे जिला बोर्डों के मातहत नहीं चलने चाहिये। बाकी औषधालय हैं या कोई और ग्राम विकास के काम हैं यदि उनमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को अधिकार दिये जायें तो कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे हमारे देश का उत्थान हो सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति पुराने तरीके की चल रही है उसमें कुछ परिवर्तन करें और जिसके लिए सरकार ऐसे कदम उठा रही है। तो ऐसे महत्वपूर्ण महकमे को हम जिले के सुपुर्द कर दें तो उसका सही माने में फायदा नहीं हो सकता

(श्री धर्मपाल पंवार)

जितना कि सरकार के द्वारा हो सकता है।

दूसरी बात मैं पंचायतों के बारे में और कहना चाहता हूँ कि पंचायतें जो हैं, उनमें सही तरीके से चुनाव नहीं होने के कारण यह होता है कि रिहायी जमीनों के एलॉटमेंट में बड़ा पक्षपात चलता है, क्योंकि गरीब आदमियों का प्रतिनिधि तो कोई होता नहीं है। इसलिए उनको रिहादसी जमीन के लिए बिल्कुल मुंह की तरफ देखना पड़ता है। आज छप्पर भी उन लोगों को गांवों में डालने की इजाजत नहीं है। इससे यही जाहिर होता है कि हमारे चुनाव का जो तरीका है वह गलत है।

मैं इतना कहकर बैठता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेहता कमेटी की कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट पर जो रिपोर्ट है उस पर विचार हो रहा है। मैं भी दो शब्द इस पर कहना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आज दिन सबसे अधिक जरूरत इस बात की है कि हमारे जो ग्रामीण भाई हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाये, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक उन्नति का जहां तक सवाल है वह किस प्रकार से ठीक की जाये? तो इस मामले में हमारे प्रान्त में ही नहीं बल्कि सारे देश में स्वायत्त शासन संस्थायें हैं और किसानों की पंचायतों का जहां तक सवाल है इन स्वायत्त शासन संस्थाओं पर बहुत कुछ डिपेन्ड करता है। इनका निर्माण कैसे हो, इनको क्या क्या अधिकार दिये जायें, इनके क्या क्या कर्त्तव्य होने चाहिये, इन सब पर हमें विचार करना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर यह सुझाव दिया गया है कि पंचायतों का निर्माण होना चाहिये और कुछ ग्रामों के पीछे एक पंचायत होनी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मेरे माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि एक ग्राम के पीछे एक पंचायत होनी चाहिए। जहां तक मैं सोच पाया हूं आज जो पंचायतें कुछ गांवों को मिलाकर बनी हुई हैं इसी प्रकार की यही पंचायतें भविष्य के लिए रहने दी जानी चाहिए। अगर हम वर्तमान पंचायतों को भंग करके नई पंचायतें खड़ी करेंगे हर गांव के अन्दर तो इससे हमें बहुत ज्यादा खर्च का सामना करना पड़ेगा और वह चीज कोई ऐसी भी नहीं है कि जैसे कुछ गांवों को मिलाकर पंचायत बनती है तो इससे नुकसान की बात नहीं है। इससे तो हमारे किसानों में एक सामूहिकता की भावना आती है और मिलकर जो काम की आदत है वह आदत बन जाती है। तो मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कुछ गांवों के पीछे एक पंचायत होनी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं सोचता हूँ यह ठीक है। दूसरे मेहता कमेटी ने जुडिशियल पंचायतों को अलग से कायम करने की बात कही है। जुडिशियल पंचायतों को अलग करने का जहां तक सवाल है मुकदमाबाजी के कारण हमारी पंचायतों का वातावरण दूषित है, क्योंकि प्रजातंत्र की प्रणाली के अनुसार लोग वोट देते हैं और एक व्यक्ति को देते हैं दूसरे को नहीं देते हैं। इससे जो व्यति पॉवर में आ जाता है वह दूसरे के दुख के प्रति दुश्मनी रखता है। तो पंचायतों को जुडिशियल अधिकार देने से उनका वातावरण दूषित है जिसके कारण पंचायतें बदनाम हैं। यदि यह सुझाव भी मेहता कमेटी ने दिया होता तो अधिक अच्छा होता कि इन जुडिशियल पंचायतों का खर्च

(श्री गिरधारीलाल)

कहां से आयगा। फिर भी मेहता कमेटी ने जुडिशियल पंचायतों को अलग रखने का जो सुझाव दिया है वह काफी महत्वपूर्ण है। तो यह जो जुडिशियल पंचायतें हैं कितनी आबादी पर हों या जो आज दिन पंचायतें बनी हुई हैं इन्हीं के आधार पर जुडिशियल पंचायतें हों या कुछ पंचायतों को मिलाकर एक जुडिशियल पंचायत बनाई जाये। यह भी साफ नहीं किया है कि इसका खर्चा कहां से आयेगा, क्या क्या अधिकार होंगे और क्या क्या कर्त्तव्य होंगे? जहां तक मेरा विचार है, अगर हम जो वर्तमान पंचायतें हैं इन्हीं के आधार पर जुडिशियल पंचायतें बनाना चाहते हैं तो यह उचित नहीं होगा क्योंकि इससे बहुत ज्यादा खर्च बढ़ेगा और इसके कारण इस प्रकार की पंचायतें जो हैं ज्यादा वे उपयोगी नहीं रहेंगी। बीस–पच्चीस हजार की जनसंख्या के पीछे एक जुडिशियल पंचायत होनी चाहिए। जैसे एक तहसील है और उसके अन्दर २० पंचायतें हैं तो बीस पंचायतों के पीछे ४ या ५ पंचायतें जुडिशियल पंचायतें होनी चाहिये। क्योंकि अगर ५ पंचायतें होंगी तो वे काम आसानी से कर सकेंगी। अगर हम तहसील लेवल पर एक जुडिशियल पंचायत रखते हैं तो काम मुश्किल हो जायगा। इसलिए चार या पांच जुडिशियल पंचायतें होनी चाहिए और उनका संबंध सीधा जिला परिषद् से होना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पंचायतों का सवाल है पंचायतों का सिर्फ यही फर्ज होना चाहिये कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र को किस प्रकार से उन्नत किया जाय, किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाये। उस जुडिशियल पंचायत के जो मेम्बर्स हों उनके चुनाव के बारे में मेरा यह सुझाव है कि हर ग्राम पंचायत को चाहिए कि वह अपना एक सदस्य वहां भेज दे, न कि चुनाव करायें। चुनाव से जो आदमी जाते हैं उसके लेने में दूसरे वर्ग के प्रति दुर्भावना होती है और इसके कारण सही न्याय प्राप्त नहीं कर सकते और इसीलिए इस न्याय को प्राप्त नहीं करने के कारण आजकल की पंचायतों की यह स्थिति है। इस मनोवृत्ति को सबसे पहले मिटाना है। वह इस तरह से मिटा सकते हैं कि जुडिशियल पंचायत में ५ पंच हों वे एक एक पंचायत से हों। हर पंचायत से कह दिया जाय कि वे अपने यहां से एक मेम्बर को चुनकर भेज दें। पांच पंचायतों से ५ पंच चले गये। उन पांचों पंचों के ही हाथ में फौजदारी और दीवानी के मुकदमे रहने चाहिए। जहां तक खर्चे का सवाल है जैसा कि आजकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक आना फी रुपये के हिसाब से लैंड रेवेन्यु के पीछे लेते हैं तो जुडिशियल पंचायत का हम सीधा, डाइरेक्ट संबंध जिला परिषद् से करते हैं तो फिर हमारी इस जुडिशियल पंचायत के खर्चे का जहांतक सवाल है जिला परिषद् की तरह से उसको मिलना चाहिए। एक आना लैण्ड रेवेन्यु में से दो पैसा पचायतों को देवें बाकी स्टाम्प्स की आमदनी हो जाती हैं। इस तरह से काम चल जाता है।

इसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष, मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि पंचायतों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। तो आर्थिक हालत को ठीक बनाने के लिये कोई न कोई उपाय ढूंढ़ना चाहिये। कमेटी ने सुझाव दिया है कि पंचायतें टैक्स लगा सकती हैं, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष, टैक्स लगाने की जो मनोवृत्ति वह ठीक नहीं है। ग्रामों के लोग इतने साधन सम्पन्न नहीं हैं कि टैक्स लगा सकें। साधन सम्पन्न नहीं हैं इसलिए ज्यादा टैक्स नहीं दे सकते हैं।

(श्री गिरधारीलाल)

ज्यादा टैक्स नहीं देने के कारण पंचायतों को ज्यादा आमदनी नहीं होगी, इसलिए पंचायतें ठीक ढंग से काम नहीं कर पायेंगी। तो सबसे पहले हमारा सुझाव है कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कौन सा रास्ता अख्त्यार करना चाहिये। जहां तक मैं समझता हूं कि किसानों पर तरह तरह के टैक्स लाद दिये जाते हैं। मैंने परसों बताया था कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के रूप में टैक्स देते हैं। सीलिंग भी यदि काम करती है तो सब लोगों के ऊपर काम नहीं करती है। भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स किसानों पर लादते हैं जब कि किसान की हालत पहले से खराब है। अगर हम इस तरह की नीति रखेंगे तो किसानों के प्रति तो यह हमारे लिए और भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध होगा आगे जाकर, जबकि किसानों को इस बात का पता लगेगा। तो, माननीय उपाध्यक्ष, मैंने परसों सुझाव दिया था कि जो लैण्ड रेवेन्यु, भूमि कर, लगाया जाता है उससे हमको उन किसानों को मुक्ति दिलाना है। माननीय उपाध्यक्ष, आप मुक्ति मत दिलाओ लेकिन जो ग्राम पंचायतें हैं और इन पंचायतों के ऊपर ही हमारे ग्राम के विकास की सारी की सारी योजनाएं निर्भर करती हैं तो आप लैण्ड रेवेन्यु में से २५ प्रतिशत छूट ग्राम पंचायतों को दे दें जिससे उनकी आर्थिक हालत ठीक होगी।

दूसरा मेरा सुझाव, माननीय उपाध्यक्ष, यह है कि मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर पंचायत समिति का निर्माण करेंगे और आज दिन वर्तमान में जो ब्लॉक्स रखे गये हैं, और ब्लॉक्स के अन्दर मौजूदा ब्लॉक्स एडवाइज़री कमेटीज़ हैं, उनकी जगह पंचायत समिति का निर्माण करेंगे, तो इसमें साफ तौर से नहीं बताया कि आज दिन जिन क्षेत्रों में ब्लॉक्स नहीं हैं उन जगहों में भी क्या आप इन पंचायत समितियों की स्थापना करेंगे? उसमें साफ लिखा हुआ है कि ब्लॉक एडवाइज़री कमेटी की जगह पंचायत समिति होगी। वे एक ही चीजें हैं। लेकिन जहां पर आज दिन तक ब्लॉक नहीं हैं उस जगह यह आपकी पंचायत समिति कायम रहेगी या नहीं रहेगी; वहां जहां ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स एडवाइज़री कमेटी के बजाय पंचायत समिति का निर्माण रख दिया है तो कोई हर्ज नहीं है, उसके आपको सुझाव कोई न कोई ध्यान में रखना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष, आज दिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज दिन तक हम देखते हैं कि पग पग पर नौकरशाही के खिलाफ हमको लड़ना पड़ता है। नौकरशाही का ही राज्य हो, ऐसा ही आज दिखाई देता है। आज दिन तक हमारे प्रान्त की जनता, इस देश की जनता जनतन्त्र का अनुभव नहीं कर पाई है और इसके लिए आज से ही, बहुत पहले से ही सोचना चाहिए था, सतर्क रहना चाहिए। इस नौकरशाही का खात्मा करने के लिए कौन सा कदम उठाते हैं? इसके लिए, माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह सुझाव दूंगा कि जितने भी ग्राम लेवल के कर्मचारी हैं वे सारे के सारे ग्राम पंचायतों के अन्दर में रहने चाहिए, मगर इतना कर सकते हैं कि नियुक्त सरकार करे तो कोई एतराज नहीं है। मास्टर हो या पटवारी हो वे पंचायतों के अन्दर में रहने चाहिए और बाकी के औषधालय में रहने वाले कर्मचारी भी पंचायत के अन्दर में रहने चाहिए, ग्रामसेवक भी पंचायतों के अन्दर में रहना चाहिए। वे पंचायत के नौकर गिने जायं, चाहे नियुक्त गवर्नमेंट करे तो हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन रहने चाहिए वे ग्राम पंचायतों के अन्दर में। अगर इतना सा कर देते हैं तो

(श्री गिरधारीलाल)

एक तरह से नौकरशाही का खात्मा करने के लिए एक कदम, एक सीढ़ी, आगे बढ़ जाते हैं ।

दूसरी ओर जो हम पंचायत समिति बनाते हैं तहसील लेवल पर, उस समिति के बारे में भी जिस प्रकार से कि २५ प्रतिशत हिस्सा लैंण्ड रेवेन्यु का पंचायतों को देना चाहते हैं ताकि वे ग्राम का विकास कर सकेंगे, उसी प्रकार से जो पंचायत समितियां हैं उनको भी २५ प्रतिशत लैण्ड रेवेन्यु का, जो भूमिकर है, मिलना चाहिए तथा सरकार की ओर से सहायता भी मिलनी चाहिए जिससे कि वेह अपने एरिया में अधिक ध्यान रख सके और उसको उन्नत बना सके । अगर ऐसा कर पायेंगे तो ठीक है ।

इस नौकरशाही का खात्मा करने के लिए जहां तक ग्राम लेवल के कर्मचारियों का सवाल है उनके लिए मेरा सुझाव है कि, ग्राम पंचायतों के अन्दर में वे रहने चाहिए । उसी प्रकार से तहसील लेवल के जितने भी बी. डी. ओज़ हैं वे उस पंचायत समिति के सेक्रेटरी रहने चाहिए । माननीय उपाध्यक्ष, मेहता ने जो सुझाव दिया है वह ठीक है । बी. डी. ओज़. के सिवाय कुछ कर्मचारी जो तहसील-लेवल के होते हैं, जैसे कि तहसीलदार, नायब–तहसीलदार, थानेदार हैं, उनके लिए भी हम इनको अधिक पॉवर दे सकते हैं । उनको भी कुछ हद तक जैसे कि भ्रष्टाचार के मामले हैं इनके अन्दर में दे सकते हैं, भ्रष्टाचार के मामले में जो पंचायत समिति होगी उसको यदि किसी तहसील लेवल के कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, तो पूरी छान–बीन करने का अधिकार होना चाहिये । मतलब यह है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, यदि पूरी तरह से पंचायत समिति के नीचे कर्मचारियों को नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम इतना ही करना पड़ेगा । कुछ काम ऐसे हैं कि जिनका असर हमारी गरीब जनता पर पड़ता है । यदि एक कर्मचारी भ्रष्टाचारी होता है तो वह भ्रष्ट बनाता है दूसरों को भी, दूसरों से पैसा लेता है और गरीबों के साथ में अन्याय करता है । इस तरह से उसका सम्बन्ध सर्व-साधारण के साथ में हो जाता है । तो माननीय उपाध्यक्ष, कम से कम भ्रष्टाचार के मामले में पंचायत समिति के नीचे वे लोग रहने चाहिये ।

इसी प्रकार से अपने जिले के स्तर पर जिला परिषद् के निर्माण का मेहता कमेटी ने सुझाव दिया है कि होना चाहिये । अतः, माननीय उपाध्यक्ष, उस जिला परिषद् के पास में कितना फन्ड रहेगा, उसके क्या अधिकार रहेंगे, क्या उसके कर्तव्य रहेंगे ? जहां तक मैंने अभी बताया था कि जो जुडिशियल पंचायतें हैं, उन जुडिशियल पंचायतों के मुकदमों का सवाल है अपील का, वह जिला परिषद् के पासमें होना चाहिए न कि तहसील पंचायत के पास में । इससे यह होगा कि जिला परिषद् के अन्दर, जनता का चुनाव होकर, उसके अन्दर मेम्बर होंगे,उसका चेयरमे नभी चुना हुआ होगा। कलेक्टर या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को उसका चेयरमेन बना कर, अधिकार देकर नौकरशाही को ज्यादा बढ़ावा देना है; ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए । नौकरशाही को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें सतर्क रहना चाहिये। यह हो सकता है कि हम लोग कर्मचारी वर्ग से, जो कि आर. ए. एस. या आई. ए. एस. जिले के स्तर पर हों उनसे सहयोग लेलें तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा विचार है चेयरमेन बनाना या पूरे के पूरे अधिकार देना, यह चीज और ज्यादा खतरनाक सिद्ध होगी । तो इस जुडिशियल पंचायत की जहां तक अपील का

(श्री गिरधारीलाल)

सवाल है जिला परिषद् के पास में होना चाहिये। जिला परिषद् से आगे सेशन कोर्ट है और हाईकोर्ट है। जिला परिषद् में चेयरमेन चुना हुआ होना चाहिये। एम. एल. ए. भी उसका मेम्बर होना चाहिये तथा जो और जिला स्तर के कर्मचारी हैं वे भी उसके मेम्बर होने चाहिएं। लेकिन चेयरमेन का जहां तक सवाल है, जहा तक अधिकार का सवाल है तो वह कलेक्टर, एस. डी. ओ. या कमिश्नर को नहीं देना चाहते। इससे किसी भी प्रकार का न्याय होने की संभावना नहीं है। भले ही आप जिला बोर्डों को भंग करदें, उनका नाम चाहे जिला परिषद रख दें लेकिन जैसा हम चाहते हैं ग्राम, जिला या तहसीलों पर पंचायतों का अभी एक प्रकार से अधिकार नहीं हैं लेकिन वे भी उन पंचायतों के अन्डर में रहनी चाहिये। मैं सुझाव दूंगा कि आर. ए. एस. या आई. ए. एस. ओफिसरों की नियुक्ति भले ही गवर्नमेंट करे लेकिन वहां की जिला परिषदों के कहने से उनके तबादले किये जा सकें। एक तरह से हम उन पर भी कुछ मामलों में नौकरशाही को खत्म करने में एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे भ्रष्टाचार के मामले में उनको अधिकार होना चाहिये कि किसी ऑफिसर के खिलाफ शिकायत आई है तो वह उसकी जांच करे, चाहे वह ऑफिसर भी उसमें शामिल हो और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास भेज दे। इस प्रकार की नीति अपनायेंगे और उस पर चलेंगे तो हम इन दोनों चीजों को खत्म कर पायेंगे। एक तो यह है कि भ्रष्टाचार जो सारे राजस्थान में फैला हुआ है और सही बात है, एक-एक गांव करके राजस्थान बना है, यदि ग्राम लेवल पर भ्रष्टाचार खत्म करते हैं तो काफी हद तक भ्रष्टाचार खत्म होता है। तो इस तरह से एक तो, भ्रष्टाचार को खत्म कर पायेंगे और दूसरे नुकसान को खत्म कर पायेंगे। यही मेरा निवेदन है। अब मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री किशनसिंह (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर बहस हो रही है। मेहता कमेटी की रिपोर्ट को मैंने देखा है। इसके अनुसार पंचायतें जो होंगी उनके अध्यक्ष होंगे एस. डी. ओ...

श्री भैरोंसिंह : मुंह माइक पर लगाइये, सुनाई नहीं देता।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत कुछ सुन चुके हैं, नहीं सुनेंगे तो क्या बात हुगी ?

श्री किशनसिंह : (जारी) अध्यक्ष होंगे एस. डी. ओ.। माननीय उपाध्यक्ष, इस तरह की एक कहानी मुझे याद आती है। एक शेखचिल्ली आदमी था और उसने कल्पना से मकान बनालिया था। मुझे पूरी कहानी नहीं कहनी है, बात कहनी हैं, कल्पना करते करते उसने लात लगाई और पास ही पड़ा घड़ा फूट गया। घड़े के मालिक ने कहा कि घड़ा कैसे फोड़ दिया तो उसने कहा कि तुम्हारा तो घड़ा ही फूटा है लेकिन मेरा तो घर ही फूट गया। मेरी कल्पना भी पता नहीं किस तरह की हो रही थी। मैं सोच रहा था कि जनतंत्र के द्वारा सत्ता मिलेगी, शासन का विकेन्द्रीकरण होगा, अभी जो केन्द्रीकरण हो रहा है वह धीरे धीरे चला जायगा लेकिन आज की रिपोर्ट को देखते हुए ऐसा लगता है कि किसी आदमी के घर में बहुत धन आ जाय, चाहे किसी भी कारण से आये, कमाई से आवे या और किसी कारण से आवे लेकिन किसी वजह

(श्री किशनसिंह)

से एकाएक वह धन वापिस चला जाय तो उसको दुःख हो रहा है वहीं हालत आज मेरी हुई। गलती यह हुई कि पंचायतों के चुनाव पहले हो चुके हैं और उनको ज्ञान हो चुका है कि पंचायतों को चुनाव से ये फायदे हैं। इस चीज को सब लोग समझ चुके हैं। चुनावों से पहले यह रिपोर्ट आती तो लोगों को पता नहीं चलता कि पहले फायदा था और अब नुकसान होगा। लेकिन जो सत्ता दी गई है उसको इस रिपोर्ट से वापिस ले रहे हैं। इस रिपोर्ट को पास करेंगे तो हम लोगों को नाराज करेंगे। जो दी हुई सत्ता है उसको वापस ले रहे हैं। लोग नाराज होंगे, उसकी चर्चाएं चलेंगी और जगह जगह यह कहा जायगा कि सत्ता जो दी जा रही है, जनतंत्र जिसको कहा जा रहा है, ओटोक्रेसी जिसको कहा जा रहा है नहीं, डेमोक्रेसी जिसको कहा जा रहा जा रहा है वह डेमोक्रेसी ओटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की ओर ले जाई रही है। यह जो पास हो गया तो बी. डी. ओ. मंत्री होंगे और...

उपाध्यक्ष : शुरू रखिये साहब।

श्री किशनसिंह : (जारी) एस. डी. ओ. अध्यक्ष होंगे तो फिर चुनाव की जरूरत क्या है ? फिर तो जैसा १० वर्ष पहले था उसी तरह चलता रहे तो अच्छा रहेगा, चुनाव क्यों किये जांय ? इसको पास करने के बाद अध्यक्ष होंगे एस० डी० ओ० और मंत्री होंगे बी० डी० ओ० यह अच्छा रहेगा। फिर चुनाव की जरूरत क्या है ? मैं यह सोच रहा था कि पंचायतों को अधिकार और मिलने चाहिये, रेवेन्यु वसूल करने का भी अधिकार इनको होना चाहिये लेकिन पंचायतें तो उल्टी भस्मीभूत होती जा रही हैं, उनको बंधन में डाला जा रहा है। इससे आगे जिला स्तर पर चर्चा चले तो रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। मैं मानता था कि जिला स्तर पर जो पचायतें होंगी वे अपेलेट बोडी होंगी, उनके सेक्रेटरी होंगे जिला कलेक्टर लेकिन अब अध्यक्ष होंगे जिला कलेक्टर........

श्री भैरोंसिंह : सेक्रेटरी होंगे या अध्यक्ष होंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : एक चुन लीजिये।

श्री किशनसिंह : मैं समझ नहीं पाया।

श्री भैरोंसिंह : जिला कलेक्टर क्या होंगे ?

श्री किशनसिंह : मैं कह रहा हूं कि कलेक्टर अध्यक्ष होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : किसी पद पर आसीन होंगे, यह कह दीजिये।

श्री किशनसिंह : मेरा कहने का मतलब यह है कि कलेक्टर अध्यक्ष होंगे तो जनता को फायदा नहीं होगा और यदि यह रिपोर्ट इसी तरह से पास हुई तो जनता को नुक्सान होगा, प्रजा नाराज होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो।

इसमें एक बात अच्छी कही गई है और वह यह कि चुनाव बैलट से होगा, लोग खड़े होंगे उनका बैलट से चुनाव होगा, यह ठीक बात है, बैलट सिस्टम के चुनाव से जनतंत्र को फायदा होगा। वैसे जो लोग खड़े होते हैं उनमें परस्पर झगड़ा होता है। इसलिये जब वोटों से चुनाव होगा तो ठीक होगा। यह बात ठीक है। लेकिन इसमें

Page No.98

(श्री किशनसिंह)

से दूसरी बातों को हटाना चाहिये। यह पास होता है तो वाकई नुकसान होता है और दी गई सत्ता को वापिस लेते हैं, यह अच्छा नहीं लगता। इसलिये हाउस से निवेदन करूंगा कि ये दो क्लॉज़ निकाले जाने चाहियें, पहले जैसा सिस्टम चलना चाहिये....

श्री भैरोंसिंह : कौन से क्लॉज ?

श्री किशनसिंह : (जारी) उनको अधिकार यह होना चाहिये कि तहसील पंचायतों के सेक्रेटरी तहसीलदार हों और जिला पंचायतों के सेक्रेटरी कलेक्टर हों। इस प्रकार की बात होती तो जनता खुश होती और कहती कि हमको बहुत अधिकार दिये हैं।

श्री रामचन्द्र (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की विकास योजनाओं पर, जिसके विषय में मेहता कमेटी के नाम से एक रिपोर्ट पेश हुई है उस पर वाद-विवाद करने के लिये इस सदन के आदरणीय सदस्यों को अवसर मिला है।

आज हमारे सामने यह प्रश्न है कि मेहता समिति ने जो सुझाव दिये हैं वे राजस्थान के विकास के लिये लागू किये जांय या नहीं और उनमें क्या क्या बुराइयां हैं उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी चीज जो राजस्थान के विकास के लिये या भारत के किसी दूसरे राज्य के लिए भारत सरकार ने या अन्य किसी राज्य सरकार ने रखी है, या विकास के लिए कोई भी स्कीम प्रस्तुत की हैं, वह बुरी नहीं होती है क्यों कि वह स्कीम कोई साधारण जनता के मस्तिष्क को देन नहीं हैं। वह भारत के या उस राज्य के अच्छे से अच्छे समझदार, बुद्धिमान या ऊँचे दिमाग वाले व्यक्ति के द्वारा दी गई होती है। वर्तमान विकास योजनायें या स्कीमें जिन महानुभावों ने तैयार की हैं, वे बहुत सोच विचार कर और समझ कर तैयार की गई हैं लेकिन इनमें कुछ खराबी के कारण या इनको लागू करने में अड़चन आती हुई महसूस करके या इनसे जितना फायदा होना चाहिए, उतना फायदा नहीं होता है। यह विचार कर भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि इसके लिये एक कमेटी का निर्माण किया जाय। कमेटी ने भारत के भिन्न-भिन्न भागों में घूम कर रिपोर्ट की। अब इस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद हमें इस निर्णय पर आना चाहिए कि आया वर्तमान पद्धति का त्याग करके मेहता के सुझावों के अनुसार कार्य किया जाय अथवा पुराने ढर्रे को ही अपने काम में लाते रहें ? उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी चीज खराब नहीं होती है। ये विकास योजनायें भी खराब नहीं हैं। लेकिन हम सबको और हमारी सरकार को इस पर विचार करना है कि आया यह योजना ही खराब है अथवा इस योजना को अमल में लाने के लिए जिस मशीनरी के हाथ में सौंप दी गई है, उसमें ही कोई नुक्स है। (हिअर, हिअर) इस योजना में तो कोई नुक्स नहीं है क्योंकि यह विशिष्ट व्यक्तियों के मस्तिष्क की देन है। मैं तो यह कहूंगा कि यह जिस मशीनरी के हाथ में अमल में लाने के लिए सौंपी गई है, वही खराब है। इसलिए बेहतर यह है कि इस योजना को जो कि मेहता कमेटी ने राजस्थान सरकार के सामने रखी है, अमल में लाने से पहले इसे कार्यान्वित करने के वास्ते जिस मशीनरी के हाथ में सौंपी गई है, उस मशीनरी की जांच कर लें और हमारी सुधरी हुई मशीनरी के द्वारा किये गये विकास कार्य की जांच देख कर हम यह अन्दाजा लगायें कि आया इस मशीनरी के

(श्री रामचन्द्र)

द्वारा कार्यान्वित की गई योजना के द्वारा राजस्थान का विकास हो सकता है या नहीं? अगर हो सकता है तो मैं कहूंगा कि मेहता कमेटी ने जो सुझाव दिये हैं, उनको अमल में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेहता कमेटी ने जो सुझाव दिये हैं, मैं तो समझता हूं कि वे अप्राकृतिक हैं, वे भारत के प्रत्येक मार्ग के लिए लागू नहीं हो सकते। भारत भौगोलिक दृष्टि से एक इकाई नहीं है, भौगोलिक दृष्टि से भारत कई इकाइयों से बना हुआ है, भौगोलिक दृष्टि से बम्बई, या कलकत्ता या मद्रास और राजस्थान तथा भिन्न भिन्न राज्यों की परिस्थिति समान नहीं है। उन्होंने जो सुझाव दिये हैं वे सारे सुझाव भारत के प्रत्येक राज्य के लिए लागू नहीं हो सकते। बहुत से सुझाव जो कि मेहता साहब ने अपनी रिपोर्ट में दिये हैं, वे राजस्थान के लिए बिल्कुल लागू नहीं हो सकते (हिअर, हिअर) आर्थिक साधन जुटाने के लिए उन्होंने जो सुझाव दिये, मैं तो समझता हूं कि राजस्थान के किसी भाग में वे लागू नहीं हो सकते। जब हम देखते हैं कि आज तक हमारी म्युनिसिपैलिटीज़ जो टैक्स लगाती हैं, वे बड़ी मुश्किल से वसूल कर पाती हैं; तो भला सोचिये कि पंचायतों से जहां अनपढ़ आदमी होते हैं, कह दिया जाय कि अपने यहां वाटर टैक्स, लाइट टैक्स, लगाओ और एज्युकेशन और रोड्स वगैरह का इन्तजाम करो तो यह काम उनसे नहीं हो सकता है। इसलिए जो साधन पंचायतों को धन जुटाने के लिए दिये गये हैं, मेरे ख्याल से वे साधन उनके लिए उपयोगी नहीं हो सकते।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि इस विकास की आखिर स्कीम क्या है? सरकार यह चाहती है कि आज राजस्थान में सामाजिक और आर्थिक असमानता जो फैली हुई है, उसको किसी तरह से दूर किया जाय। मैं तो यह देखता हूं कि अब तक पंचायतों के द्वारा जितने काम किये गये हैं, उनसे सामाजिक असमानता को दूर करने में ये पंचायतें बिल्कुल कामयाब नहीं हुई हैं। वैसे तो सरकार की ओर से एक हरिजन मेम्बर को चुन लिया जाता है लेकिन वहां जाकर देखिये, पंचायतों का उस हरिजन के साथ क्या व्यवहार होता है? पहले तो बहुत सी पंचायतें उसे मेम्बर बनाने के लिए राजी ही नहीं होती हैं। अगर हो भी जाती हैं तो बहुत सी जगह उन्हें नीचे ही बिठाया जाता है, काम भी वही दिया जाता है, जो चपरासियों या गांव के बढ़ई का होता है। आज दशा यह है कि पंचायतें ये काम नहीं कर सकतीं तो अगर यह कहेंगे कि मेहता महोदय की रिपोर्ट में जो सुझाव पंचायतों के लिए दिये गये हैं। वे पंचायतें करें; वे हर्गिज नहीं कर सकेंगी। इसलिए इन सुझावों को अमल में लाने के लिए उचित यह है कि पहले सामाजिक समानता के लिए सरकार प्रयत्न करे। दूसरी...

श्री भैरोंसिंह : तीसरी।

श्री रामचन्द्र : तीसरी कह लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप नम्बर क्यों लगाते हैं, जिससे कोई चेलेंज करे।

श्री रामचन्द्र : तीसरी चीज जो है वह चुनाव के विषय में है। वर्त्तमान चुनाव की प्रणाली हाथ उठा कर मत देने की है। यह ऐसी प्रणाली है जिससे गांवों में द्वेष पैदा होता है और जगह-जगह मार पीट की नौबत आ जाती है। यह प्रणाली ठीक नहीं। अब इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है और बेलट पेपर के द्वारा चुनाव होना चाहिए, जिससे कि गांव के मनुष्यों में आपस में सद्भावना बनी रहे।

(श्री रामचन्द्र)

इस समय पंचायतों के सुपुर्द दो ही काम हैं, विकास योजनाओं में भाग लेना और साथ ही साथ न्याय करना। आज तक यह देखा गया है कि गांवों के पंच लोग ज्यादातर न्याय के मामले में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं और जब विकास के कार्यों का सवाल आता है और जब पंचों को बुलाया जाता है तो १० में से प्राय: दो पंच भी नहीं आते। लेकिन जब कोई न्याय करने का प्रश्न आता है तो अपनी अपनी पार्टी को मदद देने के लिए दूर रहने वाले पंच भी आ जाते हैं। इसलिए न्याय पंचायतों को वर्तमान पंचायतों से अलग कर देना चाहिए और विकास पंचायत और न्याय पंचायत अलग-अलग बनानी चाहिए। यही सुझाव मेहता कमेटी ने भी दिया है कि विकास पंचायतों के अलावा न्याय पंचायत भी होनी चाहिए।

वर्तमान विकास योजनाओं में विभागीय कोऑर्डिनेशन का बिल्कुल अभाव है। सरकार के भिन्न-भिन्न विभाग विकास की योजनाओं को सम्पन्न करने के लिए एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करने के लिए बिल्कुल उदासीन हैं। इसलिए जब तक सरकारी विभाग एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करना नहीं सीखेंगे, ये विकास की योजनायें कभी सफल नहीं हो सकेंगी।

तीसरी (हंसी) बात यह है कि यह देखा जाता है.......मेरा जो क्रम है उसको देख लीजिए......

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ रखिए, गिनने के अन्दर उनसे गलती हुई है।

श्री रामचन्द्र : (जारी) एक कमी जो वर्तमान योजनाओं में देखी जाती है उसमें सुपरविजन का अभाव है। ब्लाक्स के निरीक्षण के लिए वहां जिलाधीश हैं अथवा उनके कोई रिप्रेज़ेन्टेटिव हैं उनको समय-समय पर दौरे करके इनका निरीक्षण करते रहना चाहिए, लेकिन आज तो ये लोग साल में मुश्किल से एक या दो बार दौरा करते हैं। यही कारण है कि बी. डी. ओज. अपना भत्ता तैयार करने अथवा जीपों में पैट्रोल का धुआं उड़ाने के सिवाय और कुछ नहीं करते। इसलिए उनसे पूछना चाहिये कि अमुक समय में उन्होंने क्या क्या कार्य किये और इस प्रकार की रिपोर्ट रेगुलरली राज्य को मिलती रहनी चाहिए। जिससे कार्य में स्फूर्ति पैदा होवे। बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, ...

अनेक माननीय सदस्य : समय हो गया है। इन्हें कल समय देदें।

श्री उपाध्यक्ष : यह कल ही का तो राइट रिज़र्व हो रहा है। अभी १० मिनिट बाकी हैं, बोलिए।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जिस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है, मैं समझता हूं सदन के सभी माननीय सदस्य इस रिपोर्ट को अच्छी तरह पढ़ कर इस सदन में आये होंगे।

एक माननीय सदस्य:— जो अंग्रेजी नहीं जानते ?

श्री भैरोंसिंह : यह बदकिस्मती है, जिसका जिक्र माननीय मुख्य मंत्री ने अपने भाषण के प्रारम्भ में किया है, इस रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद नहीं होने के कारण कुछ सदस्य इस रिपोर्ट का लाभ नहीं उठा सके। फिर भी इस बात की खुशी है कि सदन में कुछ ऐसे सदस्यों ने भी जो अंग्रेजी से कतई अनभिज्ञ हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में, चाहे वे

(श्री भैरोंसिंह)

ओटोक्रेसी में और डेमोक्रेसी में अन्तर नहीं समझते, अपने विचार व्यक्त किये।

श्री उपाध्यक्ष : आप मौका चूकेंगे नहीं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस रिपोर्ट में दो बातों को विशेष रूप से महत्व देता हूं, एक है ग्रामों का विकास और दूसरा ग्रामों का प्रशासन। प्रशासन व विकास इन दोनों बातों को साथ लेकर यदि हम विचार करेंगे तो हमें इसके मूल में जो एक बात स्थिर है, उसकी ओर जाना पड़ेगा, वह है माननीय उपाध्यक्ष, आज के समय का नैतिक पतन, नैतिक उत्थान-या समाज की नैतिकता का स्तर।

हम किसी ग्राम का विकास करना चाहेंगे तो उसमें भी इस बात का महत्व महसूस करेंगे कि वहां के समाज की नैतिकता कैसी है, वहां के लोगों का नैतिक स्तर कैसा है, प्रशासन का काम भी उनके हाथों में देंगे तो हमें विचार करना पड़ेगा कि लोगों का नैतिक स्तर कैसा है? केवल डीसैंट्रेलाइज़ेशन को लेकर भावुकता में नहीं जा सकते कि जो सत्ता दी है उसको ले सकेंगे कि नहीं- लेंगे तो परिणाम क्या होंगे जो सत्ता दी है उसमें कहीं गलती की है, इन सब बातों में समाज का नैतिक चरित्र-ध्यान में रख कर विचार करना पड़ेगा।

इस रिपोर्ट में भी जिक्र आया है कि पंचायतों का प्रशासन जिस प्रकार की अपेक्षा करते थे वैसा नहीं हुआ। मान सकते हैं कि वह हमारा परीक्षण-काल था। राजस्थान में पिछले तीन वर्षों से हमने पंचायतों का काम देखा है। पंचायतों के कॉन्स्टीट्युशन से लेकर पंचायतों के दूसरे चुनाव होने वाले हैं उस समय तक हमें पंचायतों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं और एक प्रकार की शिकायत नहीं, कई प्रकार की शिकायतें मिली हैं और स्पष्ट प्रमाण भी हमारे सामने आये हैं कि इस सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि जब हमारे सामने इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं तो पॉवर का डीसैंट्रलाइज़ेशन होने से ग्रामीणों के हाथ में सत्ता दें, उनके द्वारा सत्ता का दुरुपयोग हुआ तो इस एक्सपेरिमेंट पर चैक लगायें पर हमें निश्चित् रूप से सोचना पड़ेगा कि हमारा यह अनुभव पंचायतों के प्रशासन को लेकर कटु बनता जा रहा है, इस कटु अनुभव को सामान्य अनुभव के आधार-पर किस तरह से करते हैं, कौन सा मार्ग इसके लिये अपनाना पड़ेगा? पंचायतों के प्रशासन को जुडिशियल पॉवर्स एग्जीक्यूट करने के सेपरेट पॉवर दिये जांय या बी. डी. ओज़ या कलेक्टर को इनका सेक्रेटरी बनाने से हो सकता है, इस पर हमें विचार करना होगा।

प्रशासन एक है, जनता के हाथों में शासन दिया तो विचार करना पड़ेगा कि जनता और सरकारी अधिकारी जिनको मंत्री या अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, उनमें क्या कोऑर्डिनेशन है। अनुभवों के आधार पर वह कोऑर्डिनेशन न होना तो निश्चित रूप से कह सकते हैं। मेहता कमेटी के सुझाव, कि बी० डी० ओ० को या कलेक्टर को सेक्रेटरी बनाने का अच्छा साबित हो सकता है। पर हमारा अनुभव है कि पंचायतों के अन्दर पंचों और सरकारी अधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है। यदि सरकारी अधिकारी पंचायतों के पंचों को इस दृष्टि से देखते हैं कि ये अनपढ़ इनको पंचायत एक्ट का, टिनेन्सी एक्ट का ज्ञान नहीं है, एक मामूली कानून का लाभ उठा कर ये लोग पंच बन गये

(श्री भैरोंसिंह)

हैं, यदि सरकारी अधिकारियों का इस प्रकार का दृष्टिकोण रहा तो इस प्रकार की सिफारिश को मानना निश्चित रूप से समाज के लिए घातक होगा। यदि चुने हुए पंच सरकारी अधिकारियों को इस तरह से देखें कि ये हमारे नौकर हैं, इन नौकरों पर हमारा अधिकार है, जनतन्त्र के नाते हम इन लोगों पर अपना अधिकार जमा सकते हैं, पंचायतों के पंच होने के नाते इन अधिकारियों से बड़े हैं, ऐसा दृष्टिकोण रहा तो जनता के चुने हुए इन पंचों और सरकारी अधिकारियों के बीच में एक संघर्ष की भावना पैदा होकर जिस कोऑर्डिनेशन से हम डेवलपमेन्ट के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें हम एकदम असफल होंगे। इस प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिए इस रिपोर्ट में किसी तरह के सुझाव नहीं हैं। पंचायतों का सम्मेलन हुआ, उसमें एक आवाज में मांग की गई कि हमारे साथ गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स का कोऑपरेशन नहीं है, जहां पंचायतों के एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेन्ट के ऑफिसर्स का कोऑपरेशन नहीं; बल्कि वे लोग पंचों को एब्यूज करने में भी नहीं चूकते कि अगर डेवलपमेन्ट का काम इन लोगों को दे दिया गया तो डेवलपमेन्ट का सब काम चौपट हो जायगा.......

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह कल अपना भाषण जारी रखेंगे। मैं सदन के सूचनार्थ कह दूं कि श्री भैरोंसिंह कल अपना भाषण जारी रखेंगे।

मेवाड़ शिशु हितकारिणी सभा आज्ञाप्ति (अनुपालनियता) विधेयक, १६५८ (प्रवर समिति को)

मैं सदन की सूचनार्थ सिलेक्ट कमेटी आन मेवाड़ शिशु हितकारिणी सभा आज्ञाप्ति (अनुपालिनीयता) विधेयक, १६५८ के सदस्यों की सूची प्रस्तुत करता हूं :

१. मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल।
२. श्री रामप्रसाद लड्ढा।
३. श्री लालसिंह शक्तावत।
४. श्रीमती गंगादेवी डाटा।
५. श्री बृजमोहन लाल शर्मा।
६. श्री गोपाल लाल।
७. श्री रावतराम, विभाजन संख्या १४२।
८. श्री शिवचरण दास।
९. श्री बालमुकुन्द।
१०. श्री रघुवीरसिंह।

यह समिति अपना प्रतिवेदन इस सत्र के अन्त तक प्रस्तुत करेगी।

(विराम)

अब कल ११ बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४ बज कर ५६ मिनट पर कल दिनांक २६ फरवरी, १६५८ के ११ म० पू० तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(मंगलवार, २५ फरवरी, १९५८)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	२०६०	विकास खण्ड खोलने के आधार ।	
जयपुर रेल्वे स्टेशन स्थित बापू की मूर्ति ।		तहसीलदार, भरतपुर द्वारा चपरासी की पिटाई ।	
धार्मिक स्थानों को दी जाने वाली सहायता ।		अनुसूचित जातियों के लिये आदर्श बस्तियों का निर्माण ।	
माध्यमिक कन्या पाठशाला, कोटपुतली ।		भूमिहीन हरिजनों को भूमि-वितरण ।	
नायब तहसीलदार, राजगढ़ (जि० चूरू) ।		पानों पर विक्रय कर ।	
कटपुतली कला का पुनरुद्धार ।		अभावग्रस्त क्षेत्रों में चारे व अनाज की व्यवस्था ।	
जागीरदारों द्वारा जोड़ों को तोड़ कर की जाने वाली खेती ।		रसद विभाग द्वारा बीकानेर डिवीज़न में व्यापारियों से लेवी वसूली ।	
अनुसूचित व दलितवर्ग छात्र ।		सीकर ठिकाने के जागीरी कर्मचारी ।	
प्रारम्भिक पाठशाला, लालसोट ।		राज्य द्वारा ग्लू फैक्ट्री हेतु ऋण ।	
भूमि-वितरण ।		तहसील दौसा में तकावी वितरण ।	
व्यवस्थापक, खादी ग्रामोद्योग भवन ।		जिला जालोर के अकाल ग्रस्त क्षेत्र में लगान-वसूली ।	
वेतन दरें ।		ओलों की वर्षा द्वारा हानि ।	
राजस्व कर्मचारियों का बकाया वेतन ।		राजकीय गर्ल्स हाई स्कूल, बूंदी ।	
तीन वर्षीय डिग्री कोर्स ।		आमेर तहसील में तकावी वितरण	
नागरिक रसद—अनाज क्रय ।		लेखपालों (अकाउन्टेन्ट्स) की नियुक्तियां ।	
जयपुर स्थित देवस्थान विभाग के मकानों व दुकानों का किराया ।		सूरसागर (जोधपुर डि०) में पत्थर की खानें ।	
पोलिटेक्निकल इन्स्टीट्यूशन्स ।		आबकारी व कस्टम का मुआवजा	
प्रौढ़ शिक्षा ।		पटेलों को दिया जाने वाला मलबा	

Page No.104

स्कम्भ

मा० से० स०, अजमेर को हरिजनोत्थान हेतु जीप।

सदन से अनुपस्थिति रहने की अनुमति। २१५४

१. श्री तेजमल बापना, सदस्य विधान सभा, को दिनांक २४-२-५८ से २८-२-५८ तक सभा की बैठकों से अनुमति प्रदान की गई।

श्रीमान् राज्यपाल से प्राप्त सन्देश २१५५

माननीय अध्यक्ष द्वारा राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित सन्देश पढ़ा गया:—

'दिनांक १० फरवरी, १९५८ को विधान सभा में दिये गये मेरे अभिभाषण पर सदन के सदस्यों ने जो आभार प्रदर्शित किया उसको प्राप्त करने मुझे अत्यन्त सन्तोष हुआ है।'

सदन की मेज पर रखी गयी विज्ञप्ति २१५५

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, ने नियुक्ति विभाग (ए) विज्ञप्ति संख्या एफ. १४ (३) नियुक्ति (ए) ५८, दिनांक १६ जनवरी, १९५८ को, जिसके द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा प्रतिबन्ध) आनियम १९५१ के आनियम ८ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखा।

पुरःस्थापित विधेयक २१५५

निम्नलिखित विधेयक सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किये गये :—

स्कम्भ

१. राजस्थान भूमि हस्तान्तरण (प्रतिबंध) विधेयक, १९५८

२. राजस्थान वित्त (कृषि आयकर) विधेयक, १९५८

३. राजस्थान कोर्ट फी एण्ड स्टाम्प ड्यूटी लॉज (एक्सटेन्शन) विधेयक, १९५८

४. राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

५. राजस्थान मद्य निषेध विधेयक, १९५८

सामुदायिक योजनाएं तथा राष्ट्रीय विस्तार खण्ड पर वाद-विवाद २१५९

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, ने उपरोक्त विषय पर वाद-विवाद आरम्भ किया। तत्पश्चात् निम्नलिखित सदस्यों ने इस संबंध में अपने २ विचार व्यक्त किये:—

१. श्री चन्दनमल वैद्य
२. श्री रघवीरसिंह
३. श्री मुरलीधर व्यास
४. श्री मूलचन्द डागा
५. श्री मदनसिंह
६. श्री लक्ष्मण हीरात
७. श्री श्रीभानसिंह
८. रावल नरेन्द्रसिंह
९. श्रीमती गंगादेवी
१०. राव राजा सरदारसिंह
११. श्री भीमसेन
१२. श्री धर्मपाल

स्कम्भ

१३. श्री गिरधारीलाल
१४. श्री किशनसिंह बाटड़
१४. श्री रामचन्द्र

मेवाड़ शिशु हितकारिणीसभा आज्ञप्ति (अनुपालिनीयता) विधेयक, १६५८ २२६२

(प्रवर समितिको)

उपरोक्त विधेयक जो दिनांक २१ फरवरी, १६५८ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया था उसके सदस्यों के नाम आज घोषित किये गये। वे इस प्रकार हैं:—

१. प्रभारी मन्त्री
२. श्री रामप्रसाद लड्ढा
३. श्री लालसिंह शक्तावत

स्कम्भ

४. श्रीमती गंगादेवी
५. श्री बृजमोहनलाल शर्मा
६. श्री गोपाललाल
७. श्री रावतराम (१४२)
८. श्री शिवचरण दास
९. श्री बालमुकुन्द
१०. श्री रघुवीरसिंह

प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन इस सत्र के अन्त तक प्रस्तुत करेगी।

बुधवार, दिनांक २६ फरवरी १६५८ की कार्य-सूची

सामुहिक योजनाएं तथा राष्ट्रीय विस्तार से खण्ड पर अग्रेतर वाद–विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ३७१ का उत्तर देखिये)

सूची मन्दिरों तथा मस्जिदों की जो जिला टोंक में स्थित हैं और सरकार से एड पाते हैं।

नं० शु०	नाम गांव	नाम मन्दिर या मस्जिद	वार्षिक सहायता
१	२	३	४
		तहसील टोंक	
१	टोंक	जामा मस्जिद पुरानी	२४०—०—०
२.	टोंक	मस्जिद मोती बाग	६६—०—०
३.	टोंक	मस्जिद हकीम जी	१७४— —०
४.	टोंक	जामा मस्जिद बहीर	२०५—८—०
५.	टोंक	मस्जिद गोल	१८ —०—०
६.	टोंक	मस्जिद मूनीरखां	१८—०—०
७.	टोंक	मस्जिद रहनू	२०४—०—०
८.	टोंक	मस्जिद इमामउद्दीन	६६—०—०
९.	टोंक	मस्जिद वजीरखांग	१६८—०—०
१०.	टोंक	मस्जिद छावनी	६३—० ०
११.	टोंक	मस्जिद बाग अरब साहब	६६—०—०
१२.	टोंक	मस्जिद रजबन	१६८—०—०
१३.	टोंक	मस्जिद लगावान	९८—८—०
१४.	टोंक	मस्जिद बटवालान	८८—८—०
१५.	टोंक	मस्जिद मुजफरी	८४—०—०
१६.	टोंक	मस्जिद आजम श्याह	१४४—०—०
१७.	टोंक	मस्जिद सराय	१००—८—०
१८.	टोंक	मस्जिद दबगरान	६४—८—०
१९.	टोंक	मस्जिद शैलान	६४-८—०
२०.	टोंक	मस्जिद अशकर फिरोजी	८४—०—०
२१.	टोंक	मस्जिद देश वालियान	८८—८—०
२२.	टोंक	मस्जिद हाजीपुरा	८४—०—०
२३.	टोंक	मस्जिद शोरगरान	४८— —०
२४.	टोंक	जामा मस्जिद अमीरगंज	७४४—०—०
२५.	टोंक	मस्जिद आइन गरान	४—८—०
२६.	टोंक	मस्जिद सुलेमान खां	२—०—०
२७.	टोंक	मस्जिद महोमद हुसेन	३—०—०
२८.	टोंक	मस्जिद कमनीगरान	३—०—०
२९.	टोंक	मस्जिद मौलाना साहब	४—८—०

३०.	टौंक	मस्जिद ममौर	४-८-०
३१.	टौंक	मस्जिद महकमें जात	२४-०-०
३२.	टौंक	मस्जिद कचेरी पुरानी टौंक	६०-०-०
३३.	टौंक	मस्जिद अफगानान	६०-०-०
३४.	टौंक	मस्जिद मोमनान	४८-०-०
३५.	टौंक	मस्जिद नजर बाग	२६४-०-०
३६.	अमीरगढ़	मस्जिद किला	२५२-०-०
३७.	बरोनी	मस्जिद बरौनी	७२-०-०

तहसील अलीगढ़

३८.	अलीगढ़	जामा मस्जिद	१६२-०-०
३९.	उनियारा	मस्जिद	८४-०-०
४०.	ख़ातौली	मस्जिद	४८-०-०

तहसील मालपुरा

४१	मालपुरा	श्री लक्ष्मीनाथजी	८०-०-६
४२.	मालपुरा	श्री सीतारामजी	२७-१-६
४३.	मालपुरा	श्री गोपालजी कचेहरी	२३-६-०
४४.	मालपुरा	श्री गोपीनाथजी ठठेरा	७-१५-६
४५.	मालपुरा	श्री माताजी कानूगोयान	१२-१२-०
४६.	मालपुरा	श्री नृसिंह खवासजी तातेड़ खाना	६३-१२-०
४७	मालपुरा	श्री जैन मन्दिर	६६-१-०
४८.	मालपुरा	श्री गोपी नाथ जी	०-१५-६
४९.	मालपुरा	श्री हनुमानजी	०-१२-६
५०.	मालपुरा	श्री नृसिंह जी	०-१५-६
५१.	मालपुरा	श्री जैन मन्दिर पन्चसरावगीयान	५-१५-६
५२.	मालपुरा	श्री भैरूजी नारनोलिया	१२-०-६
५३.	मालपुरा	श्री गणेशजी राहदारी	२-४-३
५४.	मालपुरा	श्री गणेशजी	०-१२-६
५५.	मालपुरा	श्री फूल पीरजी कचेरी	४-४-०
५६.	मालपुरा	मस्जिद सराय	२५-८-०
५७.	मालपुरा	दरगाह फकीर	०-१५-६
५८.	मालपुरा	श्री रघुनाथजी	१२४-११-३
५९.	मालपुरा	श्री दानव राय जी	७-१५-६
६०.	मालपुरा	श्री चतुरभुजजी	३-११-६
६१.	मालपुरा	श्री चावन्ड माताजी	०-८-६
६२.	मालपुरा	श्री केदारनाथजी	१-५-३

६३.	मालपुरा	श्री कल्याणजी	१७–८–६
६४.	मालपुरा	श्री विशयतीजी	७–१५–६
६५.	मालपुरा	श्री सूरंजनारायणजी	५१–०–०
६६.	मालपुरा	श्री रामजी द्वारा	१५–१५–०
६७.	मालपुरा	श्री चराचर भैंरूजी	२–६–३
६८.	मालपुरा	श्री बिहारीजी नृसिंहजी	१५–१५–०
६९.	मालपुरा	श्री लक्ष्मीनारायणजी	५७–७–०
७०.	मालपुरा	श्री दांत माताजी	२५५–०–०
७१.	मालपुरा	श्री मोहनजी	२–६–३
७२.	मालपुरा	श्री रावत विष्णुदत्तजी	६–६–०
७३.	मालपुरा	श्री जी पंच अग्रवालान	३–३–०
७४.	मालपुरा	श्री लालजी	७–१५–६
७५.	मालपुरा	श्री नृसिंह देवजी	०–१५–६
७६.	मालपुरा	श्री मुरली मनोहरजी	०–११–६
७७.	मालपुरा	श्री सदरामाताजी	१५–१५–०
७८.	डिग्गी	श्री कल्याणजी	२०–२–०
७९.	डिग्गी	श्री हनुमानजी डिग्गी दरवाजे बाहर	३–३–०
८०.	डिग्गी	श्री रघुनाथजी	५१–०–०
८१.	गुरूदयालपुरा	श्री श्यामसुन्दरजी	२५–८–०
८२.	बारोडा	श्री जैन मंदिर	४७–१३–०
८३.	बनस्थली	श्री महादेवजी	१९–२–०
८४.	बनस्थली	श्री सीतारामजी	१०२–०–०
८५.	घाटी	श्री रघुनाथजी	९–९–०
८६.	अरनिया	श्री गोपालजी	६–६–०
८७.	लाम्बा	श्री चतुरभुजजी	४–१२–६
८८.	लाम्बा	श्री खट्टेश्वरजी किला	११२–१०–६
८९.	लाम्बा	श्री गोविन्द देवजी	६–६–०
९०.	लाम्बा	श्री जैन मन्दिर	२५–८–०
९१.	लाम्बा	श्री सीतारामजी किला	२–१३–६
९२.	लाम्बा	श्री अन्न पूर्णा माताजी	१३–०–३
९३.	लाम्बा	श्री रघुनाथजी	६–१३–६
९४.	लाम्बा	श्री बालाजी	०–१२–६
९५.	कुराडा	श्री सीतारामजी	१६–१२–०
९६.	नगर गांव	श्री गोपालजी	२८–११–०
९७.	पलोटी	श्री हनुमानजी	०–१४–६
९८.	बम तालाब	श्री महादेवजी	७–१५–६

९९	बरेडी	श्री भैरूजी	१–६–६
१००	उनियारा	श्री जैन मन्दिर	१–६–६
१०१	सुनारा	श्री नृसिंह जी	७०–२–०

तहसील टोडारायसिंह

१०२	टोडा	श्री चतरभुजजी	७५–१३–६
१०३	टोडा	श्री भूतेश्वरजी	६६–१५–०
१०४	टोडा	श्री गोपीनाथजी	२५–७–६
१०५	टोडा	श्री कल्याण जी	२५–७–६
१०६	टोडा	श्री बराई माताजी	२३–७–६
१०७	टोडा	श्री जैन मन्दिर पंच सरावगियान	१२६–१४–३
१०८	टोडा	श्री नृसिंह जी सिलावटा	१५–१५–०
१०९	टोडा	श्री हनुमानजी आमासागर	१२–१२–०
११०	टोडा	श्री कल्याणेश्वरजी	५–६–३
१११	टोडा	श्री कलिश्वरजी	१०–१०–०
११२	टोडा	श्री चौथ माता जी	२७–१०–०
११३	टोडा	श्री रामजी राद्वारा	५–६–३
११४	टोडा	श्री रघेश्यामजी	१–६–६
११५	टोडा	श्री रघुनाथजी भाटान	०–१–३
११६	टोडा	श्री चतरभुजजी मालियान	०–६–३
११७	टोडा	श्री श्यामजी कृष्ण विलास	०–३–०
११८	टोडा	श्री नृसिंहजी मण्डी के	०–६–३
११९	टोडा	श्री राधेनाथजी सिद्ध नाथ जी	७६–८–०

पंच गुजराती

१२०	टोडा	श्री सावलाजी	०–६–६
१२१	टोडा	श्री जैन मन्दिर ओसवालान	१२–१०–३
१२२	टोडा	श्री महादेव जी राहदारी	१–८–०
१२३	टोडा	श्री गोपालजी सिलावटान	१–८–०
१२४	टोडा	श्री पीरजी रादारी	३–०–३
१२५	टोडा	श्री ताखाजी	४–८–६
१२६	टोडा	श्री हनुमाजी मूडा	०–१२–६
१२७	टोडा	श्री श्यामजी भैरूजी	२–१०–६
१२८	टोडा	श्री बालाजी रादारी	६–६–०
१२९	टोडा	श्री पन्च मुखी महादेवजी	०–११–६
१३०	टोडा	श्री गणेजी पटला	७–४–६
१३१	टोडा	श्री दादा देवजी पंच ओसवालान	७–६–०

१३२	टोडा	श्री गणेशजी	१–५–३
१३३	टोडा	श्री हनुमानजी पूरापोल	०–१०–६
१३४	टोडा	श्री जैन मन्दिर	१–६–६
१३५	टोडा	श्री जैन मन्दिर	३–३–०
१३६	बासेडा	श्री सीतारामजी	५१–०–३
१३७	छान	श्री महादेवजी	१–८००
१३८	छान	श्री चतरभुज जी	३८–४०
१३९	मालता	श्री जैन मन्दिर	१–६–६
१४०	हमीरपुर	श्री जैन मन्दिर	१–६–६

तहसील देवली

१४१	नासिरदा	श्री जैन मन्दिर	२८–११–०
१४२	नासिरदा	श्री लक्ष्मीनाथ जी	६–६–०
१४३	नासिरदा	श्री भूतेश्वरजी	०–४–३
१४४	नासिरदा	श्री गोपालजी	२–१०–६
१४५	नासिरदा	श्री सीतारामजी	२–२–०
१४६	नासिरदा	श्री सालगरामजी	१–१–०
१४७	नासिरदा	श्री मुरली मनोहरजी	१–१–०
१४८	नासिरदा	श्री हनुमानजी	१–६–६
१४९	सांवला	श्री चतुरभुजजी	३८–४–०
१५०	पनवाड	श्री गोपीनाथजी	५३–२–०
१५१	पनवाड	श्री रघुनाथजी	५१–०–०
१५२	पनवाड	श्री हनुमानजी	६–६–०
१५३	पनवाड	श्री जैन मन्दिर	७–१५–६
१५४	पनवाड	श्री भूतेश्वरजी	१२–१–९
१५५	कालानाडा	श्री रघुनाथजी	६५–१०–०
१५६	राजमहल	श्री जैन मन्दिर	२५–८–०
१५७	राजमहल	श्री पीरजी	६–६–०
१५८	चूली	श्री सीतारामजी	७–७–०
१५९	पन्द्रा हेडा	श्री पीरजी	६–६–०
१६०	श्री मोधासिंहपुर	श्री गोपालजी	६३–१२–०
१६१	श्री विसलपुर	श्री विसल देवजी	३८–४–०
१६२	बुद्ध सागर	श्री महादेवजी	६–६–०
१६३	दूनी	श्री महादेवजी	१–५–३
१६४	दूनी	श्री जैन मन्दिर	११–१५–३

तहसील निवाई

१६५	निवाई	श्री चतरभूजी	१९–१२–०

१६६	निवाई	श्री गोपीनाथजी	१२-१२-६
१६७	निवाई	श्री सीतारामजी	१५-६-६
१६८	निवाई	श्री गोपालजी	६३-१२-०
१६९	निवाई	श्री गुआलियारखजी	१०-६-६
१७०	निवाई	श्री महादेवजी	०-७-३
१७१	निवाई	श्री जलन्धरनाथजी	११-२-६
१७२	निवाई	श्री राधा दामोदरजी	८-४-६
१७३	निवाई	श्री नृसिंहजी	७-३-३
१७४	निवाई	श्री कृष्णचन्द्रजी	२७-१४-३
१७५	निवाई	श्री रामेश्वरजी	२२-२-०
१७६	निवाई	श्री लक्ष्मीनाथजी	८-१३-३
१७७	निवाई	श्री रघुनाथजी	१२-१२-०
१७८	निवाई	श्री जैन मन्दिर	२०-५-०
१७९	निवाई	श्री महादेवजी खडी	११-१५-०
१८०	निवाई	श्री दामोदरजी	५-६-३
१८१	निवाई	श्री मुरली मनोहरजी	६-१-०
१८२	निवाई	श्री हनुमानजी	०-१२-०
१८३	निवाई	श्री गोपालजी	७-७-०
१८४	निवाई	श्री हुसेन पीरजी	०-१३-०
१८५	निवाई	श्री कमल जैनजी	८-७-३
१८६	निवाई	श्री महादेवजी	१२-१२-०
१८७	निवाई	श्री लक्ष्मीनाथजी	१२-१२-०
१८८	निवाई	श्री पीर दरगाह साहब	१-१३-६
१८९	निवाई	श्री मदार पीरजी	१-८-३
१९०	निवाई	श्री नृसिंहजी	२-३-०
१९१	आकिया वाद	श्री गोपालजी	६-६-०
१९२	पहाडी	श्री जी पहाडी का	२५-८-०
१९३	पहाडी	श्री बालाजी	६-६-०
१९४	गोविन्दपुरा	श्री रघुनाथजी	६-६-०
१९५	सालिगराम	श्री सीतारामजी	२५-६-०
१९६	लुहारा	श्री सीतारामजी	६-६-०
१९७	लुहारा	श्री जैन मन्दिर	०-१२-६
१९८	जामडोली	श्री जैन मन्दिर	२२-७-६
१९९	डागरथल	श्री नृसिंहजी	१-६-६
२००	खणदेवत	श्री जैन मन्दिर	०-१२-६
२०१	खणदेवत	श्री चतरभुजजी	०-१२-६

२०२	खणदेवत	श्री बालाजी	१–६–६
२०३	चन्दानी	श्री जैन मन्दिर	०–१२–६
२०४	समेल्या	श्री जैन मन्दिर	१-१-०
२०५	दत्तवास	श्री जैन मन्दिर	०–१२–६
२०६	दत्तवास	श्री हनुमानजी	०-१२–६
२०७	दत्तवास	श्री गोपालजी	०–१२–६
२०८	गुनसी	श्री जैन मन्दिर	०–१२–६
२०९	चन्दाजी	श्री जैन मन्दिर	०–१२–६
२१०	मेवा कमूढो	श्री गणेशजी	६–११–३

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ३७८ का उत्तर देखिए)

फहरिस्त मुरतीजा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा में ग्राम सीगपुरा में जमीन एलाटमेंट का विवरण

क्रम संख्या	नाम काश्तकार	पहले से जमीन इन्द्राज का विवरण	वक्त अलाटमेंट कमेटी से वितरण हुई
१	मांगू भील	८ पीवल	५ बीघा
२	किशना बलाई	पी. २॥), खाकी ४॥)२	२ ,,
३	शिवदान बडवा	,, १ खाकी ३॥)१	३ ,,
४	हैमराज जाट	,, २)२ १)१	५ ,,
५	अम्बालाल जाट	,, २॥) खा० ८॥)	५ ,,
६	छोटा ढोली	,, ३॥) खा. ६॥)	४ ,,
७	प्रताप भील	,, खा. ३।॥)२	२ ,,
८	मुरा भील	,, २।॥)२	२ ,,
९	छोगा बडवा	,, ख.)२	२ ,,
१०	हजारी बडवा	पी. ॥)२ खा. ॥)	२ ,,
११	शोरावलाल बड़वा	,, ।॥)३ खा. ॥)	२ ,,
१२	सोहन लाल ,,	,, ।)४ खा. ।॥)४	३ ,,
१३	अमरसिंह ,,	,, ३।)	१ ,,
१४	मुगल जाट	,, खा. ११।॥)४	२ ,,
१५	नारू जाट	,, १॥)४ खा. १॥)४	३ ,,
१६	सुखलाल महाजन	,, २।)२ खा. ४॥)३	५ ,,
१७	चतुरभुज ब्राह्मण	पी. २) खा. ५)	१० ,,
१८	बन्सी लाल ब्राह्मण	पी. २) खा. ५)	५ ,,

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ३८४ का उत्तर देखिये)

सूची किरायेदारान जिनमें किराये की रकम दिसम्बर, ५७ तक का बकाया हैं।

क्र० स०	नाम किरायेदार	बकाया रकम	कब से कब तक	क्या कार्यवाही हो रहे ही है।
		मन्दिरान डाइरेक्ट चार्ज		
१	मिट्ठन दास	६२५–००	सन् ४६ से ५४ तक	पी. डी. आर. के तहत वसूली के लिये ये कलेक्टर सा०को निवेदन किया।
२	बद्री पुत्र मल्ला खुमार	३८१–८७	सन् ५१ से ५७ तक	एजन
३	चुन्नीलाल पंजाबी	१४६७–००	सन् ५१ से ५७ तक	मुन्सफी में कमी रेन्ट का दावा चल रहा है। ८ मार्च नियुक्त है
४	छोटे खां	१२४८–००	सन् ५१ से ५७ तक	अपील कम रेन्ट की है दिनांक १७–२–५७ नियुक्त है।
५	कालियान	१०५३–५०	सन् ५१ से ५७ तक	कस्टोडियन विभाग से मामला तय नहीं हुआ है।
६	जयकुमार चोथमल	१५०–००	सन् ५४ की बकाया	३० माहवार की किश्त चालू है।
७	किशनलाल	७२५–४७	सन् ५६ से ५७ तक	पी. डी. आर. के तहत क्लेक्टर सी. को लिखा है।
८	बल्लीलाल	३०३–४७	जून ५७ से दि० ५७ तक	एजन
९	भूरामल	३०३–४७	एजन	एजन
१०	हनुमान	१११४–००	सन् ५० से ५७तक	एजन
११	कन्हैयालाल	७०–२५	सन् ५० का	एजन
१२	करीमउद्दीन	२१५–९७	सन् ५६–५७ का	एजन
१३	प्रहलाद	१४७८–००	सन् ५३ से ५७ तक	कमी रेन्ट का दाव दायर कर दिया है ता: १३-२-५८ नियत है।
१४	मूलचन्द	४३७–४२	५६–५७ का	पी. डी. आर. एक्ट के तहत कलेक्टर सा० को लिखा है।

१५	भगवान सहाय	२००–००	सन् ५३–५४	८० माहवार की किश्त चालू है।
१६	जगदीश	३५६–१२	सन् ५५–५६	३० माहवार की किश्त चालू है।
१७	भौंरीलाल श्योजीराम	६४६–००	जून ५७ से दि० ५७ तक	पी. डी. आर के तहत कलेक्टर सा० को निवेदन किया है।
१८	तोसाराम	५३०–००	सन् ५२ से दिसम्बर ५८	पी. डी. आर. के तहत कलेक्टर सा० को निवेदन किया है।
१९	जेठानन्द	१५७७–००	सन् ४९ से दिसम्बर ५७	५०) रु० माहवार की किश्त चालू है।
२०	मोहनलाल	१५०–००	सन् ५६ से दिसम्बर ५७	३०) रु० माहवार की किश्त चालू है।
२१	लादूराम	११८६–००	सन् ४९ से दिसम्बर ५७	पी० डी० आर० एक्ट के तहत कलेक्टर सा० को निवेदन किया है।
२२	देव शंकर	१५०–१६	सन् ५५–५६	वेतन आने पर किराया बकाया जमा होगा।
२३	पुलिस विभाग	४००–००	सितम्बर, ५६ से दि० ५७	पुलिस विभाग को तकाजा किया जा रहा है।
२४	रामगोपाल महताब राय	११६६–५६	अक्टूबर, ५६ से दिसम्बर, ५७	तल्वी जारी है।
२५	द्वारकानाथ	२०१–००	नवम्बर, ५६ से दि० ५७	तल्वी जारी है।
२६	सूरजमल	७२५–४७	५६ से दिसम्बर, ५७	पी० डी० आर० एक्ट के तहत कलेक्टर सा० को लिखा है।

१९८६४–७३

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ३८६ का उत्तर देखिये)

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित रात्रि प्रौढ़ शाला एवं समाज शिक्षण केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	स्थान का नाम	क्र. सं.	स्थान का नाम
	उदयपुर डिविजन		
१.	धन्वादी दैया	३१.	नगरिया पंचालिया
२.	बिजनिया	३२.	दबाना
३.	केशरपुर	३३.	दोया
४.	जवाहरनगर	३४.	चांदोली
५.	गोगून्डा	३५.	मेवाड़ा
६	पालमुंगाना	३६.	लिखी छोटी
७.	पाल भिमोड़ा	३७.	भैंखरा
८.	अम्बाला	३८.	दोलवार
९.	सुन्दरा	३९.	भोतरी
१०.	पलासिया	४०.	वीर कुण्डली
११.	मान्डा	४१.	राता पानी
१२.	पाल सन्डेला	४२.	जोरावरपुरा
१३.	नलबई	४३.	पाटनपुरा
१४.	कोटड़ा	४४.	भीमरोड़ा
१५.	जवर	४५.	हीराता
१६.	रिखभदेव	४६.	मोडर
१७.	गडवास	४७.	बरीनाबाड़ा
१८.	अम्बेमाता	४८.	बुनावाड़ा
१९.	सलुम्बर	४९.	भुदानपुरा
२०.	पालोडरा	५०.	बड़ी सादड़ी
२१.	कुरेज	५१.	सागवा
२२.	कैलवा	५२.	इटावा
२३.	मोही	५३.	मधालिया
२४.	धांलिया	५४.	पाडुलेराठोर
२५.	मलमठा	५५.	जीगांव
२६.	छारवाड़ा	५६.	आमेर थोना
२७.	मन्डवापाल	५७.	छीन्छी
२८.	मालचौकी	५८.	सेनावास
२९.	मीधूपाल	५९.	गमेडी देशरा
३०.	बाबा की जड़	६०.	डेरी डरमा

क्र. सं.	स्थान का नाम	क्र. सं.	स्थान का नाम
६१.	श्यामपुर	८०.	अदनोर
६२.	ठेकरिया	८१.	बोरड़ा
६३.	अ देश्वर	८२.	राजियाबास
६४.	अरथुना	८३.	रूपाहेली
६५.	वीर पीखाटा	८४.	बेगून
६६.	भारगुन्ड	८५.	कपासन
६७.	पैंछीलवाड़ा	८६.	धामनियां
६८.	कालकिया	८७.	हलनई
६९.	बड़ी टमरी	८८.	छींछी
७०.	सिनापुर	८९.	वगराबड़
७१.	बाजावारा	९०.	खारोट
७२.	बाड़ी पासी	९१.	धामीतरी
७३.	भाटवाड़ा	९२.	बसेरा
७४.	सिकरिया	९३.	देवगढ़
७५.	बसारा	९४.	भुरासिया
७६.	खाटवाड़ा	९५.	खेड़ा
७७.	गंगापुर	९६.	छोटारसी
७८.	गुलाबपुरा	९७.	बोरी
७९.	आसीन्द	९८.	आरनूल

बीकानेर डिवीजन

९९.	बीकानेर	१०४.	गंगानगर
१००.	नापासर	१०५.	करणपुर
१०१.	डूंगरपुर	१०६.	भादरा
१०२.	लखेऊ	१०७.	कन्डावली
१०३.	राजगढ़	१०८.	रानीसर

भरतपुर डिवीजन

१०९.	भरतपुर	११६.	नैनवा
११०.	जघेना	११७.	शेरपुर
१११.	सेवार	११८.	बसनावर
११२.	कुम्हेर	११९.	करकापुरा
११३.	सिरमथुरा	१२०.	गरवाडा
११४.	बसेरी	१२१.	जुल्मी
११५.	गंगापुर	१२२.	डबलाना

क्र० सं०	स्थान का नाम	क्र० सं०	स्थान का नाम
१२३.	नयापुरा	१२७.	केलवाड़ा
१२४.	भुलावड़	१२८.	रंगवाड़ी
१२५.	किशनगंज	१२९.	बलान्चटपुरा
१२६.	अकनपुरा		

जयपुर डिवीजन

१३०.	जयपुर	१३७.	रामगढ़
१३१.	पचेरी बड़ी	१३८.	राजमहल
१३२.	बान्सूर	१३९.	घाड़
१३३.	अराइम	१४०.	फतहपुर
१३४.	पोलारा	१४१.	बिन्दोली
१३५.	कचरियावास	१४२.	सिंगरावत
१३६.	चिड़ावा	१४३.	सुरियाना

जोधपुर डिवीजन

१४४.	म्युनिसिपल होल जोधपुर	१६५.	रामपुरा
१४५.	वाहमी का तालाब जोधपुर	१६६.	आबू रोड़
१४६.	फलोदी	१६७.	रेवदार
१४७.	रनिंग शेड जोधपुर	१६८.	केरमन्डवाड़ा
१४८.	इन्द्रीका	१६९.	बलोनिया
१४९.	खवानिया	१७०.	ऊपालगढ़
१५०.	खासी कालीनी	१७१.	शिवगंज
१५१.	पावपुरा	१७२.	बाड़मेर
१५२.	भोली मायों का मन्दिर	१७३.	शिवाना
१५३.	जालोर	१७४.	बालोतरा
१५४.	जसवन्तपुरा	१७५.	सूरजपोल
१५५.	सांचोर	१७६.	सुमेरपुर
१५६.	भीनमाल	१७७.	कोयलबाद
१५७.	सांकरा	१७८.	भीभाना
१५८.	पोकरन	१७९.	मालनू
१५९.	नागोर	१८०.	देसूरी
१६०.	लाडनूं	१८१.	तखतगढ़
१६१.	डीडवाना	१८२.	सोम
१६२.	एम्बेरा	१८३.	चाक्सू
१६३.	मेड़ता सिटी	१८४.	सोवदा
१६४.	सिरोही		

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ४०३ का उत्तर देखिये)

नक्शा तकावी १-४-५७ लगायत ११-२-५८

क्रम संख्या	नाम काश्तकार	तारीख दरख्वास्त	तादाद रकम	खारिज का कारण	कैफियत
१	मोहननाथ	५-४-५७	२००००)	जेर तजवीज	
२	केसरलाल हीर	,,	८००)		बिल बनाया जा रहा है।
३	उद्दा अहीर	६-४-५७	२०००)		रकम दे दी गई है।
४	मांगीलाल पुजारी	१०-४-५७	१५००)	अदम पैरवी में खारिज	
५	नाथू मीना	,,	१०००)	परचा शामलात होने से खारिज	
६	घीसालाल जाट	११-४-५७	४०००)	जेर तजवीज	
७	भूरा मीना	२२-४-५७	६००)		मंजूरी को भेजी गई।
८	रणजीता	२३-४-५७	३००)	अदम पैरवी में खारिज	
९	किशोरसिंह	,,	५००)	,,	
१०	नाथू जाट	,,	५००)	खातेदारी न होने से खारिज	
११	गनपत सिंह	,,	५००)	अदम पैरवी में खारिज	
१२	सुल्ताना	२४-४-५७	७५०)	खातेदारी न होने से खारिज	
१३	जगदीश नारायण	२५-४-५७	३०००)	जेर तजवीज है।	
१४	बलदेव बन्सीधर	२७-४-५७	७००)	जरूरत न होने से खारिज।	
१५	सेडू	७-५-५७	८००)	जेर तजवीज।	
१६	चौथू माली	८-५-५७	१०००)	अदम पैरवी में खारिज।	
१७	विजा मांगू	१४-५-५७	१५००)		मंजूरी को भेजी गई है।
१८	ईसरसिंह	२७-५-५७	६००)		,,

क्रम संख्या	नाम काश्तकार	तारीख दरख्वास्त	तादाद रकम	खारिज का कारण	कैफियत
१९	रामकंवर	२०-५-५७	२००)	जेर तजबीज	
२०	कान्हा अहीर	२३-८-५७	७००)	अदम पैरवी में खारिज	
२१	नारायण रामदेव	२४-५-५७	२०००)		बिल बनाकर भेजा गया है।
२२	कल्याणसिंह	,,	५००)	अदम पैरवी में खारिज।	
२३	छाजूलाल	२८-५-५७	५००)	,,	
२४	नाथू गूजर	२९-५-५७	५००)	,,	
२५	धन्ना अहीर	,,	५०००)	जेर तजबीज	
२६	नाथूलाल	४-६-५७	७००)	जेर तजबीज	
२७	कन्हैयालाल	१०-६-५७	१०००)		बिल बनाकर भेजा गया है।
२८	नारायण राणा	१३-६-५७	१०००)	अदम पैरवी में खारिज।	
२९	दौला जाट	२१-६-५७	८००)		रकम दे दी गई है।
३०	कुशला जाट	,,	८००)		बिल बनाया जा रहा है।
३१	लालू	३०-६-५७	१५००)	रकम लेना नहीं चाहता।	
३२	सवाईसिंह	८-७-५७	१०००)	जेर तजबीज।	
३३	भौरीलाल	१०-७-५७	२०००)	,,	
३४	रघुनाथसिंह	१३-७-५७	६००)	,,	
३५	छोटू बिरदा	१५-७-५७	१५००)	,,	
३६	सवाईसिंह	१७-७-५७	२५००)	,,	
३७	चावडदान	३०-७-५७	३००)		बिल बनाया जा रहा है।
३८	भौरी लाल	१२-८-५७	११००)	जेर तजबीज।	

क्रम संख्या	नाम काश्तकार	तारीख दरख्वास्त	तादाद रकम	खारिज का कारण	कैफियत
३९	भगवान सहाय	१२-८-५७	३००)	अदम पेरवी में खारिज	
४०	भूरा राम	१४-८-५७	३०००)	जेर तजवीज।	
४१	सुडी लाल रामजी	१७-८-५७	१५००)	जेर तजवीज।	
४२	विजय लाल	१७-८-५७	४००)	,,	
४३	कल्याण	,,	४००)	,,	
४४	गोबिन्द राम	,,	४००)	,,	
४५	सुवा जाट	,,	५००)	,,	
४६	सैजा वगेरह	१६-८-५७	४००)	,,	
४७	विजय लाल	२१-८-५७	१५००)		बिल बनाया जा रहा है।
४८	देसा मीना	२१-८-५७	१६००)	अदम पेरवी में खारिज	
४९	नानू कुशाला	२२-८-५७	३०००)	जेर तजवीज।	
५०	दीजा वगेरह	२६-८-५७	२०००)	जेर तजवीज।	
५१	गंगा राम हीर	,,	७००)	,,	
५२	जगन्नाथ दास	,,	२५००)	,,	
५३	हनुमान सहाय	,,	४०००)	,,	
५४	नारायण मीना	२७-८-५७	१५००)	खातेदारी न होने से खारिज।	
५५	चुन्नी लाल	३०-८-५७	५००)		
५६	बागसिंह	३-९-५७	७००)		बिल बनाकर भेजा है।
५७	पांचू राम	५-९-५७	१०००)	जेर तजवीज।	
५८	बासाराम	,,	२०००)	,,	

क्रम संख्या	नाम काश्तकार	तारीख दरख्वास्त	तादाद रकम	खारिज का कारण	कैफियत
५६	बिजा जाट	६–६–५७	८००		बिल बनाकर भेजा जा रहा है।
६०	छीतर जाट	,,	१०००)		
६१	पन्ना जाट	,,	२०००)		बिल बनाया जा रहा है।
६२	बीजा बागरा	,,	१५००)		बिल बनाया जा रहा है।
६३	इसरा माली	,,	२५००)		,,
६४	किशोर सिंह	,,	३००)		मंजूरी को भेजा गया है।
६५	मांगू छोट्ठ	११–६–५७	५०००)	जेर तजवीज।	
६६	छोट्ठू जाट	१६–७–५७	११००)	अदम पारवी में खारिज	
६७	बन्सीधर	१७–६–५७	४०००)	जेर तजवीज।	
६८	हनुमान बक्स	१८–६–५७	२०००)	,,	
६९	रामेश्वर जाट	,,	२०००)	,,	
७०	सुखदेव	१६–६–५७	६००)	अदम परवी में खारिज।	
७१	मांगू मीना	१६–६–५७	५००)	,,	
७२	बालू जाट	२७–६–५७	५००)	जेर तजवीज।	
७३	सेवा नारायण	,,	४००)	,,	
७४	जेला	,,	८००)	जमानत पेश न करने से खारिज	
७५	सरहिया	६–१०–५७	३०००)	अदम परवी में खारिज।	
७६	सुवालाल	,,	५००)	जेर तजवीज।	
७७	कजोडा जाट	१०–१०–५७	१०००)	,,	
७८	नाथी जाट	११–१०–५७	४०००)	,,	

क्रम संख्या	नाम काश्तकार	तारीख दरख्वास्त	तादाद रकम	खारिज का कारण	कैफियत
७९	जगन्नाथ जाट	११-१०-५७	८०००)	,,	
८०	बन्सीधर शर्मा	२६-१०-५७	२०००)	,,	
८१	छोटीलाल	,,	६००)	,,	
८२	अमरसिंह	२६-१०-५७	१०००)		मंजूरी को भेजा गया।
८३	कल्याण सिंह	,,	२००)		,,
८४	कान्हानाथू	२६-१०-५७	१५००)	जेर तजवीज।	
८५	भंवरसिंह	,,	८०००)	,,	
८६	कान्हासिंह	,,	२०००)	,,	
८७	कान्हा	,,	१५००)	,,	
८८	गोरीलाल	३१-१०-५७	१०००)	अदम पेरवी में खारिज।	
८९	गुलाब खां	४-११-५७	४०००)	जेर तजवीज है।	
९०	गोरीलाल	,,	२००)	अदम पेरवी में खारिज।	
९१	छोटीलाल	८-११-५७	४०००)	जेर तजवीज।	
९२	आनन्दसिंह	१६-११-५७	२०००)	,,	
९३	भूरां जाट	१८-११-५७	६००)		बिल बनाया जा रहा है।
९४	शोनारायण	,,	१२००)	जेर तजवीज।	
९५	भूरीलाल भगवान सहाय	,,	५८००)	,,	
९६	भूरालाल	,,	१०००)		बिल बनाया जा रहा है।
९७	रामनारायण	,,	६००)	जेर तजवीज।	

क्रम संख्या	नाम काश्तकार	तारीख़ दरख्वास्त	तादाद रकम	खारिज का कारण	कैफियत
९८	भूरीलाल	१९–११–५७	१५००)	ज़ेर तज़वीज़	
९९	बिरदा	७–१२–५७	१०००)	,,	
१००	सुजा हीर	११–१२–५७	१५००)	,,	
१०१	हरिसिंह	३१–१२–५७	१५००)	,,	
१०२	जीवनराम	३–१–५८	५०००)	,,	
१०३	छोटू	१७–१–५८	१५००)	,,	
१०४	छीतरसिंह	१८–१–५८	१९००)	,,	
१०५	दुरगासिंह	२३–१–५८	२५०)	अदम पेरवी में खारिज।	
१०६	छोटू	,,	४०००)	जेर तजवीज़।	
१०७	मांगीलाल	२३–१–५८	५००)	,,	
१०८	छोटीलाल ब्राह्मण	२४–१–५८	५००)	,,	
१०९	गोविन्द मीना	,,	४००)	,,	
११०	जोधराज	२९–१–५८	३५००)	,,	
१११	रूपनारायण	३१–१–५८	५००)	,,	
११२	गन्देरीलाल	,,	२०००)	,,	
११३	सूजा ब्राह्मण	,,	१५००)	,,	
११४	सुआलाल	,,	५००)	,,	

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २५ फरवरी, १९५८)

स्तम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
२०९२	९	श्री मदनसिंहः (दांता)	श्री मदनसिंह (दांता) :
२०९३	अन्तिम से ३ री	रावराज श्री सरदारसिंह	रावराजा श्री सरदारसिंह
२१०५	अन्तिम से ८ वीं	उप वित्त मंत्री श्री रिखबचन्द धारीवाल)	उप वित्त मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :
२१११	शीर्ष पंक्ति	तारांकित प्रश्नोतर [३०११	तारांकित प्रश्नोत्तर [२१११
२१११	अन्तिम से २ री	श्री रिखबचन धारीवाल :	श्री रिखबचन्द धारीवाल :
२११२	,, ६ वीं	रखे जरुर गये थे	रखे जरूर गये थे
२११३	१२	अकाउन्टन्ट या	अकाउन्टेन्ट या
२११८	अन्तिम से २ री	at the formers resid-	at the former's resid-
२१२३	१२	श्री हरिभाऊ उपध्याय :	श्री हरिभाऊ उपाध्याय :
२१२७	१८	पानों पर विक्रय कर	पानों पर विक्रय कर
,,	२०	the finance Minister	the Finance Minister
२१३८	२१	४०१. श्री श्रीभानसिंहः	४०१. श्री श्रीभानसिंह (बयाना):
२१४३	१४	पर एग्जामिनेशन पास	पर एग्ज़ामिनेशन पास
२१४८	शीर्ष	१२४८]	२१४८]
,,	अन्तिम से ४ थी	बित्त मंत्री(श्री हरिभाऊ उपाध्याय):	वित्त मंत्री(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)
२१४९	१०	और रूल नहीं किया	और रुल नहीं किया
,,	१५ व २१	श्री हरिभाऊ उपाध्याय :	श्री हरिभाऊ उपाध्याय :
२१५०-५१	शीर्ष पंक्ति	-२५ फरवरी, ४८-	-२५ फ़रवरी, ५८-
२१५०	अन्तिम से ६ ठी	४०८. श्री हरिशंकर- सिद्धान्तशास्त्री :	४०८. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर) :
२१५५	२	से प्राप्त सदेश	से प्राप्त संदेश
२१५६	१०	to the iutroduction	to the introduction
,,	२२	He w ll	He will
२१५७	अन्तिम से ८ वीं	श्री हरिभाऊ उपाध्याय :	श्री हरिभाऊ उपाध्याय :
२१५९	शीर्ष	सेल्स टैक्स विधेयक	मद्य निषेध विधेयक
२१६०	२०	कार्यों के न्दर अधिक	कार्यों के अन्दर अधिक
२१६२	अन्तिम पंक्ति	एक्ज़ीक्युटिव और	एग्ज़ीक्युटिव और
२१६३	,, से ९ वीं	समिसि के अन्दर	समिति के अन्दर
२१६४	१०	पब्लिक हैड का	पब्लिक हैल्थ का

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्य	अशुद्धि	शुद्धि
२१६४	अन्तिम से ११ वीं	इस ब्लॉक केवल पर	इस ब्लॉक लेवल पर
२१६५	अन्तिम से ६ वीं	जहां पर पचनतों की	जहां पर पंचायतों की
२१६७	८	गांव के व्क्तियों के	गांव के व्यक्तियों के
२१७१	१२	दे रखा है तो	दे रहा है तो
२१७४-७५	शीर्ष पंक्ति	राष्ट्रीय २५-फरवरी, ५८-विकास	राष्ट्रीय -२५ फरवरी, ५८- विकास
२१८५	२४	एग्रीकल्चर के इम्प्रूमेंट में	एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेन्ट में
२२०६	अन्तिम से २ री	सीलिंग कमेटी की	सीलिंग कमेटी की
,,	अन्तिम पंक्ति	पर हम भूम का	पर हम भूमि का
२२०९	४	नुकसान हुआ हे।	नुकसान हुआ है।
२२१०	शीर्ष पंक्ति	] दायिक योजनाएं तथा	] सामुदायिक योजनाएं तथा
,,	२	सस्तर नीचा है	स्तर नीचा है
२२२१	२४	कमिटि का निर्माण	कमेटी का निर्माण
२२३३	६	टी० ए० और डी०	टी० ए० और डी० ए०
२२४१	अन्तिम से ५ वीं	उनको डेलपमेंट फकशन्स	उनको डेवलपमेंट फंक्शन्स
२२४७	१२	वे बताते हुए वर्क	वे बताये हुए वर्क
२२६८	११	कमेटीयों के	कमेटियों के
२२६९	अन्तिम से ४ थी	लोकस सैल्फ	लोकल सैल्फ
२२७२	६	उनको रिहादसी जमीन	उनको रिहायसी जमीन
२२८२	१४	उसको वापस ले	उसको वापिस ले
,,	२१	और ले जाई रही है।	और ले जा रही है।
२२९२	१३	कार्यों के बीच	कारियों के बीच
२२९८	शीर्ष	संक्षिप्त वितरण	संक्षिप्त विवरण
२३१०	१६	१५. जवर	१५. जावर